अध्याय १

भूमिका

राजस्थान राज्य का एकीकरण:—१९ रजवाड़ों और ३ ठिकानों को मिलाकर राजस्थान राज्य का एकीकरण हुआ। उनकी जनसंख्या, राजनैतिक महत्व, प्रशासकीय कुशलता और आर्थिक विकास का स्तर भिन्न था। एकीकृत राजस्थान क्षेत्रफल में केवल मध्यप्रदेश से कम है।

भौगोलिक स्थिति:—अरावली की श्रेणियां राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राज्य को दो भागों में बांटती हुई दिखाई देती हैं। इनके पश्चिम में थार का रेगिस्तान है और पूर्व में पठार और मैदान। सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू ५,६४६ फीट है, जो राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उदयपुर के आसपास अरावली शृंखला की ऊंचाई ३५०० से ४००० फीट तक है। धीरे धीरे कम होती हुई इन पहाड़ियों की ऊंचाई दिल्ली के पास १००० फीट तक रह जाती है। उदयपुर से सांभर तक इन पर्वतमाला से कई छोटी छोटी नदियां निकल कर पश्चिम में कच्छ और खंभात की खाड़ी में और पूर्व में गंगा जमुना में मिलती हैं। सांभर झील उत्तर भारत में नमक का प्रमुख स्रोत है। उदयपुर की मुख्य नदियां हैं माही, साबरमती और बनास। उदयपुर में प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें भी हैं।

अरावली के पश्चिम में बीकानेर, जोधपुर डिविजनों में रेगिस्तान है। इसका उद्गम कच्छ के मुहाने से है। दक्षिण पश्चिमी हवाएँ अभी भी उधर से रेत लाकर छोटी छोटी पहाड़ियों को पार कर अरावली पर्वतमाला के पूर्व में भी रेत फैलाती हैं। पश्चिमी मरु भाग में लूनी और सूकली मुख्य नदियां हैं।

अरावली के दक्षिण पूर्व में पठार है जो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है। इस भाग की नदियां दक्षिण पूर्वी भाग में बहती हुई चंबल नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र की बेड़च नदी बनास में और बनास चंबल में मिलती है। केवल चंबल ही राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो साल भर बहती रहती है। अरावली शृंखला के पूर्व का शेष भाग मैदानी है। बनास, कोठारी, खारी, डाई और मोरल इस हिस्से की मुख्य नदियां हैं।

जलवायु:—राजस्थान भारत का सबसे अधिक सूखा प्रदेश है। यहां वर्षा थार के रेगिस्तान में ५ इंच से लेकर चंबल की घाटियों में ३५ इंच तक होती है।

रेगिस्तान में वार्षिक वर्षा १० इंच से कम होती है। तापमान जनवरी में ६० डिग्री फारेनहाइट् से मई में ९५ डिग्री फारेनहाइट् तक होता है। अरावली और थार के बीच में अर्ध मरु क्षेत्र है जिसमें वार्षिक वर्षा १० इंच से २० इंच तक होती है। यहां कभी सूखा पड़ता है और कभी बाढ आती है। अरावली की तलहटी में पश्चिम में २० इंच से लेकर दक्षिण पूर्व में ३५ इंच तक वर्षा होती है। उस क्षेत्र में प्रायः फ़सल खराब होती है।

प्राकृतिक भाग और आर्थिक ढांचा:—इस प्राकृतिक रचना का प्राकृतिक साधनों की प्राप्यता और आर्थिक ढांचे पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। कम वर्षा होने के कारण सिंचाई के लिए बांध बनाए जाने की संभावनाएं कम हो गई हैं और तालाब बनवाने पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च आता है। भूमि पानी सोख लेती है अतः कुओं से सिंचाई के विकास की अधिक संभावना है। साल भर बहने वाली नदियां अधिक नहीं हैं और उदयपुर के आसपास जो झीलें हैं उनके चारों ओर पहाड़ियां होने के कारण राज्य में सिंचाई और बिजली के लिए जल उपयोग के साधन बहुत कम हैं।

वर्षा की कमी के कारण राज्य में वनों का क्षेत्रफल भी कम है। अरावली क्षेत्र में अधातु-खनिज मिलते हैं। इस शृंखला के पूर्व में अवश्य कुछ धातु खनिज मिलते हैं।

मरु भाग में पशु पालन अधिक होता है और खेती कम। प्रति एकड़ कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी कम है। यदि इस क्षेत्र में पानी मिल जाय या वैज्ञानिक रूप से सूखी खेती की जावे और घास उगाई जावे तो यहां की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुधर सकती है। जैसलमेर ज़िले में तेल और गैस मिलने की भी संभावना बताई जाती है, यदि ये साधन प्राप्त हो जायं तो यहां अनेक उद्योग चल सकते हैं।

अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में अच्छी वर्षा होने के कारण खूब खेती होती है और आबादी और घनत्व भी अधिक है।

राजस्थान में अब तक सामन्तशाही होने के कारण आर्थिक विकास नहीं हो सका। जो कुछ विकास के थोड़े बहुत साधन थे भी उनका उपयोग अनुत्पादक कार्यों में किया जाता था। अनेक अन्तर्राजीय प्रतिबन्ध थे, यातायात के साधन अपर्याप्त थे और लगभग ६० प्रतिशत क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा थी। उद्योग, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएं अन्य राज्यों के मुकाबले यहां कम थीं। अक्सर अकाल पड़ा करते थे। इस पृष्ठ भूमि में पिछले १० वर्षों में हुई उपलब्धियां प्रभावपूर्ण हैं किन्तु फिर भी राज्य के आर्थिक विकास से सम्बन्धित अनेक समस्याएं अधूरी हैं।

जनसंख्या का घनत्व:—सन् १९५१ में राजस्थान की जनसंख्या १५९.७ लाख थी और प्रति मील घनत्व १२१। जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर यह राज्य सबसे कम घना बसा हुआ था। अरावली के पूर्व के भाग में खेती के अनुकूल जलवायु होने के कारण घनत्व अधिक है और पश्चिम में रेगिस्तान होने के कारण कम। यहां तक कि

जैसलमेर में प्रतिवर्ग मील केवल सात व्यक्ति पाये जाते हैं (तालिका १)।

३१ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और ये गांव छोटे छोटे हैं और दूर दूर फैले हुए हैं। इसलिये यातायात विकसित करने पर विशेष धनराशी नियोजित करनी पड़ेगी।

जनसंख्या का धन्धों के अनुसार वर्गीकरण:—जनसंख्या का धन्धों के अनुसार वर्गीकरण तालिका ४ में दिया गया है। यहां कृषि व उससे सम्बन्धित कार्यों में ६६.७ प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए थे। यद्यपि व्यापार एवं अन्य सेवाओं में भारत के मुकावले राजस्थान में जनता का अधिक भाग लगा हुआ था। उद्योग के क्षेत्र में कम व्यक्ति थे।

राजकीय आय:—सन् १६५५-५६ में राज्य आय अनुमानतः ४५.१ करोड़ रुपये थी (तालिका ५)। तालिका ५ व ६ में इस आय का क्षेत्रवार आवंटन दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय २५६ रुपया थी, अर्थात् अखिल भारतीय स्तर से ११ प्रतिशत कम। कारण यह था कि प्राथमिक क्षेत्रमें हीन फसल प्रतिरूप और अपेक्षाकृत कम उत्पादन दर के कारण और उद्योग के क्षेत्र में अधिकतर पुराने ढंग के कुटीर उद्योग होने के कारण उत्पादन कम रहा।

कृषि:—कृषि के दृष्टिकोण से भी राज्य को दो विशिष्ट भागों में बांटा जा सकता है, अरावली के उत्तर पश्चिम का सूखा, रेगिस्तानी, अनुत्पादक भाग और अरावली के दक्षिण पूर्व का अधिक वर्षा, विकसित सिंचाई और गहन कृषि वाला भाग। पहले भाग में मुख्य अनाज, तिलहन और कपास बोई जाती है और दूसरे भाग में मोटा अनाज और दालें। इसी भेद के कारण सन् १६५५-५६ में जब कि दक्षिण पूर्वी भाग में प्रति एकड़ कृषि उत्पादन १०४ रुपये था उत्तर पश्चिमी भाग मे केवल ४० रुपए।

राजस्थान में वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल कुल का ३४ प्रतिशत है व ४३ प्रतिशत बंजर व पड़त भूमि है। सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। राज्य के २६ जिलों में से ६ में आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पन्न होता है और शेष में आवश्यकता से कम। अनुमान है कि प्रतिवर्ष ८ लाख टन अन्न यहां आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है।

वन:—कुल क्षेत्रफल के केवल ३.३ प्रतिशत में वन हैं और ये वन निम्न श्रेणी के हैं। राज्यों में वनों का क्षेत्रफल बढाने में विशेष समय लगेगा।

पशुपालन:—राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में पशुपालन मुख्य धन्धा है। यहां कुछ पशुओं की बहुत अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। भारत की १/३ ऊन यहां की भेड़ों से मिलती है। राज्य आय में सन् १६५५-५६ में पशुपालन क्षेत्र का १३ प्रतिशत योग था जब कि भारत में केवल ५.६ प्रतिशत किन्तु यहां मुख्य समस्या चारे की है।

खनिज:—राजस्थान में अनेक खनिज पदार्थ-तांबा, जस्ता, सीसा, चूना, अभ्रक, लोहा, नमक, लिगनाइट, मेंगनीज़ और अन्य गौण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। फिर भी यहां खनिज आधारित उद्योग विकसित नहीं हैं।

उद्योग:—सन् १९५५-५६ में जब कि राजकीय आय में अनिर्माणी वर्ग का १२ प्रतिशत योग था, निर्माणी वर्ग का (विद्युत सहित) केवल १.२ प्रतिशत। यहां के उद्योग वस्तुतः छोटे, ग्रामीण और कुटीर उद्योग ही हैं। और प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम है। उद्योग अविकसित होने का मुख्य कारण यातायात एवं परिवहन की अपर्याप्तता, जल एवं बिजली की कमी, स्थानीय साधनों से अनभिज्ञता और निश्चित उद्योग नीति का न होना है। वैसे भारत के गन्यमान उद्योगपति राजस्थानी ही हैं।

विद्युत:—बिजली की कमी राजस्थान में उद्योगों के अविकसित रहने का एक प्रमुख कारण है। सन् १९५९-६० में कुल प्रस्थापित क्षमता भारत की केवल १.८ प्रतिशत थी। राज्य के बिजलीघरों में पुरानी व अलाभकर मशीनें होने और कोयले व जल के स्रोत के अभाव के कारण विद्युत उत्पादन भारतीय औसत से दूना महंगा पड़ता है। फिर भी सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों से उद्योगों को कुछ राहत मिलती है।

यातायात:—यहां रेलों और सड़कों की लम्बाई भी अपेक्षाकृत कम है। जब कि भारत में प्रति १००० वर्गमील में २७.३० मील रेलें व २२६ मील सड़कें हैं, राजस्थान में ये क्रमशः २४.५० व १६६ मील हैं। गांव दूर दूर बसे हुए हैं और यातायात के साधन अपर्याप्त हैं अतः कृषि व पशु उपज लाने व ले जाने व खनिज कार्यों में व्यवधान उपस्थित होता है। रेलें अधिकतर मीटर गेज होने के कारण अंतर्राजीय व्यापार में दिक्कत आती है।

सामाजिक सेवाएं:—इन दिनों यद्यपि शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है फिर भी दूर दूर बसे छोटे छोटे गांवों और यातायात के अपर्याप्त साधनों को देखते हुए अभी बहुत कुछ करना शेष है। पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

क्षेत्रीय असमताएं:—ज़िलों की प्रति व्यक्ति आय गंगानगर में रु० ४१३ से लेकर बाड़मेर में रु० १८७ है। तालिका १ में प्रति व्यक्ति आय के अनुसार राज्य के ज़िलों को ५ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रायः सूखे क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम है और गीले क्षेत्र में अधिक। गंगानगर जिला यद्यपि सूखे क्षेत्र में है किन्तु यहां उत्तम सिंचाई और विकसित कृषि व्यवस्था होने के कारण प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जैसलमेर में यद्यपि कुल आय कम है किन्तु आबादी भी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से यह गंगानगर के बाद गिना जाता है। कोटा और

जयपुर जिलों में प्रति व्यक्ति आय विकसित उद्योग और तृतीयक क्षेत्र के कारण अधिक है और बूंदी एवं टोंक में विकसित कृषि के कारण। किसी भी जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक होते हुए भी वह अन्य कारणों, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और यातायात की सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा हुआ हो सकता है।

बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही में अनुसूचित वर्ग की जन संख्या अधिक है, और सामाजिक सेवाओं का विस्तार कम। गंगानगर, जालौर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़ में यातायात सुविधाएँ कम हैं। बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, चुरू, डूंगरपुर और जालौर, सिरोही, जैसलमेर और बांसवाड़ा में औद्योगिक विकास कम हैं। राजस्थान के संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रसंग में इन बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

हाल ही में किए गए विकास कार्य.—सन् १९५५ में जब कि अन्य राज्यों की पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी राजस्थान में एकीकरण, वित्तीय संगठन व शान्ति व्यवस्था संबन्धी समस्याऐं उपस्थित थीं। जिससे योजना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका।

पहली पंचवर्षीय योजना.— प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्थान (अजमेर सहित) के लिए ६४.५ करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसमें से ८४ प्रतिशत व्यय हो सका। कुल व्यय का ४२ प्रतिशत केन्द्रीय योजनाओं पर व शेष ५८ प्रतिशत अन्य योजनाओं पर व्यय हुआ। जनसंख्या के अनुपात में अखिल भारतीय स्तर से यह व्यय कम था। लगभग ४५ प्रतिशत व्यय योजना काल के अंतिम वर्ष में हुआ। अंतिम वर्ष में अधिकतम व्यय करने की प्रवृत्ति अपव्यय का सूचक है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना:—पहली योजना काल में भाखड़ा परियोजना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दूसरी योजना में सिंचाई की अपेक्षा उद्योग, खनिज, कृषि और अन्य सामाजिक सेवाओं को अधिक महत्व दिया गया। दूसरी योजना में १०५ करोड़ रुपये का प्रावधान था। कृषि और सिंचाई पर ४३ प्रतिशत, विद्युत पर १९ प्रतिशत, उद्योग और खनिज पर ५.५ प्रतिशत, सड़कों पर ८.९ प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं पर २२.७ प्रतिशत व्यय करना था (तालिका ९)। अनुमान है कि दूसरी योजना पर १०० करोड रुपये व्यय हुए। इस बार वार्षिक व्यय की दर पिछली योजना के मुकाबले अधिक सम रही।

योजनाओं में उपलब्धियां:—इस काल की मुख्य उपलब्धि जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन है। अन्न का उत्पादन सन् १९५०-५१ के १३.१ लाख टन से बढ़कर १९५८-५९ में ४५.८ लाख टन हो गया। इसी प्रकार तिलहन का उत्पादन ०.९३ लाख टन से बढ़ कर २.२५ लाख टन, गुड का उत्पादन ०.३२ लाख टन से बढ़ कर ०.५८ लाख टन, और कपास का १.२९ लाख गाठों से बढ़ कर १.९९ लाख गांठें हो गया।

सन् १९५९ में राजस्थान में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया गया। अब समस्त विकास कार्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संपादित किए जावेंगे।

पहली योजना में ५ लाख और दूसरी योजना में ६.४८ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई हुई। यह उपलब्धी लक्ष्य से कम है। भविष्य में सिंचाई योजना को अवधि में समाप्त होने और उनसे प्राप्त सुविधाओं के पूर्ण उपयोग होने पर अधिक जोर देना होगा।

बिजली की प्रस्थापित क्षमता सन् १९५०-५१ के २७.९३ मेगावाट से बढ़कर १९६०-६१ में ५७.७५ मेगावाट हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः भाखड़ा और चंबल परि-योजनाओं से हुई। योजना काल में हुई कम प्रगति के कारण प्राविधिक एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, वस्तुओं का समय पर न मिलना और बिजलीघरों का राज्यीकरण करने में आई हुई वैधानिक दिक्कतें हैं।

दूसरी योजना के अन्त तक १४ औद्योगिक संपत्ति बनानी थीं। सन् १९६० के अन्त तक २००० नई औद्योगिक इकाइयां खोलनी थीं। फिर भी बिजली एवं कच्चे माल की कमी के कारण राजस्थान में औद्योगिक विकास न हो सका। बड़े एवं भारी उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने बड़ी एवं भारी रियायतें देने की घोषणा की है।

सन् १९५५-५६ में १३९८८ मील सड़कें थीं, १९५९-६० में १६३४९ मील। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यय शिक्षा और चिकित्सा पर हुआ। राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्राप्य चिकित्सालय और रोगी शैयायें अखिल भारतीय स्तर से भी अधिक हो गये हैं। मुख्य समस्या शहरों और गांव में पीने के पानी की है।

दूसरी योजना में वृद्धि:—सन् १९५६ में राजकीय आय ४५१ करोड़ रुपये थी। दूसरी योजना के अन्त तक अनुमान है कि यह बढ़ कर ५६२ करोड़ रुपये हो जावेगी। प्रतिवर्ष वृद्धि दर इस प्रकार ४.९ प्रतिशत होगी जब कि भारत की ३.५ प्रतिशत है। उद्योगों का कम विकास होने और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होने से राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कम ही रही। यहां की प्रति व्यक्ति आय कृषि, व्यापार और सेवाओं पर अधिक निर्भर है। राज्य में प्राप्त साधनों से यहां का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आगे इस प्रसंग में एक विस्तृत कार्यक्रम दिया गया है।

अध्याय २

कृषि

सन् १९५५-५६ में राजस्थान में कृषि एवं तत्संबन्धी धन्धों में ७३ प्रतिशत व्यक्ति लगे हुए थे। राज्य की आय का ४९ प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था। राजस्थान में कृषि क्षेत्र से प्रति व्यक्ति आय २७० रुपये होती थी जबकि भारत में ४१४ रुपये। बोए गऐ प्रति एकड़ से ६२ रुपये आय थी जब कि देश में यह आय १२८ रुपये होती थी। वस्तुतः भूमि से उत्पादकता की कमी के दो कारण हैं (१) फ़सल के हीन प्रतिरूप एवं (२) अधिकांश फसलों से प्रति एकड़ कम औसत उपज।

क्षेत्रीय असमता:—जलवायु की दृष्टि से राज्य को ऐसे दो भागों में बांटा जा सकता है जिनमें फ़सल परिवर्तन और भूमि की उत्पादकता भिन्न हैं। पहले भाग में ५० सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और उसे गीला भाग कहा जा सकता है, दूसरे भाग में ५० सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और उसको सूखा भाग कहा जा सकता है।

फ़सल प्रतिरूप:—भूमि की प्रति एकड़ उत्पादकता इस कारण भी कम है कि अधिकतर भाग में निम्न श्रेणी की फसलें बोई जाती हैं। सन् १९५६-५७ में राजस्थान में कुल बोए गये क्षेत्रफल के १८ प्रतिशत में गेहूं, जौ आदि मुख्य अनाज, ३४ प्रतिशत में ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज तथा ९ प्रतिशत में तिलहन, गन्ना तथा कपास बोया गया था जब कि भारत में संबन्धित क्षेत्रफल ३४ प्रतिशत, २३ प्रतिशत तथा १५ प्रतिशत था। (तालिका ११) सूखे क्षेत्र में फ़सल प्रतिरूप और भी निम्न कोटि की है। वहां पर वर्षा कम होती है, खेत बड़े हैं अतः किसान ऐसी फ़सलें उगाना चाहता है जिसमें उसे कम काम करना पड़े।

औसत उपज:—तालिका १२ में राजस्थान और भारत की विभिन्न फसलों की औसत उपज दी गई है। मुख्य अनाजों की औसत उपज राजस्थान में अधिक है और अन्य फ़सलों की कम। चूंकि राजस्थान में अन्य फसलों का रकबा अधिक है, प्रति एकड़ उपज कम होती है। गेहूं, जौ और मक्का की औसत उपज इसलिए अधिक है कि ये गीले क्षेत्र में बोए जाते हैं। सूखे क्षेत्र में ये केवल वहीं बोए जाते हैं जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हों।

नागोर, बीकानेर, बाड़मेर, चुरू, जोधपुर और जैसलमेर के जिलों में औसत वर्षा बहुत कम होती है। भूमि और जलवायु खेती के योग्य नहीं है, किन्तु फिर भी खेती की जाती है अतः औसत उपज कम होनी ही चाहिए। राजस्थान में औसत उपज कम होने का एक कारण यह भी है कि यहां कृषि योग्य भूमि अधिक है और खेती करने वाले कम,

परिणामस्वरूप एक परिवार के साथ खेती की औसत जमीन भारत की औसत से अधिक है। जब कि भारत में प्रति ४१ व्यक्तियों के पास १०० एकड़ जमीन है, राजस्थान में प्रति १६ व्यक्तियों के पास। इसी कारण किसान विस्तीर्ण कृषि के तरीके अपनाते हैं, खेती के उन्नत साधनों का उपयोग कम करते हैं और ऐसी फसलें बोते हैं जिनमें मेहनत कम करनी पड़े। इन सबका औसत उपज पर खराब असर पड़ता है।

एक ओर खेती योग्य भूमि अधिक और आबादी कम है। दूसरी ओर जानवरों की संख्या अधिक है उनके चारे की समस्या हल करने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ जमीन घास और चारे के लिए रखी जाये। पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में जहां चारा और घास उगाया जा सकता है बहुत सारे क्षेत्रफल में खेती की जाती है और जब सूखा पड़ता है तो न केवल फ़सल ही पैदा नहीं होती चारे से भी वंचित रहना पड़ता है। इसका प्रभाव गायों के दूध देने की दर पर पड़ता है। किसान अनाज इसलिए पैदा करना चाहता है कि उसकी स्वयं की आवश्यताएँ पूरी हो सकें क्योंकि इस इलाके में यातायात और बाजार के साधन पर्याप्त नहीं हैं। अच्छा तो यह होगा कि इस प्रकार के साधन उपलब्ध किए जावें।

मुख्य फ़सलों का उत्पादनः—सन् १९५३-५४ से १९५७-५८ तक राजस्थान में ४१.५ लाख टन अन्न, २.३५ लाख टन तिलहन, १.६१ लाख गांठें कपास और ०.५५ लाख टन गन्ना (गुड़) प्रति वर्ष पैदा हुआ। अन्न, कपास, तिल्ली, अलसी और सरसों यहां से निर्यात किए गए हैं और शक्कर और तंबाकू आयात। ध्यान देने की बात है कि यहां तेल और सूती, कपड़े के कारखाने खोलने की उचित व्यवस्था न होने के कारण एक ओर कच्चा माल निर्यात करना पड़ता है और दूसरी ओर तेल और सूती कपड़े का आयात।

अन्न की स्थितिः—राजस्थान की आबादी भारत की ४.४ प्रतिशत है और यहां कुल भारत का ६ प्रतिशत अन्न पैदा किया जाता है। यह मान कर कि एक व्यक्ति को १५ औंस अन्न और ३ औंस दाल की प्रति दिन आवश्यकता होती है राजस्थान की खाद्य स्थिति इस प्रकार है:

राजस्थान की खाद्य स्थित

	लाख टनों में		
	अन्न	दालें	कुल योग
१. १९५३-५४ से १९५७-५८ में औसत वार्षिक उत्पादन	३१.९	९.६	४१.५
२. (१९५९) में जनता के लिए आवश्यकता	२३.७	४.६	२८.३
३. बीज, अपव्यय और पशु खाद्य	४.०	१.२	५.२
४. बचत १ (२+३)	४.२	३.८	८.०

वर्तमान प्रगति:—राजस्थान में विश्वसनीय आंकड़े सन् १९५३-५४ से प्राप्त होते हैं। वर्षा की अनियमितता के कारण उत्पादन एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बहुत अधिक कम ज्यादा होता रहता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सन् १९५३-५४ से त्रिवर्षीय परवर्ती माध्यम निकालकर तालिका १४ में दिए गऐ हैं। इनसे ज्ञात होगा कि राजस्थान में सन् १९५३-५४ से सन् १९५८-५९ के काल में अन्न २८ प्रतिशत गन्ना (गुड़) ३५प्रतिशत, तिलहन २० प्रतिशत, कपास ५० प्रतिशत अधिक पैदा हुआ।

उत्पादन बढ़ने के कारण

बोया गया क्षेत्रफल:—१९५३-५४ से १९५८-५९ में वास्तविक बोए गऐ क्षेत्रफल में १६ प्रतिशत और दुपज क्षेत्रफल में ११५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल पड़त और अन्य जोत रहित भूमि में खेती करने और दुपज क्षेत्रफल सिंचाई के साधन अधिक उपलब्ध होने के कारण बढ़ा।

पैदावार:—अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान में विभिन्न फसलों की पैदावार नहीं बढ़ी। वास्तव मे कई फसलें ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ना (गुड़) की औसत पैदावार इस काल में घटी है। ऐसा शायद नोतोड़ जमीन में खेती करने के कारण से हुआ। जौ, चना, मूंगफली की औसत उपज बढ़ी और गेहूं की लगभग उतनी ही रही (तालिका १२)।

योजना का प्रभाव:— ऐसा प्रतीत होता है कि योजना का कृषि उत्पादकता पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। पहली योजना में कृषि और सिंचाई की योजनाओं पर ३६ करोड़ रुपये खर्च हुए जिससे ७.६९ लाख एकड़ के लक्ष्य के स्थान पर ५ लाख एकड़ अधिक भूमि में सिंचाई की गई। दूसरी योजना के काल में प्रावधान बढ़ाकर ४५ करोड़ रुपये किया गया। इससे ८.१२ लाख टन अन्न, ६५,००० गांठे कपास, ४२,००० टन तिलहन, ६२,००० टन गन्ना (गुड़) का अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। किन्तु राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पावेगा। हां, कुछ ऐसी योजनाओं के कारण जो कि द्वितीय योजना के अन्तर्गत नहीं थी, विशेषतः भूमि सुधार कार्यक्रम से, अन्न उत्पादन लक्ष्य से अधिक बढ़ गया। सरकार का अनुमान है कि कपास, गन्ना और तिलहन का उत्पादन भी लक्ष्य से अधिक हो जावेगा।

भविष्य में विकास की संभावनाऐं:—भावी कृषि कार्य-क्रम के लिए निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

(अ) भूमि उपयोग की निश्चित नीति अपनाई जानी चाहिए ताकि भूमि सबसे अधिक लाभप्रद उपयोग में आसके।

(ब) फसल प्रतिरूप ऐसा होना चाहिए कि उपलब्ध साधनों का यथेष्ट प्रयोग करते हुए उपयुक्त फसलें बोई जावें।

(स) कृषि योजनाओं का उद्देश्य प्रति एकड़ फसल की पैदावार में बढोतरी करना होना चाहिए।

(द) पशुधन का विकास कृषि के साथ साथ होना चाहिए ताकि किसानों की कुल आमदनी अधिक से अधिक हो सके।

(य) कई क्षेत्रों में विकास की योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त नहीं है इसके लिए नए सर्वेक्षण और अध्ययन किए जावें।

(र) इस समय प्राप्त सुविधाओं जैसे सिंचाई का अनुकूलतम उपयोग किया जाने को प्रधानता दी जावे और ऐसी योजनाएँ यथा भूसंरक्षण और कृषि के उन्नत तरीके चालू किए जावें जिनसे कम खर्चे पर अधिक से अधिक लाभ हो।

भूमि उपयोगः—इस समय राजस्थान में गीले इलाके में ५६ लाख एकड़ कृषि योग्य बंजर और ३० लाख एकड़ पड़त भूमि है। इसमें से बहुत सारे हिस्से में संयुक्त खेती की जानी चाहिए। सूखे क्षेत्र में १२४ लाख एकड़ कृषि योग्य बंजर भूमि और १२० लाख एकड़ पड़त भूमि है। ऐसा लगता है कि कृषि योग्य बंजर भूमि में शायद रेगिस्तानी भाग भी शामिल कर लिया गया है। यह आवश्यक है कि भूमि उपयोग की विभिन्न श्रेणियां उनके वास्तविक उपयोग को देखते हुए फिर से बनाई जावे। जहां १० इंच से २० इंच तक वर्षा होती है वहां खेती सीमित मात्रा में की जावे। जहां १० इंच से कम वर्षा होती है वहां पर खेती नहीं करने दी जावे, ऐसे क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त हैं। चराई नियंत्रित रूप से की जावे और कृषि योग्य भूमि में घास लगाई जावे। संयुक्त खेती व बड़े पैमाने पर खेती को प्रोत्साहन दिया जावे।

फसल प्रतिरूपः—कृषि विभाग ने कुछ जिलों में भूमि उर्वरकता का सर्वेक्षण किया था। यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसा सर्वेक्षण समस्त जिलों में किया जावे और उसके आधार पर क्षेत्रवार फसल प्रतिरूप की सिफारिश की जावे। जहां पानी अधिक बरसता है वहां अन्न उपजाया जावे, सिंचाई के साधन प्राप्त होने पर अन्न की दो फसलें ली जावें और निरन्तर सिंचाई की व्यवस्था होने पर वाणिज्य फसलें बोई जावें। सूखे इलाके में चरी बोना लाभप्रद है। भले ही वहां सिंचाई के साधन प्राप्त हों। कोटा के क्षेत्र मे जहां सिंचाई की व्यवस्था है गन्ना, कपास और चावल की खेती की जावे और रेगिस्तानी इलाके में यदि संभव हो तो बड़े पैमाने पर खजूर बोए जावें।

नहरी सिंचाईः—राजस्थान में सालभर बहने वाली नदियां कम हैं। इनमें पानी इकट्ठा करने की क्षमता भी कम है। अतः सिंचाई में कुओं और तालाबों का बड़ा महत्व है। यहां पानी वर्षा ऋतु के केवल कुछ काल में ही बरसता है। तालाब की पाल

ऐसी बनानी होती है कि बरसाती बाढ़ को सह सके अतः यहां के तालाबों के निर्माण में अपेक्षाकृत कम खर्च होता है। तालाब से खेत तक जाने वाली नालियों में भी पानी रिसता है। फलतः सिंचाई महंगी पड़ती है। इसलिए किसान विद्यमान फसल प्रतिरूप में परिवर्तन नहीं करता। यही कारण है कि अभी भी अपेक्षाकृत गहन खेती नहीं होती है। स्पष्ट है कि एक तो ऐसे सिंचाई कार्यों को प्रधानता दी जावे जो गहन खेती के लिए पर्याप्त पानी दे सकें। दूसरे तालाबों और वहां से खेत तक जाने वाली नालियों से पानी रिसने से रोके जाने की भी व्यवस्था की जावे।

नहरों से पानी देने का काम पंचायत को दे दिया जावे और पानी की दरें पानी की मात्रा पर निर्धारित की जावें। किसानों को पानी का सदुपयोग, फसल प्रतिरूप और उन्नत कृषि के तरीकों के बारे में सलाह देने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जावें।

कूपों से सिंचाई:—राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र का ६४ प्रतिशत कूपों से सिंचित होता है। कूपों से सिंचाई के कई लाभ हैं। किन्तु समस्या यह है कि बिजली की कमी के कारण पम्प नहीं लगाए जा सकते। सुझाव दिया जाता है कि इंजन से चलने वाले पंप जो कि ट्रेक्टर द्वारा चलाए जा सकें, लगाए जावें। यह कार्य सहकारी संस्थाओं द्वारा संपादित किया जा सकता है। भूमिगत जल की प्राप्ति की संभावना राजस्थान में बहुत है। इस बारे में सर्वेक्षण करवाए जावें।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के अन्य साधन:—कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रसंग में यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से साधनों का प्रयोग किस समय और किस मात्रा में किया जावे ताकि उपज अधिक हो सके। इस दिशा में मुख्य तत्वों पर आगे प्रकाश डाला गया है।

कृषि प्रणालियां:—खेतों में पेड़ और कांस के उगने से भूमि में जल तत्व की मात्रा कम हो जाती है परिणामतः फसल का उत्पादन कम होता है। किसानों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जावे। यदि खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाए जावें तो उनसे न केवल जलाने की लकड़ी ही मिलेगी बल्कि आंधी और रेत को बढ़ने से रोकने में मदद भी मिलेगी। इस प्रयोग से ५ से १० प्रतिशत तक कृषि उत्पादन बढ़ता है। गंगानगर, पाली, और जोधपुर में यदि खेतों में समय पर जुताई कर दी जावे तो उपज २५ प्रतिशत तक बढ जाती है। मेड़ बन्दी और गहरी जुताई, लकीर बुआई और उथली नालियों से सिंचाई को अपनाया जावे।

सुधरे हुए औजार:—कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधरे हुए औजार उचित मात्रा में बांटे जावें। यद्यपि इनके उपयोग में वर्तमान से अधिक बैल शक्ति की आवश्यकता होगी।

बीज की समस्या:—बैल शक्ति बढ़ाने में चारे की समस्या सामने आती है, इसलिए ट्रेक्टर के उपयोग के अधिकाधिक चलन की आवश्यकता है। यह भी ज्ञात

हुआ है कि बैलों से खेती करने पर प्रति एकड़ ट्रैक्टर से दूना खर्च आता है। इस विषय में वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। और यदि यह बात सत्य सिद्ध हो जाय तो ट्रैक्टर से खेती को प्रोत्साहन दिया जावे। फिर अधिक दूध देने वाली नस्ल की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि खेती में मोटर का उपयोग किया जावे न कि मशीन का। ट्रैक्टर पशुओं के बजाय काम में लिए जावेंगे न कि मनुष्यों के बजाय। इससे मनुष्यों को मिलनेवाला रोजगार कम न होगा बल्कि मोटर चालकों की आवश्यकता होगी और रोजगार बढ़ेगा ही। सरकार को चाहिए कि प्रगतिशील किसानों और सहकारी समितियों को ट्रैक्टर खरीदने, उनके उपयोग संबन्धी प्राविधिक प्रशिक्षण देने और मरम्मत करने की सुविधाएं प्रदान करें। विकास खंडों में विकास अधिकारी की देखरेख में बहुत सारे ट्रैक्टर दिए जा सकते हैं। कुछ समय तक ट्रैक्टर से खेती करने वालों को अनुदान भी दिया जा सकता है। आरंभ में ट्रैक्टर गहरी जुताई एवं पानी खींचने के काम में लिए जा सकते हैं, शनैः शनैः उनका उपयोग बढाया जाये।

उन्नत बीज:—राजस्थान में गेहूँ, बाजरा, और कपास के उन्नत बीज का काफी प्रचलन हो गया है। फिर भी बाजरा और ज्वार, जो राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, के बीज सुधार की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्वार व कपास की ऐसी नस्ल निकाली जावे जो जल्दी फसल दे ताकि भूमि से दो फसलें ली जा सकें।

उर्वरक:—कृषि विभाग के अनुमान से तीसरी योजना में ३.८८ लाख टन नेत्रजन की आवश्यकता होगी जबकि तब तक कुल १.६८ लाख टन नेत्रजन आंगारिक खाद से प्राप्त हो सकेगा। एक उपाय तो यह है कि गोबर को खाद के काम में अधिक से अधिक लिया जावे और जलाने के लिए अन्य साधन काम में लिए जावें। यदि प्रयोग सफल हो तो खेतों की मेड़ पर दालचीनी के पेड लगाए जायें जिनसे अच्छी मात्रा में जलाने की लकड़ी मिले और जो आंधी रोकने के भी काम आवें। नेत्रजन की कमी को पूरी करने का दूसरा साधन हरी खाद है किन्तु यह योजना किसी क्षेत्र में विशेष अध्ययन के बाद लाभप्रद साबित होने पर ही चालू करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्र में यदि हरी खाद पर हल चला कर खेती की जावे तो उपज अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में दो फसलें लेने के बाद हरी खाद बोई जानी चाहिए। सूखे क्षेत्रों में हरी खाद देना संभव नहीं होगा।

फिर भी इन सब साधनों के बावजूद खाद की कमी पूरी नहीं हो सकेगी अतः भारी मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होगी। रासायनिक खाद के उत्पादन और उपयोग को प्रधानता देना आवश्यक है। किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार की खाद की आवश्यकता होगी यह जानने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होगी क्योंकि गलत खाद देने से फसलों को नुकसान होने की संभावना है।

पौध संरक्षण:—प्रति वर्ष १० से २० प्रतिशत पैदावार पौधों में बीमारी और कीड़ों के कारण नष्ट हो जाती है। किसानों को पौध संरक्षण से होने वाले फायदे समझाने की आवश्यकता है। यह भी प्रयत्न किया जावे कि पौध संरक्षण उपाय समूचे क्षेत्र की प्रत्येक फसल पर किए जावें। यदि कोई भाग छूट गया तो फिर बीमारी उन क्षेत्र में भी वापस फैल जायगी जहां ये उपाय किए जा चुके हैं। चिड़ियों, चूहों और अन्य जानवरों से खेतों और गोदामों में अनाज की होने वाली क्षति को कम करने की दिशा में भी जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

ग्राम्य अर्थ व्यवस्था की अन्य समस्याऐं:—राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि कृषि व्यवस्था को जल्दी से जल्दी केवल निर्वाह अवस्थिति से वाणिज्यस्तर पर ले आया जावे। इस प्रसंग में भूमि और प्राकृतिक साधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न फ़सलों के बोए जाने की स्पष्ट नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है। सूखे क्षेत्र में खेती सीमित रूप से की जावे और चरागाहों पर विशेष जोर दिया जावे। इसी प्रकार कोटा और उदयपुर जिलों में जहां पानी अधिक बरसता है गन्ना उगाया जावे, भाखड़ा और राजस्थान नहर क्षेत्र में कपास और तिलहन। भाखड़ा और राजस्थान नहर क्षेत्र में गन्ने की फसल को प्रोत्साहन नहीं दिया जावे क्योंकि वहां की प्राकृतिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं है। चम्बल के क्षेत्र में चावल को प्रोत्साहन दिया जावे।

कृषि उत्पादन बढाने के लिए किसानों को अधिक श्रम और धन लगाने की आवश्यकता होगी इसलिए उनको यह विश्वास दिलाया जावे कि कृषि वस्तुओं के भाव स्थिर रहेंगे। केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक और कम से कम भावों की दर पर मुख्य कृषि वस्तुओं के भाव निर्धारित कर देने चाहिऐं ताकि भावों में ज्यादा उतार चढाव न हो।

अच्छे गोदाम बनाए जावें मंडियों का विकास किया जावे और व्यापार सहकारी समितियों द्वारा करवाया जावे। राजस्थान में कार्यगत पूंजी की कमी से विशेष रुकावट आ रही है। राजस्थान के सहकारिता पर कार्यकारी वर्ग ने तीसरी योजना के अन्त तक किसानों और पशुपालन करनेवालों के ऋण की आवश्यकता ३६ करोड़ रुपये आंकी है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन और विशेष विकास ऋणों को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता ४४ करोड़ रुपये मानी जा सकती है। इसके समक्ष कुल कृषि उत्पादन इसका केवल १० प्रतिशत होगा जो कि अमेरिका (६६ प्रतिशत) और अल्जीरिया (५३ प्रतिशत) के मुकाबले में बहुत कम है। अभी किसान बोहरों से ऋण उधार लेते हैं, जिसका अधिक भाग अन्य कामों पर खर्च होता है और जो कुछ खेती के काम आता भी है उसमें ऋण की दर बहुत अधिक होने के कारण विशेष लाभ नहीं हो पाता। कृषि विकास के लिए सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की मात्रा काफी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ऋण समय पर सुविधापूर्वक मिल सके ऐसी व्यवस्था की जावे।

सहकारी वहुद्देशीय समितियों में किसानों को अपनी समस्त क्रियाओं में केवल एक ही समिति से वास्ता रखना पड़ता है अतः ऐसी समितियों से ऋण वसूली सहूलियत से हो सकती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि ऋण वस्तुओं के रूप में दिया जावे ताकि न केवल उसका उपयोग ही हो सके वल्कि किसान अपनी वचत से अपने अन्य आवश्यक साधन भी जुटा सके।

प्रसार और शिक्षा

[अ] प्रसार:—इस प्रतिवेदन में दिए गये सुझावों की कार्यान्विती की सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि किसानों को इस योजना के औचित्य पर विश्वास हो। यद्यपि राजस्थान में सामूहिक विकास खूब हो रहा है फिर भी अन्य राज्यों में पाए जाने वाली कमियां यहां भी हैं हीं। अभी ग्रामसेवक प्रमुख किसानों से मिल कर विषय विशेषज्ञों के लिए भूमिका तैयार करते हैं। वे प्रसार के तरीके वताते हैं और फिर ये किसान अन्य लोगों में इन तरीकों का प्रचार करते हैं। यदि ग्रामसेवकों की संख्या वढा दी जावे तो यह पद्धति अधिक कारगर होगी। राज्य में विकास की प्रतिकृति लगभग अनम्य है और ऊपर से आदेश देने और प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्यक्रम लचीला होना चाहिये। और स्थानीय साधनों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वनाया जाना चाहिए।

एक ही समय पर कई सारी योजनाएं चालू किए जाने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। यह उचित होगा कि जिले के कृषि और पशु अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने और प्रसार योजनाएं वनाने की स्वतंत्रता दी जावे। प्रत्येक जिले में मुखियाओं को २-३ माह का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम हो ये मुखिया लोग वापस आने पर गांव में चुनी हुई योजनाएं चालू करें जिसके प्रसार कार्यों के लिए इनको गांव के लक्ष्य पूर्ति होने पर कुछ धन राशि भी दी जावे। यह योजना राज्य में प्रचलित फसल प्रतियोगिता के साथ साथ चलाई जावे तो अच्छा होगा।

[व] शिक्षा:—इस समय हाईस्कूलों में कृषि का कोर्स अपर्याप्त है। माध्यमिक और निम्न स्तर के कृषि स्कूल खोले जाने वांछनीय हैं परंतु स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक शिक्षण क्रम अपनाया जावे ताकि ये लड़के अपने खेतों पर कृषि के उन्नत तरीके अपना सकें। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त लड़के ऐसे स्कूलों में भर्ती किए जा सकते हैं।

विकास के कार्यक्रम

[अ] सन् १९६१-७१ में कृषि विकास के प्रस्तावित कार्यक्रम:—
राज्य सरकार द्वारा तीसरी योजना के लिए तैयार किए गऐ विकास कार्यक्रम यथोचित हैं, फिर भी कुछ क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है।

उद्व्यय

सिचाई:—सिचाई के कार्यकारी वर्ग के अनुमान के अनुसार दूसरी योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने और नए कार्यों को हाथ में लेने में कुल व्यय ५३.५ करोड़ रुपये होगा। वितरण व्यवस्था में सुधार करने पर अतिरिक्त व्यय करना होगा। इस समय १३ लाख एकड़ कृषि भूमि में सुधार की आवश्यकता है। सात लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में और सिंचाई होने लगेगी। कुल मिला कर २० लाख एकड़ भूमि पर जल वितरण के लिए नहरों को पक्की करने में लगभग ४० करोड़ रुपये की लागत होगी। अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान नहर पूरी होने तक प्रति सिंचित एकड़ ५४४ रुपया खर्च होगा। १९७०-७१ के सिंचित क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए कुल लागत ९८ करोड़ रुपये पड़ेंगे। इस प्रकार सिंचाई के साधनों के विकास पर कुल खर्च १९१.५करोड़ रुपये होगा।

उत्पादन:—कृषि विभाग के अनुमान से तीसरी योजना पर कुल १८ करोड़ रुपये खर्च होंगे। १० वर्ष के समय में कुल खर्चा ४५ करोड़ रुपये हो जावेगा। इसके अतिरिक्त विकास खंडों में कृषि योजनाओं पर ९.३ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।

यदि भूमिगत जल सर्वेक्षण से अतिरिक्त सिंचाई कर सकना संभव हुआ तो कुओं द्वारा सिंचाई की योजना पर और अधिक लागत लगानी पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि विकास के लिए इस काल में ९ करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार इस मद पर कुल खर्च ६३.३ करोड़ रुपये बैठेगा।

अतिरिक्त व्यय:—पाली में पेकेज प्रोग्राम चालू कर दिया गया है, जहां समुचित प्रसार सेवाओं, व्यापारिक सुविधाओं गोदामों और जल व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सारे राज्य में १९७०-७१ तक ऐसी ही सुविधायें उपलब्ध करने में १०४.६ करोड़ रुपये व्यय आवेगा। इसमें गोदाम, संग्रहण, आवास और यातायात सुविधाओं का खर्च भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्राम मुखियाओं की कृषि शिक्षा पर ०.६२ करोड़ रुपये और ग्रामीण बालकों के माध्यमिक कृषि शिक्षा पर २ करोड़ रुपये उद्व्यय होंगे। विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों, सर्वेक्षणों आदि पर ३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

किसानों द्वारा नियोजन:—सन् १९६१-७१ के काल में ७६ लाख एकड़ में और खेती होगी। बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने आदि पर १०० रुपये प्रति एकड़ की दर से ७६ करोड़ रुपये का नियोजन होगा। इसी प्रकार रासायनिक खाद के कारखानों पर ५२ करोड़ रुपये का नियोजन होगा। अनुमान है कि राज्य के ११०.५ करोड़ रुपये के नियोजन पर किसानों को १३०.४ करोड़ रुपये और नियोजित करने पड़ेंगे।

ऋण:—राजस्थान नहर क्षेत्र में प्रति एकड़ ३० रुपये ऋण देने की आवश्यकता होगी। अन्य क्षेत्रों में ऋण का अनुमान पेकेज प्रोग्राम के आधार पर ५० रुपये प्रति एकड़ मान कर लगाया जा सकता है। इस प्रकार १२.६ करोड़ रुपये

राजस्थान नहर क्षेत्र में और १६४.६ करोड़ रुपये राज्य के अन्य भागों में ऋण के रूप में बांटे जाने की आवश्यकता होगी।

प्रतिवेदन में दिए गए कार्य-क्रम से लाभ

भूमि उत्पादकता:—उपरोक्त उपायों से १६६१-७१ के काल में लगभग ३० प्रतिशत कृषि उत्पादन बढ़ेगा ५० प्रतिशत गीले इलाके में और २५ प्रतिशत सूखे क्षेत्र में। प्रति एकड़ कृषि उत्पादकता गीले क्षेत्र में १८० रुपये हो जावेगी और सूखे क्षेत्र में ५८ रुपये (तालिका १६) सन् १६७१ में कुल कृषि उत्पादन ३२२ करोड़ रुपये का होगा।

भूमि सुधार:—सन् १६७०-७१ तक गीले क्षेत्र में ६४ लाख एकड़ और सूखे क्षेत्र में १२ लाख एकड़ में और खेती होने लगेगी। चालू उत्पादन को ध्यान में रखते हुए १६७०-७१ में अतिरिक्त कृषिउत्पादन गीले क्षेत्र में १०३.७ करोड़ रुपये और सूखे क्षेत्र में ८.३ करोड़ रुपये कुल ११२ करोड़ रुपये का होगा।

सिंचाई:—राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के अनुमान के अनुसार सन् १६७१ तक भाखड़ा व चम्बल से ६.६ लाख एकड़, राजस्थान नहर से १८ लाख एकड़ और अन्य योजनाओं से १६ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। इसके अतिरिक्त यदि इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित सुझावों के अनुसार जल वितरण व्यवस्था में सुधार किया गया तो लगभग ५५ प्रतिशत पानी की और बचत होगी अर्थात् ७ लाख एकड़ भूमि में और सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार १६७०-७१ तक ४७.६ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होगी। सिंचाई के कार्यों से १६७०-७१ तक कुल ५७.६ करोड़ का लाभ होगा।

इस प्रकार भूमि सुधार और उत्पादन कार्यों को मिला कर कुल ४६१.६ करोड़ रुपयों का लाभ होगा। अर्थात् ११.७ प्रतिशत प्रतिवर्ष का अधिक उत्पादन होगा। प्रति एकड़ १३५ रुपये का नियोजन किया जावेगा। यह कार्य-क्रम सम्पादित होना मुश्किल नहीं है। यदि फिर भी इस नियोजन में कमी करने की आवश्यकता अनुभव हो तो प्राथमिकता के आधार पर कटौती की जा सकती है। सिंचाई के जो कार्य अधूरे हैं वे पहले पूरे किए जावें और निर्माण कार्यों की अपेक्षा सुधार कार्य पहले हाथ में लिए जावें। कृषि के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जा सकता है।

कार्यक्रम का आर्थिक स्थिति पर प्रभाव:—इस कार्यक्रम के अनुसार १६६०-६१ से १६७०-७१ के काल में कृषि से उत्पादन २२७ करोड़ रुपये से बढ़कर ४६२ करोड़ रुपये हो जावेगा अर्थात् प्रति एकड़ ७४ रुपये से १२३ रुपये बढ़ जायगा। सन् १६७०-७१ तक ८० लाख टन अनाज, १८ लाख टन दालें, ८.५० लाख टन तिलहन, ४० लाख टन गन्ना(गुड़)और १६ लाख गांठें कपास पैदा होने लगेगा और ३६ लाख टन अनाज और ६ लाख टन दालें हमारी आवश्यकता पूरी होने के बाद बचेंगी।

अध्याय ३

पशुपालन

भूमिका:—पशुपालन राजस्थान में रेगिस्तानी भाग में एक मुख्य धन्धा व अन्य क्षेत्र में कृषि कार्य में सहायक उद्योग है। यह लघु उद्योगों, जैसे दूध बेचना, चमड़ा रंगना, हड्डी पिसाई, नमदे बुनाई आदि. का भी आधार है। राज्य आय का १२ प्रतिशत भाग पशुपालन से होता है। पशु एवं पशु पदार्थों का निर्यात राजस्थान से प्रति वर्ष लगभग २५ करोड़ रुपये से भी अधिक का होता है।

पशु:—सन् १९५६ की पशु-गणना के अनुसार राज्य में भारत के १०.६ प्रतिशत पशु, १९ प्रतिशत भेड़ें, १५.८ प्रतिशत बकरे तथा ५६ प्रतिशत से अधिक ऊंट थे। प्रति एक हजार व्यक्ति यहां १०४४ पशु थे, जबकि भारत में ७८३ किन्तु इनका प्रतिवर्ग मील घनत्व (२४५) भारत से (२६१) कम था। भारत के मुकाबले यहां गोजातीय पशुओं का अनुपात अधिक है। १९५१-५६ के काल में गोजातीय पशुओं में ५३.३ प्रतिशत और अविसदृश पशुओं में १५.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि भारत में यह वृद्धि क्रमशः ९.७ और २.४ प्रतिशत रही।

नस्लें:—यहां भारत की ९ प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। हरियाना, मेवात, राठ, कांकरेज, दुधारू और जोतने दोनों काम की नस्लें हैं। थार्पाकर, रठ और गीर, दुधारू और मालवी तथा नागौरी नस्लें जुताई के काम के लिये अच्छी हैं। भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली मुरे भैंसें भी पाई जाती हैं। विभिन्न नस्लों के जानवरों के द्वारा दिये जाने वाले औसत दूध का विवरण तालिका १८ में दिया गया है। बकरों की राजस्थान में ६ किस्में पाई जाती हैं ४ दुधारू: जमनापारी, बारबरी, अलवरी और सिरोही और २ मांस के काम की मारवाड़ी और लोई। भेड़ों की ८ किस्में पायी जाती हैं। उनमें से सबसे मुख्य चोकला नस्ल है और भारतीय मेरिना के नाम से प्रसिद्ध है। अन्य नस्लों से कालीन के काम की ऊन निकाली जाती है। ऊंट की नस्ल तो केवल यहीं पाई जाती है। सबसे अच्छे बीकानेरी और जैसलमेरी ऊंट होते हैं।

जोतने योग्य पशु:—सन १९५६ की गणना के अनुसार २५.४३ लाख पशु जुताई के काम में आरहे थे। प्रति १०० एकड़ बोये हुए क्षेत्र पर औसतन १२ जानवर जोत के काम आते थे।

अधिक वर्षा वाले भागों में प्रति जोड़ी जोता जाने वाला क्षेत्रफल उदयपुर में ३.४ एकड़ से लेकर अलवर में १३.८ एकड़ तक और सूखे क्षेत्र में पाली में १३ एकड़ से लेकर

चूरू में १७० एकड़ से भी अधिक है। वस्तुतः राजस्थान में भारवाहक पशुओं की कमी नहीं है। तालिका १९ में भारवाहक जानवरों एवं उनके जिलेवार उपयोग का विवरण दिया गया है।

दुधारू जानवर एवं दुग्ध उत्पादनः—सन् १९५६ में ६१.२८ लाख दुधारू जानवर थे। भारतवर्ष में प्रति १०० व्यक्ति ५ गायें और ३ भैंसे थीं जबकि राजस्थान में प्रति १०० व्यक्ति २५ गायें एवं १० भैंसें थी। फिर भी यहां प्रति पशु वार्षिक दूध उत्पादन (गाय और भैंस दोनों का) भारत के औसत से कम था जबकि भारत में यह औसत क्रमशः ३८२ और ११९७ पाउण्ड था। राजस्थान में क्रमशः ३२१ और ६६८ पाऊण्ड था। गायों और भैंसों का अनुपात भी राजस्थान में (२.५:१) भारत (१.९ : १) से अधिक था।

तालिका २० में राजस्थान में होने वाले दुग्ध उत्पादन का विवरण दिया गया है। यहां का ४८ प्रतिशत दूध गायों से, ४० प्रतिशत भैंसों से और शेष बकरियों से मिलता है। दूध और दूध से बने पदार्थों की प्राप्यता ८.१४ औंस प्रति व्यक्ति है जबकि भारत में ५.२७ औंस। कुल दुग्धोत्पादन का २/३ भाग घी और मक्खन में परिवर्तित किया जाता है। भारत में उत्पन्न होने वाले पशु पदार्थों का व्यौरा तालिका २१ में दिया गया है। तालिका २२ में पशु पदार्थों के आयात एवं निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं। निर्यात बहुधा रेलों द्वारा होता है। बम्बई, पंजाब एवं उत्तरप्रदेश में घी, ऊन, चमड़े और हड्डियों का निर्यात होता है और रंगी हुई खालों और चमड़ों का आयात इन राज्यों तथा मद्रास से होता है।

पशुधन की समस्यायें:—यद्यपि राजस्थान के सूखे इलाकों की जलवायु पशुपालन के लिये विशेष उपयुक्त है और यहां अच्छी नस्ल के जानवर पाये जाते हैं किन्तु फिर भी चारे की कमी के कारण पशु सुधार करने में बाधा आती है।

मरु भाग में चारे की विशेष समस्या है। राज्य में फसल आवर्तन इस प्रकार किये जाने की आवश्यकता है कि अन्न की उपज बढ़े और चारे की मात्रा भी। इस विषय में विशेष अध्ययन की भी आवश्यकता है।

चारे की कमी का एक कारण यह भी है कि किसान अपनी आवश्यकता के लिये अन्न पैदा करने के लिये सीमान्त भूमि पर भी, जोकि चारे की फसल पैदा करने के काम आ सकती है, खेती करने लगे हैं। दूसरा कारण है बूढ़े और बेकार जानवरों की बढ़ती हुई संख्या। राजस्थान में चारे की कमी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां प्रति पशु ३.९ एकड़ भूमि खेती के काम के लिये मिलती है जबकि केन्द्रीय निगरल क्षेत्र अनुसंधानशाला जोधपुर की राय में पश्चिमी राजस्थान में एक पशु को खिलाने के लिए १५ एकड़ चरागाह की आवश्यकता है।

१५ इंच से कम वर्षा वाले इलाके में चारे की समस्या और भी विकट है। ऐसे भागों में भेड़ पालन अधिक लाभप्रद है।

गत वर्षों में प्रगतिः—पहली पंचवर्षीय योजना में पशु सुधार पर कुल २५ लाख रुपये व्यय किए गए। दूसरी योजना में २.११ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मुख्य योजनाएं थी—आधार ग्राम योजना, भेड़ और ऊन सुधार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, गव्य शाला प्रक्षेत्र खोलना और पशुओं में बीमारियों की रोकथाम।

दूसरी योजना में सन् १९५९-६० के अन्त तक कुल प्रावधान का ३८ प्रतिशत व्यय किया जा सका। आधार ग्राम योजना, गव्य शाला विकास योजना, वृषभ प्रव्याजी योजना और भेड़ ऊन सुधार पर बहुत कम खर्च हुआ।

भावी सुधार की रूपरेखा

चारा:—राज्य में चारेकी समस्या को देखते हुए इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां पानी अच्छा बरसता है वहां अन्न की फसलों के साथ२ फसल आवर्तन द्वारा चारा उगाने का प्रोत्साहन दिया जावे। जहां २० इंच से कम पानी बरसता है चरागाहों का पुनर्स्थापन किया जावे और उनके कृष्य करण को सीमित किया जावे।

चरागाहों की समुचित व्यवस्था की जावे। चराई को भी व्यवस्थित किया जावे। बेकार वनस्पति को हटाते समय विशेष चौकसी रखी जावे कि भूमि का कटाव न हो। सुधरे हुए चरागाहों के चारों ओर प्राकृतिक बाढ लगा दी जावे। चरागाहों का उपादेयकरण और पुनर्स्थापन तकनीकी पर्यवेक्षण में हो।

यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५ प्रतिशत चरागाहों में प्रतिवर्ष सुधार होगा। इस गति से २०-२५ वर्षों में सारे राज्य में परिवर्तन लाया जा सकेगा।

बेकार जानवरों की संख्या में कमी करने के लिए पशु वध को प्रोत्साहन दिया जावे और उनका ऐसे इलाके में निर्यात किया जावे जहां उनकी आवश्यकता हो उदाहरणार्थ पाकिस्तान, जहां पशु वध को बुरा नहीं माना जाता।

नस्ल और दुग्ध उत्पादनः—अखिल भारतीय पशु प्रजनन नीति के अनुसार अभी ऐसे जानवर पाले जा रहे हैं जिनसे जुताई भी हो सके और दूध भी मिल सके किन्तु शंका यह है कि इस प्रकार की नीति दोनों ही दशाओं में उतनी अधिक सफल नहीं हो सकती जितनी कि पृथक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नस्लों को बढ़ावा देने की नीति। यंत्रों से खेती होने पर बैलों की आवश्यकता कम हो जायगी और किसान ऐसी गायें पालने की इच्छा करेंगे जिनसे दूध अधिक मिल सके। तब बैल निर्यात किए जा सकेंगे और गायों के लिए अधिक चारा मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में राजस्थान में गव्यशाला योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो सकेगी।

भैंस अधिक दूध देती है और उसका घी भी अधिक होता है। इसलिए भैंसों की नस्ल सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

बकरे भू-संरक्षण योजना की सफलता में बाधा पहुँचाते हैं। अतः राज्य की नीति यह होनी चाहिए कि इनकी संख्या में क्रमवद्ध कमी की जावे। बकरों की नस्ल में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उनको मांस के लिए पालने की।

भेड़ पालनः—१५ इंच से कम वर्षा वाले स्थानों में भेड़ पालन लाभप्रद है, न पशु पालन न खेती। यह महसूस किया जाता है कि खेती से पशुपालन और पशु पालन से भेड़पालन पर आने में अभी कुछ समय लगेगा। और उसके लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। नये भेड़पालन प्रक्षेत्र खोलने पड़ेंगे ताकि जनता को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जा सके।

विकास योजनाएंः—राज्य की तीसरी योजना में ४.४६ करोड़ रुपयों का प्रावधान पशुपालन क्षेत्र के लिए रखा गया। चौथी योजना में यह ५० प्रतिशत और अधिक होगा, इस प्रकार १९६१-७१ के समय में लगभग ११.१५ करोड़ रुपयों का नियोजन होगा। इससे पशुधन १० प्रतिशत बढ जावेगा और उतनी ही प्राप्य चारे की मात्रा। अधिक चारा मिलने से पशुधन में १० प्रतिशत और अधिक वृद्धि होगी अर्थात १९७१ में पशु उत्पादन का मूल्य २० प्रतिशत बढ जायगा। इस क्षेत्र से सन् १९७०-७१ में ७२.६ करोड़ रुपयों का उत्पादन होगा।

अध्याय ४

मत्स्य पालन

राजस्थान में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अब तक विकास दो कारणों से नहीं हो सका है। (१) यहां की जनता मुख्यतः शाकाहारी है और (२) भूतकाल में इस दिशा में विशेष प्रयत्न भी नहीं किए गये थे।

भारत के अन्य राज्यों के समान यहां तालाबों में मत्स्य संवर्धिनियां नहीं के बराबर हैं। सन १९५३ से राज्य में मत्स्य कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार मछली मारने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ताकि मत्स्य पालन के साधन सुरक्षित रखे जा सकें।

पिछले ५ वर्षों से राज्य की आय मछलियों से बढ़ती जा रही है। इनका विवरण तालिका २३ में दिया गया है।

तालाबी मछलियां:—राज्य के २६ जिलों में से १८ में मछलियां पाई जाती हैं या पाली जाती हैं। सन् १९६० में १२८ तालाबों के ठेके दिए गए। उस समय ५,००० मछुए इस धन्धे में लगे हुए थे। उनको या तो पकड़ी हुई मछलियों में हिस्सा दिया जाता था या बंधी हुई मजदूरी। तालिका २४ में सन् १९५९-६० में तालाबों से पकड़ी हुई मछलियों से होने वाली आय का व्यौरा है। रुके हुए पानी से सालाना लगभग १६५० टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। अनुमानतः राजस्थान में प्रति वर्ष लगभग २,००० टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनकी कीमत १६ लाख रुपये के करीब होती है। मछलियां पकड़ने के मुख्य स्थान नदियां और नाले हैं। अधिकतर तालाब नदियों से मिले हुए हैं। तालाबों में सन् १९५८ से मेजर कार्प और महसीर के बीज (अंडे) डाले गये हैं।

नदियों को मछलियां:—सन् १९५९-६० में नदी की मछलियों से राजस्थान को आमदनी रु० ५८,००० थी, यद्यपि अधिकतर नदियां तेज बहने वाली और मत्स्य पालन के अयोग्य हैं। नदियों में ५५० टन मछलियां मिलती हैं जो मुख्यतः कलकत्ता, दिल्ली आगरा में निर्यात करदी जाती हैं। मछलियों के तीन बाजार जयपुर में और तीन अजमेर में हैं जहां ये ठेके से बिकती हैं। इसके अलावा ८० नगरपालिका से अनुमति लेकर फुटकर बेचने वाले हैं। ३४ मछलियों के स्टाल हैं, जो प्रायः अजमेर, जोधपुर और जयपुर में हैं। राज्य में २,००० मछुओं के परिवार हैं जो जयपुर, भरतपुर और टोंक जिले में बसे हुए हैं। उनको गहरे पानी से निकालने का अनुभव नहीं है। तालाबों के ठेकेदार बाहर से मछुए लाते हैं। स्थानीय मछुओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से उनकी सहकारी समितियां बना दी गई हैं। इनके २६० सदस्य हैं। किन्तु यह सहकारी समितियां कार्यशील दृष्टिगत नहीं होतीं।

गत वर्षों के विकासः—पहली योजना में मत्स्य विकास का कोई प्रावधान नहीं था। दूसरी योजना में ६ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया। जिसमें से पहले चार वर्षों में केवल ३.६ लाख रुपये खर्च किए गए। प्रशिक्षित व्यक्तियों और यातायात के साधनों की कमी के कारण प्रगति बहुत धीमी रही।

विकास की संभावनाएं:—मछली पालन के विकास में मुख्य कठिनाई उपयुक्त मछलियों के अंडों, कुशल मछुओं और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है। यहां के व्यक्तियों में धार्मिक प्रवृत्ति और उनका शाकाहारीपन भी इस दिशा में रुकावट है। यद्यपि नदियों से होने वाले मत्स्य उत्पादन को भी बढाया जा सकता है किन्तु विशेष विकास तालाबों से होने वाले मत्स्य उत्पादन का हो सकता है।

मत्स्य योजनाः—तीसरी योजना में मत्स्य विकास के लिए रु० ३० लाख का प्रावधान रखा है। जिससे १२ मत्स्य प्रक्षेत्र खोले जावेंगे। २५० लाख छोटी मछलियां पानी में डाली जावेंगी और ४ बड़ी मछलियों के बाजार बनाए जावेंगे। ६ विकास खंडों में मत्स्य उत्पादन के लिए निर्देशक परियोजना चालू की जावेगी।

यद्यपि पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं है फिर भी अनुमान है कि ५ वर्षों में २,५०० एकड़ में मछलियों के अंडे डाले जावेंगे ताकि औसतन ५० लाख मछलियां प्रति वर्ष प्राप्त हो सकें। तीसरी योजना के अन्त तक सालाना उत्पादन २,५०० टन बढ़ जावेगा। किंतु यह लक्ष्य पूर्ण हो सकेगा इसमें संदेह है।

तालाबी मछलियांः—इस योजना को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए ताकि अंड प्रदाय बढ सके। प्राकृतिक साधनों से एकत्रित की गई छोटी छोटी मछलियों के अलावा मेजर कार्प, कामन कार्प और मिरर कार्प की भी नस्ल बढ़ाई जानी चाहिए।

विदेशी मछलियों का पालनः—मेजर कार्प की मांग को कम करने के लिए तालाबी मछलियों के विकास के सिलसिले में प्रस्तावित प्रक्षेत्रों में कामन कार्प के और माउंट आबू में ५६ एकड़ के छोटे प्रक्षेत्र में मिरर कार्प के अंडे पनपाये जावें। आबू वाले प्रक्षेत्र में ५० हजार रुपये से अधिक व्यय नहीं आवेगा। वैज्ञानिक तथ्यों के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि नदियों से पकड़ी जाने वाली मछलियों के उत्पादन में विशेष बढोतरी हुई है या नहीं और क्या बढ़ोतरी करना इच्छित भी है किन्तु यह निश्चित है कि यदि नदियों से मछली पकड़ने वाली समस्त ५० नावों को नाईलान की जालियां दे दी जावें तो उत्पादन कुछ बढ़ जावेगा।

सर्वेक्षण और अनुसंधानः—तुरन्त मेजर कार्प के अंडे देने का समय और उनके केन्द्रों में अधिकतम उत्पादन एवं अन्य बातों के सिलसिले में सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किया जावे।

अन्य सम्बन्धित समस्याएँ:—मछली पकड़ने के ठेके देते समय सरकार को इस बात का जोर देना चाहिए कि ठेकेदार उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कम से कम १० प्रति वर्ष की दर से स्थानीय मछुओं को रोजगार देंगे। मछुओं की सहकारी समितियां भी बनाई जावें और उन्हें ऋण और अनुदान आदि भी दिए जावें। यदि ५,००० मछुओं को भी अगले १० वर्षों में नाईलोन की जालियां दी गई तो ६-७ लाख रुपये से अधिक खर्चा नहीं आवेगा। इसका लगभग आधा नियोजन तीसरी योजना के लिए यथेष्ट होगा।

मछलियों की सुरक्षा, यातायात और व्यापार:—मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ की आवश्यकता होती है। अभी भी आवश्यक मात्रा में बर्फ का उत्पादन नहीं होता। तीसरी योजना में एक बर्फ का कारखाना टोंक में और एक भरतपुर में खोला जावे। शायद अगले ५ वर्षों में तीन कारखाने और खोलने पड़ें। ये सहकारी समितियों या पंचायतों को लीज पर दिऐ जावें और बाद में उन्हें ही बेच दिये जावें।

सीमेंट के फर्शवाले, जालीदार किवाड़ों व खिड़कियों के तथा पर्याप्त जल व्यवस्था वाले ६-७ मछली के स्टाल मुख्य केंद्रों पर बनाए जावें।

मत्स्य विभाग के प्राविधिक कार्यकर्ताओं को यथेष्ट प्रशिक्षण दिया जावे और मत्स्य अधिकारियों को अधिक उत्तरदायित्व तथा कार्यक्षेत्र सौंपा जावे।

प्रस्तावित कार्यक्रम का आर्थिक पहलू:—तीसरी योजना काल में ३३ लाख रुपये की पूंजी नियोजन करने की आवश्यकता होगी। यदि कर्मचारियों पर हुए आवर्तक खर्च प्रशिक्षण, बर्फ के कारखानों को चलाने में हुए खर्च आदि को भी ध्यान में रखा जावे तो चौथी योजना काल में नियोजन इससे भी अधिक करना पड़ेगा। नाइलोन की जालियां मछुओं को ऋण के रूप में दी जावेंगी। बर्फ के कारखाने आदि भी जब पंचायतों या सहकारी समितियों को बेचे जावेंगे तो राज्य सरकार की कुल लागत कम हो जावेगी।

तीसरी योजना के अन्त तक १६ लाख रुपये के मूल्य की २,००० टन मछलियां प्रतिवर्ष मिलने लगा करेंगी। चौथी योजना के अन्त तक उत्पादन बढ़कर ४,८०० टन अर्थात् ३८ लाख रुपये का हो जावेगा।

———

अध्याय ५

वन

राजस्थान में न केवल वनों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है, बल्कि इनका उत्पादन भी कम है। भारत के १७.५ प्रतिशत क्षेत्रफल में वन हैं जबकि राजस्थान के ४.२ प्रतिशत में। १९५५-५६ में भारत में वनों से प्रति एकड़ ४.०३ रुपया उत्पादन हुआ और राजस्थान में २.५५ रुपया।

राजस्थान में वन अधिकतर उत्तरपूर्व से दक्षिण पश्चिम जाने वाली ५० सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली पट्टी पर हैं। बांसवाड़ा जिले में कुल क्षेत्रफल के ३५.१ प्रतिशत में वन हैं (तालिका २५)।

जंगलात के बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और बारां डिविजनों में चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिविजन तथा भरतपुर डिविजन के सिरसका, झालावाड़ और अलवर वृत्तों में सूखे ऊष्णादेशीय वन और जोधपुर, जयपुर और अजमेर जिलों में सूखी झाड़ियां पाई जाती हैं। माउंट आबू पर सदा हरे पेड़ पाए जाते हैं।

उत्पादनः—६० प्रतिशत वनों में धोकड़ा, १२ प्रतिशत में सागवान और ६ प्रतिशत में साल पाया जाता है। अधिकतर जंगलों से जलाने की लकड़ी ही मिलती है। फिर भी वन विभाग के अनुमान के अनुसार आवश्यकता की केवल १० प्रतिशत लकड़ी ही मिलती है। ९० प्रतिशत आवश्यकता गोबर आदि जला कर ही पूरी की जाती है। धोकड़ा साल और सागवान के लगभग २,००० घन फीट उत्पादन में से अनुमानतः एक चौथाई इमारती लकड़ी होती है। इमारती लकड़ी की शेष आवश्यकता अन्य राज्यों के आयात से पूरी की जाती है।

मुख्य गौण उत्पादन घास और बांस हैं जिनका कि कुल गौण उत्पादन का आधा भाग (मूल्य में) होता है। इनके अतिरिक्त कत्था, गोंद, आंवल छाल, तेंदु की पत्तियां, महुआ और खस भी पैदा होते हैं। कत्था प्रतिवर्ष लगभग ३९५ टन पैदा होता है और केवल थोड़े से को छोड़ कर शेष कानपुर निर्यात किया जाता है। १९५५-५६ में ९१२० मन गोंद, १७,००० मन आंवल छाल, ७८००० मन तेंदू की पत्तियां पैदा हुई थीं। गोंद बम्बई, आंवल छाल बम्बई और मद्रास, तेंदू की पत्तियां अहमदाबाद निर्यात किए जाते हैं। केवल थोड़ासा भाग ही यहां स्थानीय उपयोग में आता है। महुए की स्थानीय शराब बनती है और खस का तेल।

वन आधारित उद्योगः—उपज ऐसी नहीं होती कि उनसे कोई उद्योग चलाया जा सके। केवल कुछ लकड़ी चीरने की मिलें और खिलौनों का गृह उद्योग उदयपुर, सवाई माधोपुर और करौली में विद्यमान है। बीड़ी और लकड़ी चीरने के उद्योगों में लगभग ८००-९०० व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

भूतकाल में उपेक्षाः—जबकि राजस्थान में रजवाड़े थे, राजाओं का ध्यान केवल शिकारगाहों पर ही रहता था। जंगलों को कटने और झड़ने से रोकने तथा उनसे उत्पादन बढ़ाने की ओर नहीं। स्थानीय लोगों को चराई और लकड़ी कटाई की विभिन्न प्रकार की छूटें दी जाती थीं। परिणामतः जंगल अनर्गल रूप से काटे जाते थे और उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सन् १९५० से इस दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ पिछले १० वर्षों में काटे गए जंगलों में अब बकरियां चरने नहीं दी जातीं और १३ में से ३ डिविजनों मे वर्किंग प्लान बन चुकी हैं, ७ की बन रही है।

विकासः—पहली योजना में वन और भूमि संरक्षण पर २८.१२ लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था। जिसके समक्ष २६.३७ लाख रुपये वन विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर खर्च किए गए। ऐसा खयाल है कि ये प्रयत्न बहुत अधिक क्षेत्र पर किए गये। अतः वास्तव में पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। प्राविधिक कर्मचारीगणों की भी कमी थी। दूसरी योजना में १८२ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया। दूसरी योजना काल की उपलब्धियां तालिका २६ में दी गई हैं। वन विकास के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

विकास की संभावनाएं:—तीसरी योजना में वनों के लिए २४५ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है। मुख्य योजनाओं के लक्ष्य तालिका २७ में दिए गए हैं। १९६१-६६ के काल में ग्राम्य वनों के लिए आवश्यक अधिकतर योग ग्रामीणों के श्रमदान से प्राप्त होगा। सागवान के जंगलों के पुनरुद्धार पर खर्च पिछली योजनाओं के मुकाबले में (१०.९ लाख रुपये से २२ लाख रुपये) बढ़ने की संभावना है। वनों का बन्दोबस्त और सीमांकन तीसरी योजना के अन्त तक समाप्त हो जावेगा। चरागाहों पर दूसरी योजना के १.९६ लाख रुपये के मुकाबले में १३.५ लाख रुपये खर्च किए जावेंगे। जो मुख्यतः उनके तारों की बाड़ लगाने पर खर्च होगा। दालचीनी की विभिन्न जातियों के पेड़ भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगाने के प्रयोग किए जा रहे हैं। औषधि के रूप में महत्वपूर्ण पेड़ों के उगाने पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। तीसरी योजना काल में शोध-कार्य व प्रयोगों पर ४.३१ लाख रुपये खर्च किए जावेंगे।

भविष्य के उद्देश्यः—हमारी तीन मुख्य समस्याएं हैं (१) भूमि के कटाव और रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए जंगलों की कमी। (२) बहुत सारे जंगली क्षेत्र का घटिया किस्म का होना। (३) वनों की वैज्ञानिक व्यवस्था में विरोध जैसे कि बकरियों

द्वारा चरे जाना, ठेकेदारों को बहुत अधिक हक दे देने के कारण वनों का दुरुपयोग आदि। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में उद्देश्य यह होना चाहिए कि वन क्षेत्र बढ़ाया जावे ताकि न केवल रेगिस्तान को बढ़ने से रोका जावे बल्कि हमारी वनों से आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। उनका सीमांकन किया जावे और वैज्ञानिक ढंग से उनका उपयोग किया जावे। वन्य उत्पादन और उनके प्रयोग के विषय में शोध कार्य किया जावे और वनों पर आधारित उद्योग बढ़ाए जावें।

१९६१-७१ के लिए कार्यक्रमः—वन नीति प्रस्तावों के अनुसार पहाड़ों में ६० प्रतिशत और मैदानों में २० प्रतिशत क्षेत्रफल में वन होने चाहिएं। इस आधार पर राजस्थान में अभी तक ५,५०० वर्ग मील के स्थान पर ३६५०० वर्गमील में वन होने चाहिएं। वन लगाने पर २०० रुपये प्रति एकड़ औसतन खर्च आता है। इसके अतिरिक्त और भी अधिक संगठन और शोध कार्य भी करना होता है। वनों के पुनरुद्धार पर कम व्यय होता है और जल्दी फल मिलता है। इसलिए १९६१-७१ के दशाब्द में वन पुनरुद्धार की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नहरी इलाके में आर्थिक महत्व के वन बढ़ाए जावें और प्रयोगात्मक वन योजना चलाई जावे। सन् १९६१-७१ तक के लक्ष्य तालिका २८ में दिए गए हैं। रेगिस्तान से बचने के लिए वन मुख्यतः रेगिस्तानी इलाके में लगाए जावें।

पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के वनों की पूरी एक कतार हो ताकि शेष भाग का हवा और रेत से बचाव हो सके। इन स्थानों पर कुमठा और खेजड़ा उपयुक्त हैं क्योंकि इनको पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से भी सहायता लेनी चाहिए क्योंकि रेगिस्तान को रोकना एक राष्ट्रीय समस्या है।

वाणिज्य वनारोपणः—राष्ट्रीय परिषद् के सुझाव के अनुसार १९६१ से १९७१ के दशाब्द में ४७ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि इसके ५ प्रतिशत में औद्योगिक वन लगाए जावें, जिनमें अधिकतर सलार, शिशु, मोलबेरी, बबूल, कुमठ आदि के पेड़ उगाए जा सकते हैं।

सूखे क्षेत्र में ईंधन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए और भू-संरक्षण के लिए प्रक्षेत्र वन विधा को प्रोत्साहन दिया जावे। ३.६० लाख एकड़ में अगले १० वर्षों में प्रक्षेत्र वन विधा की योजना चालू करनी होगी। तीसरी योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे वे अब बहुत कम कर दिए गए हैं। इसलिए चौथी योजना में विशेष कार्य करना पड़ेगा। इसमें पंचायतों और सामुदायिक विकास प्रशासन से भी योगदान लिया जावे।

पुनर्संस्थापनः—उन्मूलित वनों के पुनर्संस्थापन को विशेष प्राथमिकता दी जावे। १९७१ तक २.९८ लाख एकड़ बांसवाड़ा के उन्मूलित वनों का पुनर्संस्थापन किया जावे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तीसरी योजना के लक्ष्य भी पूरे करने होंगे और शेष

कार्य चौथी योजना में पूरे करने होंगे। इनमें से २७ हजार एकड़ में पुनर्रोपण करने की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त राज्य के वन विभाग द्वारा प्रशासित क्षेत्र में ७,५०० वर्गमील परिभ्रंशित (क्षत) क्षेत्र में अविवेकपूर्ण चराई और समुपयोजन रोकने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में जो कि वनरोपण के अनुकूल है सन् १९६१-७१ के काल में नहर के किनारे-किनारे ८०० मील तक वन लगाने की सिफ़ारिश की जाती है।

उपरोक्त योजनाओं से सुदीर्घकाल में लाभ होगा, अगले १० वर्षों में तुरन्त लाभ होने की आशा नहीं है।

वैज्ञानिक समुपयोजन:—राज्य में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के दृष्टिकोण से विद्यमान वन स्रोतों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक समुपयोजन की नीति अपनाई जानी चाहिए। बकरियों और ऊंटों के चरने से जंगल परिभ्रंशित (क्षत) हो गए हैं, इनके नियन्त्रण को प्राथमिकता दी जावे। अंततोगत्वा ग्राम्य चरागाहों में चारा उपजाना होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि ३७,५०० एकड़ वनों में और ३ लाख एकड़ ग्राम्य चरागाहों में अगले १० वर्षों में सुधार किया जावे।

दूसरे, सीमांकन व बन्दोवस्त पूरा किया जावे, कार्यशील योजना बनाई जावे और राज्य के सारे वनों का उपयोजन जल्दी से जल्दी राज्य के वन विभाग द्वारा किया जावे। सीमांकन व बन्दोवस्त का काम बहुत कुछ हो चुका है, इस पर तीसरी योजना में ४.३९ लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

क्षत वनों में झाड़ियाँ लगाने की चालू पद्धति जारी रखी जा सकती है, किन्तु कुछ भाग ८० वर्ष के परावर्तन पर उन्नत वनों में बदला जाने के लिए रखा जावे।

तीसरी योजना में १०.३६ लाख रुपयों की लागत से वनों में ६५० मील कच्ची सड़कें बनाने का प्रस्ताव है, फिर चौथी योजना में और सड़कें बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपभोक्ताओं के हक़:—तीसरे, वन सम्बन्धी अपराधों को रोकने में पंचायत समितियों से योगदान लिया जावे। उद्देश्य यह रहना चाहिए कि सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ता जावे।

वन प्रशासन:—विद्यमान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है। एक अतिरिक्त मुख्य सुधारक (कन्जरवेटर) की भी नियुक्ति करने पर विचार किया जावे। कम से कम ४ सब-डिवीजन और खोलें जावें और राजस्थान नहर मण्डल के मास्टर प्लान की सिफ़ारिशों पर अमल किया जावे।

उत्पादनः—सन् १६६१ से १६७१ के काल में उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन नगण्य होगा। केवल बांसवाड़ा में सागवान का कुछ उत्पादन बढ़ेगा और कुछ घास और गोंद का।

सिफ़ारिश की जाती है कि कोटा में स्थानीय उपलब्धियों के कारण स्ट्रा-बोर्ड की फ़ैक्ट्री २५ लाख रुपये की लागत की खोली जा सकती है। अलवर में, जहां कि लगभग १० हजार सिलार वृक्ष प्रतिवर्ष उपलब्ध हैं, एक मध्यम श्रेणी का खोखे बनाने का प्लांट खोला जा सकता है। बांसवाड़ा में संयुक्त लकड़ी उद्योग खुलने की संभावना है। और भी पेड़ों की छाल, गोंद और कत्ये पर आधारित छोटे-मोटे उद्योग खोले जा सकते हैं।

नियोजन और उद्व्ययः—वन विकास के कार्यक्रम पर होने वाले नियोजन का विवरण तालिका २६ में दिया गया है। केवल तीसरी योजना में इसके अतिरिक्त ८० लाख रुपये सीमांकन, बन्दोबस्त, वनरक्षण और प्रशिक्षण पर व्यय होंगे। अनुमान है कि लगभग ३०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

उपसंहारः—उपरोक्त कार्यक्रम, सम्पादित होने पर, राजस्थान में वन जलवायु पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले और लकड़ी आदि की आवश्यकता पूर्ति करने वाले मूल्यवान प्राकृतिक साधन साबित होंगे, यद्यपि इन पर आधारित बड़े उद्योग नहीं खुल सकेंगे।

अध्याय ६

खनिज

राजस्थान खनिज पदार्थों का भण्डार कहा जाता है। कुछ का तो यहां देश में एकाधिकार ही समझो और कुछ देश में अधिकतर यहीं पाये जाते हैं। फिर भी खनिज उद्योग की दृष्टि से यह राज्य पिछड़ा हुआ है। कारण कि आधारभूत खनिज का यहां अभाव है। बहुतसे खनिज पदार्थों की प्राप्यता का अभी तक यहां ज्ञान ही नहीं है अतः उनके आर्थिक समुपयोजन के कार्यक्रम के पहिले विस्तृत सर्वेक्षण करने पड़ेंगे।

वर्तमान उत्पादनः— सन् १६५८ में राजस्थान में ५.७ करोड़ रुपये का खनिज उत्पादन हुआ, इसमें से ३७ प्रतिशत इमारती पत्थर, १२.६ प्रतिशत नमक, १२.७ प्रतिशत सीसा और जस्ता, १२ प्रतिशत अभ्रक और ६.५ प्रतिशत खड़िया मिट्टी थी। विशेष विवरण तालिका ३० में दिया गया है। इमारती पत्थर के अलावा अन्य खनिज जिनमें कि राजस्थान को एक प्रकार से एकाधिकार प्राप्त है मुख्यतः निर्यात किये जाते हैं। तालिका ३१ में राजस्थान की भारत में खनिज के दृष्टिकोण से स्थिति बताई गई है। अभ्रक के उत्पादन में यह राज्य केवल बिहार से पीछे है। तालिका ३७ में देशके ज्ञात भण्डारों के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति समझाई गई है। यहां ६२ प्रतिशत खड़िया, ४० प्रतिशत तांबा और १७ प्रतिशत चूना पाया जाता है।

क्षेत्रीय असमताः— सन् १६५१ में २५,६४१ व्यक्तियों को खनिज उद्योगों में रोजगार मिला। इनका जिलेवार आवंटन तालिका ३२ में दिया गया है। भीलवाड़ा में अभ्रक और सेलखड़ी, कोटा में चूना और इमारती पत्थर और जोधपुर में जिप्सम और इमारती पत्थर, उदयपुर में सीसा जस्ता और पन्ना, नागौर में नमक और इमारती पत्थर, जयपुर में नमक, अभ्रक और कच्चा लोहा, बाड़मेर और बीकानेर में खड़िया मिट्टी पाई जाती है।

खनिज मजदूरः—अधिकतर खनिक स्थानीय क्षेत्रों में ही मिल जाते हैं। परन्तु केवल अभ्रक खानों में बिहार से कुशल खनिक बुलाये जाते रहे हैं किन्तु अब स्थानीय व्यक्ति भी इसमें कुशलता प्राप्त करने जा रहे हैं। खनिज क्षेत्र में खनिकों के लिये मजदूर महंगे और मुश्किल से मिलते हैं। खानों में मशीनों से काम न होने के कारण मजदूर अधिकतर अकुशल ही हैं। अभ्रक की कटाई के लिये उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना है।

उत्पादकताः—तालिका ३३ में सन् १६५५ में विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न खनिज पदार्थों के लिये प्राप्त प्रति व्यक्ति उत्पादकता दी गई है। सिलीमनाइट, सीसा, जस्ता

और अभ्रक के अतिरिक्त अन्य खनिजों का ओपन कास्ट पद्धति से उत्पादन होता है। इस पद्धति से उत्पादकता अधिक होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिक वर्षा के कारण खान के काम व उत्पादन में विक्षेप होता है। किन्तु राजस्थान में कम वर्षा होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं आती। इसके कारण भी यहां की खानों की उत्पादकता अधिक है।

खनिज उद्योगः— राजस्थान में एकीकरण के पूर्व खानों को पट्टे पर उठाने की कोई एक नीति नहीं थी। एकीकरण के बाद खनिज एवं भूगर्भ के लिये राज्य में एक अलग महकमा कायम हुआ। खानों के लिये रियायतें देने के लिये नये नियम बने। इस काल में खानों के पट्टे उन जगहों के लिये दिये दिखते हैं जहां पर अपर्याप्त अन्वेषण हुआ था। इसीलिये जबकि खानों के पट्टे की संख्या पिछले वर्षों में जितनी बढ़ी है उतना उत्पादन नहीं बढ़ा। खनिज रियायत नियमों में संशोधन करने पर इस स्थिति में कुछ सुधार हो गये।

आधुनिक प्रवृत्तियां:—सन् १९५१ से खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई है। अधिकतर वृद्धि इमारती पत्थर के उत्पादन में हुई। इसका एक कारण यह भी है कि इमारती लकड़ी की कमी के कारण पत्थर की मांग अधिक है। चीनी और कांच के बर्तनों की मांग राज्य के बाहर भी बहुत बढ़ गई है। इसलिये केल्साइट, सफेद मिट्टी, कांच बनाने की मिट्टी आदि का उत्पादन बढ़ा। सिन्दरी में खाद का कारखाना खुलने और सीमेंट के कारखानों में विशेष मांग होने के कारण खड़िया मिट्टी का उत्पादन बढ़ा।

फिर भी, विशेषकर लिगनाइट, कोयला और अभ्रक का उत्पादन घटा क्योंकि उत्पादन की लागत महंगी पड़ती थी।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:—सरकार कुछ वर्षों से अनुसन्धान के कार्यों में रुचि ले रही है। ठेके और रियायतें देने के नियम भी बनाए गए हैं। सन् १९५५-५६ से ठेकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। (तालिका ३४) पहली योजना में खनिज विकास का कोई प्रावधान नहीं था। दूसरी योजना में ४०.१५ लाख रुपये का प्रावधान था जिसमें से पहले ४ वर्षों में ४ प्रतिशत से भी कम व्यय हुआ, कारण कि खनिज विकास के लिए आवश्यक मशीनें विदेशों से मंगवाने में दिक्कत रही।

१९६१-७१ में खनिज विकास की सम्भावनाएं:—तालिका ३७ में राजस्थान में अनुमानित खनिज भंडार का विवरण संक्षेप में दिया गया है। जिनके बारे में ज्ञान है उनके समुपयोजन के विषय में इस प्रतिवेदन में सुझाव दिए गए हैं। उन पर आधारित उद्योग खोले जा सकते हैं। भविष्य में राजस्थान के विकास में अलोह धातुओं का महत्वपूर्ण स्थान होगा।

धातु खनिज सीसा और जस्ता (केड़मियम और चांदी सहित):--उदयपुर जिले में मोचिया मोगरा पहाड़ी पर ४५ लाख टन से लेकर ८० लाख टन तक सीसा और जस्ते का भंडार है। इसके पास ही के क्षेत्र में और ६० लाख टन मिलने के समाचार हैं। अभी ७ हजार टन सीसा और १० हजार टन जस्ता निकाला जाता है। जस्ते का कच्चा माल जापान भेजा जाता है क्योंकि भारत में कच्चे माल से जस्ता निकालने की प्रक्रिया नहीं की जाती। तीसरी योजना के अन्त तक जावर की खानों से १,५०० टन प्रतिदिन और कच्चा माल निकलने लगेगा। जावर पर कल्याणकारी संयंत्र का विस्तार करने और उदयपुर में एक नया जस्ते का संयंत्र लगाने की योजना है। जिस पर १५० लाख रुपया नियोजित होगा। चौथी योजना में ४०० लाख रुपये के अतिरिक्त नियोजन से ४-५ हजार टन प्रतिदिन अधिक उत्पादन होने लगेगा। कच्चे माल से जर्मेनियम और इंडीयम निकालने के लिए भी खोज की जावे तथा अनुसंधान किया जावे।

ताम्बा:—भारतीय खनिज विभाग खेतड़ी के पास ताम्बे के लिए खोज कर रहा है। यद्यपि खेतड़ी में पाया जाने वाला ताम्बा निम्न श्रेणी का है किन्तु फिर भी, चूंकि देश में सन् १९६१ तक ५५ हजार टन ताम्बे की आवश्यकता के मुकाबले केवल १० हजार टन ताम्बे का उत्पादन होगा, खेतड़ी की खान चालू की जावे ताकि विदेशी विनिमय बच सके। सुझाव दिया जाता है कि पहले २.५ ग्रेड़ वाला ४ लाख टन और बाद में १.५ ग्रेड वाला ७ लाख टन कच्चा माल निकाला जावे।

कच्चा लोहा:—राजस्थान में जयपुर जिले में मोरीजा और उदयपुर में नाथरा का पुल पर ही कच्चा लोहा मिलता है। और वह भी बहुत कम। दोनों जगह लगभग १६ लाख टन का भंडार है। एक संभावना तो यह है कि अन्य देशों से आई बहुत मांग को देखते हुए कच्चा माल निकाल कर बाहर भेज दिया जावे, दूसरी संभावना यह है कि राज्य में लोहे के छोटे कारखाने खोले जावें। दूसरा सुझाव अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्योंकि इससे राज्य में इंजीनियरिंग उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। किंतु राजस्थान में कोयले की कमी होने के कारण ये कारखाने बिजली से चलाने पड़ेंगे और २ न० पै० प्रति घंटे की दर से कम पर जब तक बिजली न मिले यह लाभदायक नहीं होगा। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पाइलट प्लान्ट परीक्षण करने के बाद जयपुर में एक छोटासा कारखाना खोल दिया जावे।

मेंगनीज:—मैंगनीज मुख्यतः बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पाया जाता है। राज्य में लगभग ४० लाख टन मैंगनीज है, पर यह सब तीसरी श्रेणी का [४५ प्रतिशत] है। अभी विस्तृत नमूने बनाने और कल्याणकारी परीक्षण करने की आवश्यकता है।

अधातु खनिज

जिप्सम:—भारत में पाए जाने वाले ४६८० लाख टन जिप्सम में से लगभग ४२३८ लाख टन राजस्थान के ४ जिलों में पाया जाता है। यह बीकानेर, जैसलमेर और

जोधपुर में ऊपर ही मिल जाता है जब कि नागौर में १८५ फीट से लेकर ४६५ फीट नीचे तक। जिप्सम सीमेंट, खाद, रंग और कागज आदि के कारखानों में काम आता है। सिंदरी के खाद कारखाने में प्रतिवर्ष ५,५०,००० टन की खपत होती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के प्रस्तावित कारखानों में प्रतिवर्ष ६,४०,००० टन की मांग होगी। अनुमानतः १९५५-५६ तक अतिरिक्त ८.४० लाख टन और १९७०-७१ तक और एक लाख टन जिप्सम की राजस्थान से पूर्ति करनी पड़ेगी। नागौर में खनिज कार्य में गहराई के कारण लागत अधिक आवेगी अतः सारा उत्पादन शेष तीन जिलों में करना पड़ेगा।

चूना पत्थर:—राजस्थान में चूना पत्थर अनुमानतः ३०० करोड़ टन है। अधिकतर यह इमारत बनाने के काम में आता है। उद्योगों के सिलसिले में दिए गए सुझावों के अनुसार सीमेंट के कारखानों के लिए ५.८० लाख टन, सोडा एश प्लांट के लिए ०.९९ लाख टन और कांच और केल्शियम कार्बाइड के कारखानों के लिए ०.२६ लाख टन कुल ७.०५ लाख टन अतिरिक्त चूना पत्थर की आवश्यकता होगी। चौथी योजना के अन्त तक ६.४७ लाख टन की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इसके लिए ६७ लाख रुपये नियोजित करने पड़ेंगे।

अभ्रक:—राजस्थान में पाये जाने वाले अभ्रक में से ४० प्रतिशत निकाला जाता हैं वह भी अकसर निम्न कोटि का होता है। गहराई पर अच्छी किस्म का अभ्रक निकलता है। खानों पर उत्पादन में मशीनों से काम कम लिया जाता है। कुशल कारीगरों की भी कमी है। यहां से निकला हुआ खनिज कटाई के लिए बिहार भेजा जाता है। वहां से उसका अमरीका में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार राजस्थान को सीधा व्यापार करने की सुविधा नहीं है। यातायात और बिजली की कमी एक दूसरी असुविधा है। भविष्य की मांग को देखते हुए अभी के ७ हजार टन के उत्पादन को बढ़ा कर १९७०-७१ तक १३,५०० टन करना होगा। इसमें मशीनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। और सन् १९७०-७१ तक कुल २० लाख रुपयों का नियोजन करना पड़ेगा।

नमक:—सांभर झील में लगभग ५ करोड़ टन नमक होने का अनुमान है। सांभर और डीडवाना की झीलों के बारे में यह जानने की आवश्यकता है कि प्रतिवर्ष निकाले जाने वाले नमक की प्रतिपूर्ति के साधन इस झील में हैं या नहीं। प्रस्तावित सोडा एश और कास्टिक सोडा एश के कारखाने लगाने पर नमक की मांग और भी बढ़ेगी। तीसरी योजना के अन्त तक १.६० लाख टन और चौथी योजना में अतिरिक्त ०.७६ लाख टन की आवश्यकता होगी। इतना उत्पादन करने के लिए रुपये ७३ लाख नियोजित करने पड़ेंगे।

फ्लोराइट:—इस धातु का देश में सबसे बड़ा भंडार डूंगरपुर जिले में मांडोली पाल पर पाया गया है। सीकर जिले में चापोली में भी फ़्लोराइट पाया जाता है। स्टील और अल्यूमिनियम के उद्योगों के विकास होने पर देश में फ़्लोराइट की मांग और भी अधिक बढ़ जायगी। अभी बहुत सारा फ़्लोराइट निर्यात किया जाता है। यह सुझाव

दिया जाता है कि राजकीय खनिज निगम के अन्तर्गत २०० टन प्रति दिन उत्पादन किया जावे। सन् १९७०-७१ तक यह क्षमता बढ़ा कर ४०० टन प्रति दिन करदी जावे।

फेल्डस्पारः—यद्यपि भारत में राजस्थान फेल्डस्पार का मुख्य उत्पादक है फिर भी यहां का उत्पादन पड़ोसी राज्यों के चीनी के वर्तन बनाने के उद्योगों में खप जाता है। चीनी उद्योग की मांग के साथ फेल्डस्पार की मांग भी बढ़ती जा रही है। अभ्रक की खानों में यह गौण उत्पादन की तौर पर मिलता है। अतः इसके लिए अतिरिक्त नियोजन की आवश्यकता नहीं है।

तालकः—देश का ९० प्रतिशत तालक राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर और उदयपुर जिलों से और कुछ कुछ सवाई माधोपुर और सिरोही जिलों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सौन्दर्य प्रसाधन और दवाई के उद्योगों में होता है। लिगनाईट बनाते समय जो कच्चा पदार्थ निकाल दिया जाता है उसकी मात्रा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में तालक की मांग बहुत बढ़ जायगी। इसका उत्पादन भी सामान्य रूप से बढ़ेगा।

इमारती पत्थरः—इमारती पत्थर राजस्थान के खनिज पदार्थों में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। खानें सड़कों से दूर दूर होने के कारण इस उद्योग में कठिनाई आती है। यद्यपि संगमरमर की खानों तक सड़कें बन गई हैं, फिर भी अन्य खानों तक सड़कें बनाने की आवश्यकता और साथ ही बिजली पानी की सुविधाएं तथा पत्थर पर पालिश करने के प्रसाधन प्रदान करने की आवश्यकता है। अनुमान है कि सन् १९७०-७१ तक संगमरमर का उत्पादन ८० हजार टन और बालू पत्थर का ९ लाख टन तक बढ़ जायगा।

स्फटिक और कांच बनाने की बालूः—बीकानेर, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में २ करोड़ टन से भी अधिक कांच बनाने की बालू मिलती है। स्फटिक अजमेर, जयपुर और सिरोही में भी पाया जाता है। राज्य में प्रति वर्ष २०,००० टन (केवल यू० पी० से कम) कांच बनाने की बालू और स्फटिक का उत्पादन होता है। उसमें से करीब १ हजार टन धोलपुर ग्लास वर्क्स में खपता है और शेष यू० पी०, पंजाब और बम्बई में निर्यात किया जाता है। बीकानेर के लिये प्रस्तावित शीट ग्लास फैक्ट्री को ध्यान में रखते हुए सन् १९७०-७१ तक कांच बनाने की बालू की मांग ३६,००० टन तक हो जावेगी। अन्य राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए सन् १९६५-६६ में कच्चे माल का उत्पादन ३८ हजार टन तक और १९७०-७१ तक अतिरिक्त ४२,००० टन बढ़ाया जाना चाहिये।

अस्बस्टासः—यह भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर जिलों में पाया जाता है। इसका क्रमबद्ध सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है।

बेराइट्सः—मुख्यतः यह अलवर और भरतपुर जिलों में पाया जाता है। ८० हजार टन बेराइट्स निकलने का अनुमान है। इसकी किस्म का मूल्यांकन और उसको उच्च श्रेणी का बनाने की जांच करने की आवश्यकता है।

वेन्टोनाइटः—यह विशेषकर बाड़मेर और थोड़ा बहुत बीकानेर और करौली में पाया जाता है। यह तेल के उद्योग में काम आता है। एक अनुमान से राजस्थान में ११ लाख टन और दूसरे अनुमान से ११० लाख टन वेन्टोनाइट की सम्भावना है। भिन्न भिन्न अनुमानों को देखते हुए राज्य के भण्डार के स्वेकिंग इंडिसेज की टर्म्स में जानने की आवश्यकता है।

कैलसाइटः—यद्यपि कैलसाइट का उपयोग शक्कर, चमड़ा रंगाई, रबड़ और सूती कपड़े के कारखानों में होता है, फिर भी तालक, चीनी मिट्टी और चूने का पत्थर इसके बजाय काम में आसकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी मांग पर्याप्त नहीं है।

मिट्टीः— राजस्थान में चीनी मिट्टी बहुतायत से पाई जाती है। सवाईमाधोपुर की मिट्टी सभी वर्तनों के लिये अच्छी है लेकिन यह कम मात्रा में मिलती है। इसलिये यहां पर मझोली आकार का संयन्त्र लगाया जासकता है। मिट्टी के वर्तन के लिये लघु उद्योग संयन्त्र भी लगाये जाने की सम्भावना है।

पन्नाः—राज्य में पन्ने की ६ खानें हैं। इन खानों की गहरी खुदाई और नई खानों की खोज करने की आवश्यकता है।

फुलर्स अर्थः—बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में लगभग २ करोड़ टन फुलर्स अर्थ पाये जाने का अनुमान है। इस समय राज्य में इसका ८२ प्रतिशत उत्पादन होता है। यह वनस्पति तैल शोध करने के काम आता है पलाना की लिगनाइट की खानों में से प्रतिदिन १ हजार से १.५० हजार टन फुलर्स अर्थ गौण उत्पादन के रूप में नगण्य मूल्य पर मिलता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इसके उपयोग के रास्ते खोजे जायें।

काला सीसाः ग्रेफाइटः—अजमेर में होतियाना और अम्बा तथा बाँसवाड़ा में पाया जाने वाला काला सीसा निम्न श्रेणी का है। इसके विकास के लिये प्रयोग करने की आवश्यकता है।

गार्नेटः—सन् १६५६ में केवल राजस्थान में गार्नेट का उत्पादन हुआ था और उसके बाद कोई उत्पादन नहीं हुआ। इसके स्रोत खोजने की आवश्यकता है।

खनिज ईंधन

लिगनाइटः—राजस्थान में लगभग २ करोड़ टन लिगनाइट पलाना में और लगभग १.५ करोड़ टन देशनोक में है। पलाना में ओपन कास्ट पद्धति से अनुमानतः ५ लाख टन लिगनाइट का प्रतिवर्ष उत्पादन किये जाने का विचार है। देशनोक में

अन्तरभूखनन (अण्डरग्राउंड माइनिंग) किया जावेगा। फिर भी राज्य के उद्योगों के लिये आवश्यक कोयले की मांग की पूर्ति नहीं हो सकेगी। और इसलिये सिफारिश की जाती है कि नये भंडारों की खोज की जावे।

पेट्रोलियमः—जैसलमेर में पेट्रोलियम मिलने की सम्भावना है। इस दिशा में जांच का कार्य निजी क्षेत्र के सुपुर्द कर दिया गया है। राज्य सरकार को देखना चाहिये कि कार्य में देरी न हो।

अन्य खनिजः—उपरोक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त और भी अनेक खनिज पदार्थ राजस्थान में पाये जाते हैं। किन्तु उनकी मात्रा और मांग के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। अगले १० वर्षों में उनके उत्पादन में विशेष वृद्धि होने की कोई आशा नहीं है।

खनिज उद्योग के विकास के लिये सिफारिशें:—राज्य में पाये जाने वाले बहुत से खनिज पदार्थ अभी भी नहीं निकाले जाते। कुछ खनिज अन्य राज्यों में विधियुक्त (प्रोसेसिंग) करने के लिये भेजे जाते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय खान विभाग द्वारा सर्वेक्षण में विशेष समय लगने की आशंका है। अतः राज्य सरकार का खनिज विभाग ही इस दिशा में शीघ्रतम कार्य करे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खान निगम 'माईनिंग कारपोरेशन' निजी व्यवसाय के लिये ठेके पर विधिकरण करे। खानों के क्षेत्र में जल, बिजली, यातायात की सुविधाएँ दी जावें।

प्रस्तावित कार्यक्रम का प्रभाव:—तालिका ३८ में अगले १० वर्षों के अनुमानित नियोजन, उत्पादन और रोजगार का विवरण दिया गया है। उत्पादन की मात्रा खनिज आधारित उद्योगों के भावी विकास और खनिज की मांग को देखते हुए निर्धारित की है।

कुल अतिरिक्त नियोजन का आधे से अधिक भाग ताम्बा और लगभग एक चौथाई जस्ते और सीसे की खानों पर व्यय होगा। खनिज उत्पादन १९६०-६१ में ६ करोड़ रुपयां था। यह बढ़कर १९७०-७१ में १६ करोड़ रुपया हो जावेगा। अर्थात १७ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा। ३३,५५० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम के अनुसार यहां की खानों से निकाले गये खनिज का निर्यात न होकर उन पर आधारित उद्योग यहां खोलने की योजना है। इससे न केवल रोजगार ही बढ़ेगा बल्कि विदेशी विनिमय भी बचेगा। क्षेत्रीय असमानताएं भी कम होंगी। उदयपुर में सीसे और जस्ते पिघलाने वाली भट्टियां, खेतड़ी में ताम्बा पिघलाने वाली भट्टी, पलाना में लिगनाइट की खानें, हनुमानगढ़ में खाद का कारखाना, डूंगरपुर में फ्लोराइट और नागोर में जिप्सम की खानें खुलने से इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

यदि जैसलमेर में तेल निकला तो पेट्रोलियम आधारित उद्योग खुल सकेंगे। इसी प्रकार लिगनाइट और धातु खनिज भंडारों का पता लगने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

अध्याय ७

बड़े पैमाने के उद्योग

वर्षों से चले आये सामन्तशाही राज्य, अन्तर्राज्यीय गतिरोध यातायात और संचार सेवाओं के अपर्याप्त विकास, स्थानीय साधनों से अनभिज्ञता और जल बिजली की कमी होने के कारण राजस्थान में औद्योगिक विकास नहीं होसका और इसलिये यहां का सामान्य आर्थिक विकास भी निम्न स्तर का था। राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी यहां विकास की सुविधाएं अप्राप्त होने के कारण अन्य राज्यों में कारखाने खोले। तालिका ३९ से राजस्थान के औद्योगिक पिछड़ेपन का भान हो जायगा।

इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग जोकि मूलभूत उद्योग कहे जाते हैं, इस राज्य में प्रायः नहीं हैं।

निर्माणी उद्योग:—औद्योगिक ढांचे के विशुद्ध विवेचन और क्षेत्रीय विकास के प्रतिरूप के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े अप्राप्य हैं अतः इस प्रतिवेदन में दिये गये विचार केवल निर्माणियों एवं प्राप्त सूचना पर ही आधारित हैं। तालिका ४० में वर्गीकृत निर्माणियों के विषय में आंकड़े दिये गये हैं। सन् १९५९ में राज्य की ७२२ निर्माणियों में ५४,००० मजदूर काम करते थे जिनमें से १२३ निर्माणियां, जो ४३,८८९ मजदूरों को रोजगार देती थीं, वृहत् उद्योग के अन्तर्गत आती थीं।

बड़े पैमाने की निर्माणियां:—रोजगार तालिका ४२ में बड़े पैमाने के उद्योगों में प्राप्त रोजगार सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं। इनमें प्राप्त २७.५ प्रतिशत रोजगार धातु आधारित और इंजीनियरिंग उद्योगों में मिलता था। किन्तु यह इस बातका द्योतक नहीं है कि राज्य में इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास होरहा है, क्योंकि अधिकतर रोजगार ८ रेलवे वर्कशापों में मिलता था। २३.१ प्रतिशत रोजगार सूती कपड़े की मिलों में, १३.५ प्रतिशत खनिज आधारित उद्योगों में, ११.४ प्रतिशत कृषि आधारित उद्योगों में मिलता था। केवल ७ प्रतिशत निर्माणियों में बिना बिजली के काम होता था। (तालिका ४१)

कृषि आधारित उद्योग—तालिका ४३ में विभिन्न वर्गीकृत उद्योगों में निर्माणियों की संख्या और रोजगार सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं। रुई पिनाई के कारखाने गंगानगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, पाली और उदयपुर में हैं। तीन पंजीकृत शक्कर के कारखानों में से केवल दो-एक गंगानगर और दूसरा भोपालसागर में काम कर रहे हैं इन वर्षों में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। अतः नये शक्कर के

कारखाने खोलने की भी गुंजाइश है। राजस्थान का बहुतसा तिलहन निर्यात किया जाता है। अतः और भी तेल चक्कियां खोली जा सकती हैं।

राज्य में कृषि का उत्पादन बढ़ा है लेकिन यह बढ़ा हुआ उत्पादन लघु स्तर पर खुलनेवाली छोटी २ निर्माण इकाइयों मे खप गया है।

सूती कपड़े के कारखानेः—सन् १९५९ में राजस्थान में ७ सूती कपड़े की मिलें, २ नमदा बनाने के कारखाने और एक वस्त्र निर्माणी मिल थी। इसके अतिरिक्त ४ निर्माणियां बन्द थीं। इनमें ३.४५७ करघे और १.७५,१४८ तकलियां थीं। इन इकाइयों की सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये अमितव्ययी थीं।

सूती कपड़े के उद्योग के लिये सन् १९६० में गठित कार्यकारी दल की राय में सूती मिल की इकाई के लाभकारी होने के लिये उसमें कमसे कम १२,००० तकली और ३०० करघे होने चाहिये। यह क्षमता बढ़ते-बढ़ते २५,००० तकली और ५०० करघों तक हो सकती है। राजस्थान की सूती मिलों की पुरानी और घिसी हुई मशीनें थीं। राजस्थान सरकार ने इनकी गतिविधियों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति की राय में इनके पुनर्गठन और आधुनिकरण के लिये आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। यह भी सिफ़ारिश की गई कि इनमें छपाई रंगाई आदि के लिये विधिकरण संयंत्र लगाये जावें और मजदूरों के कार्यभार भी निश्चित कर दिये जावें। ब्यावर की ऐडवर्ड मिल राज्य सरकार ने अपने नियन्त्रण में लेली है।

जनसंख्या की वृद्धि और लोगों के रहन-सहन के बढ़ते हुए स्तर को देखते हुए कपड़े की मांग काफ़ी बढ़ेगी। सन् १९५९-६० में जबकि १.४७ लाख गांठें कपास पैदा हुआ केवल ९३,००० गांठें मिलों में खप सकीं। भाखड़ा और चम्बल की सिंचाई के कारण चौथी योजना के अन्त तक कपास का उत्पादन १९ लाख गांठ तक बढ़ जावेगा। कच्चे माल की मांग और उत्पादन दोनों को देखते हुए और भी मिलें खुल सकती हैं। उदयपुर में १५,००० तकलियों की एक नयी मिल खुल गई है।

पशुधन आधारित उद्योगः—सन् १९५९ में इस क्षेत्र में केवल दो ऊन के गोले बनाने के कारखाने थे जिनमें १५० आदमी काम करते थे। १२ ऊन साफ़ करने वाले कारखाने थे जिनमें १,०४४ मजदूर काम करते थे और यह सब बिना बिजली से चलने वाले थे।

राजस्थान की ऊन केवल नमदे और कालीन बनाने के काम आसकती है। राज्य के भेड़ व ऊन विभाग को अच्छे किस्म की ऊन पैदा करने का उपक्रम करना चाहिये।

खनिज आधारित उद्योगः—सन् १९५९ में इस वर्ग में १४ निर्माणियां थीं जिनमें ५,९१८ मजदूर काम करते थे जिनमें से ६७ प्रतिशत दो सीमेन्ट के कारखानों में, ११ प्रतिशत एक कांच के कारखाने में और ९ प्रतिशत ४ अभ्रक के कारखानों में थे।

सीमेंट की निर्माणियां लाखेरी और सवाईमाधोपुर में हैं। इनसे प्रतिदिन क्रमशः १,२०० टन और २,७०० टन सीमेंट का उत्पादन होता है।

कांच का कारखाना धौलपुर में है। यहां वैज्ञानिक कार्यों के लिये कांच के बरतन और पेनसिलिन कुप्पिकाएं भी बनती हैं। जयपुर में भी एक कांच का कारखाना था किन्तु प्रशिक्षित मजदूरों और स्वचलित मशीनों की कमी के कारण बन्द करना पड़ा। भविष्य में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अभ्रक के कारखाने भीलवाड़ा में स्थित हैं और इनमें ५३६ मजदूर काम करते हैं। एक निर्माणी, जहां बिजली से काम होता है, इंसुलेटिंग ईंटें बनाती है। राजस्थान में अभ्रक की कटाई करने के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं देने की आवश्यकता है।

सन् १९५१ में राजस्थान में तीन रासायनिक उद्योग इकाइयां थीं जिनमें ५७७ मजदूर काम करते थे। कोटा की माचिस फ़ैक्ट्री तथा जयपुर और पाली के कृत्रिम खाद बनाने के कारखाने मशीनें पुरानी होने के कारण बन्द करने पड़े।

धातु आधारित उद्योगः—सबसे अधिक ३७.५० प्रतिशत मजदूर इसी उद्योग वर्ग में काम करते थे। इस वर्ग में विशेषकर ८ रेलवे वर्कशाप, ४ बेलन निर्माणी, जयपुर मेटल्स और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर हैं। इनके अतिरिक्त भरतपुर में २,००० रेलवे वेगन प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता वाली एक निर्माणी भी है।

निर्माणियों का क्षेत्रीय आवंटन—तालिका ४४ से ज्ञात होगा कि राज्य के २६ जिलों में से ९ में कोई भी बड़ी निर्माणी नहीं थी। ४ में ५०० मजदूरों से कम काम करते थे, ३ में ५०० और १,००० के बीच। उद्योगों के प्रतिष्ठापन के सम्बन्ध में रेलवे की मरम्मत सम्बन्धी और साधारण आवश्यकताएं और कच्चा माल तथा यातायात सम्बन्धी सुविधाएं, मुख्य निर्धारक रहे हैं। केवल जयपुर में राज्य की ओर से उद्योग प्रतिष्ठापन मे प्रोत्साहन मिला।

अभिनव विकासः—तालिका ४४ में सन् १९५१ से १९५९ के बीच में विभिन्न उद्योग वर्गों में हुए परिवर्तन और रोज़गार का विवरण दिया गया है। कुल रोज़गार इन ८ वर्षों में ११ प्रतिशत बढ़ा खनिज आधारित उद्योगों में ३४६ प्रतिशत और इंजीनियरिंग उद्योगों में ५८ प्रतिशत। अन्य वर्गों में रोज़गार घटा। खनिज आधारित उद्योगों में २ बड़ी सीमेन्ट फेक्ट्रीयों के कारण रोजगार बढ़ा। इंजीनियरिंग उद्योगों मे रेलवे वर्कशापों के विस्तार, नई बेलन निर्माणियों और अन्य इंजीनियरिंग कारखानों के खुलने के कारण रोज़गार बढ़ा।

रोज़गार में सबसे अधिक कमी सूती कपड़े के उद्योग में हुई। यह कुछ माचिस के कारखाने तथा कृत्रिम खाद बनाने के कारखानों के कारण भी हुई। रोज़गार की इस स्थिति का प्रभाव उन जिलों पर पड़ा जिनमें सम्बन्धित कारखाने स्थित थे।

१९५२ से १९६० के समय में २३ नये लाइसेन्स दिये गये जिनमें से ६ विद्यमान कारखानों को बढ़ाने के लिये और १७ नये कारखाने खोलने के लिये थे। इनका विवरण तालिका ४६ में दिया गया है।

औद्योगिक विकास का भविष्य:—राष्ट्रीय समिति ने राजस्थान के साधन, भावी मांग के प्रतिरूप, उत्पादन की संभावनाओं और विभिन्न स्थानों के उद्योग के दृष्टिकोण से महत्व का ध्यान में रखते हुए अगले १० वर्षों के लिये औद्योगिक विकास का कार्यक्रम बनाया है।

कृषि आधारित और तत्सम्बन्धी उद्योग

शक्कर:—विद्यमान कृषि आधारित उद्योगों में विकास का सबसे अधिक क्षेत्र शक्कर उद्योग का दृष्टिगोचर होता है। सन् १९५७-५८ में शक्कर (गुड़ और खांडसारी के अतिरिक्त) का उत्पादन १४ हजार टन और खपत ७५ हजार टन थी। राजस्थान में प्रति व्यक्ति खपत बहुत ही कम है। राजस्थान में यह प्रति व्यक्ति ९.५ पौंड है, जबकि भारत में ११.५ पौंड, जापान में २९.५ पौंड और इंगलैंड में ११३.३ पौंड। वर्तमान खपत की दृष्टि से भी राजस्थान में सन् १९७१ में १.०६ लाख टन शक्कर की मांग होगी। सन् १९७०-७१ में अनुमानतः ४० लाख टन गन्ना पैदा होगा, जिसमें से ७० प्रतिशत से गुड़ और खांडसारी बनेगी और शेष १२ लाख टन से शक्कर। इस अनुमान के आधार पर १९७०-७१ तक ८ नई शक्कर की मिलें खुल सकती हैं। इनसे ३२ हजार टन राब भी उपलब्ध होगी, उसका ८० प्रतिशत एल्कोहल बनाने के काम में आ सकता है और इस प्रकार ४ हजार गैलन प्रतिदिन उत्पादन करने वाले शराब के पांच कारखाने खुल सकते हैं। गन्ने का छिलका कागज बनाने के कारखानों में और मिल में ईंधन के काम में आ सकता है।

बिनौले का तेल:—देश में वनस्पति घी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बिनौले के तेल की मांग भी बढ़ेगी चूंकि यह वनस्पति घी के उत्पादन में काम में आता है। इससे साबुन भी बनाया जा सकता है। इस समय पशुओं को बिनौला खिलाने की प्रथा है। बिनौले में १५-२० प्रतिशत तेल होता है। जबकि पशुओं को केवल ३ प्रतिशत तेल की आवश्यकता होती है। बिनौले के तेल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति और पशुओं के लिए खली उत्पादन करने की दृष्टि से आवश्यक है कि राज्य में ही बिनौले से तेल निकालने की व्यवस्था की जावे। इसके २ कारखाने प्रत्येक १२,००० टन की क्षमता वाले रुपया ३६ लाख के नियोजन से खोले जावें। सन् १९६० से १९७१ के समय में २ और कारखाने खोले जा सकते हैं।

तेलोत्पादन:—सन् १९७१ तक मुख्य तिलहन का उत्पादन ८.५० लाख टन तक बढ़ जावेगा। राजस्थान में तिलहन से तेल घानियों से निकाला जाता है। लगभग १४

से १५ प्रतिशत तेल खली में रह जाता है । इस तेल को निकालने के लिए ५० टन खली प्रति दिन उत्पादन करने की क्षमता वाले ५ संयंत्र ८० लाख रुपए के नियोजन से खोले जाने चाहिएं ।

तेल चक्की: सत्य तो यह है कि राजस्थान के कुल तिलहन का ३० प्रतिशत तेल निकालने के लिए बाहर भेज दिया जाता है । इस बात की आवश्यकता है कि राज्य में २ बड़ी तेल चक्कियां खोली जावें ।

आटे की चक्की:— चम्बल और राजस्थान नहर के क्षेत्र के विकास के बाद राज्य में गेहूं का उत्पादन दूना हो जावेगा । औद्योगीकरण और शहरीकरण के साथ साथ आटे की चक्कियों की आवश्यकता पड़ेगी । यह सुझाव दिया जाता है कि १५ हजार टन की क्षमता वाली ५ बड़ी बड़ी चक्कियां रोलर (फ्लोर मिल्स) प्रत्येक गंगानगर, जयपुर, उदयपुर और दो चम्बल क्षेत्र में खोली जावें ।

सूती वस्त्र उद्योग:—योजना आयोग का अनुमान है कि सन् १९७०-७१ तक कपड़े का उत्पादन लगभग ३० प्रतिशत बढ़ जावेगा । ऐसा ही राजस्थान के बारे में समझा जासकता है । अनुमान है कि प्रति व्यक्ति २० गज कपड़े की दर से राजस्थान में कुल ५२ करोड़ गज कपड़े की आवश्यकता होगी । भारत में राजस्थान एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र होगा । इन बातों को ध्यान में रखते हुए कम से कम ५ लाख तकलियों और १० हजार कर्घे वाले कारखाने और खुल सकते हैं । इस संबन्ध में कार्यकृत दल ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे कारखानों के लिए लाइसेंस दिए जावें जिसमें कमसे कम १२ तकलियां और ३०० कर्घे हों । कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगानगर बीकानेर, उदयपुर पाली, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में सूती वस्त्र के २० कारखाने ८० करोड़ रुपये के नियोजन से खोले जा सकते हैं ।

ऊनी वस्त्र की मिलें:—इस समय राज्य में पैदा होने वाली ऊन का ८० प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है । और जो कुछ बचता है उससे भी केवल कालीन और कम्बल बनते हैं । ऊन के कच्चे माल का विधिकरण और उससे ऊनी कपड़ा बनाने के लिए एक मिल खोली जाय, इसके अतिरिक्त ऊन का धागा बनानेवाली ४-५ मिलें (प्रत्येक १,००० तकली वाली) खोली जा सकती हैं । यह सुझाव दिया जाता है कि सन् १९७०-७१ तक राजस्थान में प्राप्त चमड़े का समुपयोग करने के लिए २ बड़ी चमड़े की फेक्टियां खोली जावें ।

वन आधारित उद्योग

सन् १९७१ तक राजस्थान में वनों का विशेष विकास नहीं हो सकेगा । फिर भी वन आधारित उद्योगों में निम्नलिखित सिफ़ारिशों पर विचार किया जा सकता है ।

वांसवाड़ा में इमारती लकड़ी का उद्योगः—वांसवाड़ा शहर के आसपास ३० मील के दायरे में सागवान के जंगल हैं। प्रति एकड़ १७५ घन फुट लकड़ी मिलने का अनुमान है। जिसमें से १५० घन फुट उद्योग के काम आ सकती है और २५ घन फुट स्थानीय आवश्यकता पूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ ८ टन खारिज शुदा लकड़ी चिप बोर्ड बनाने के लिए मिल सकती है। इस आधार पर एक ऐसा कारखाना खोला जावे जिसमें एक लकड़ी चीरने की मिल, एक लकड़ी साफ करने के लिए संयंत्र और एक चिप बोर्ड फैक्ट्री हो। सुन्दरता के लिए लकड़ी चिपकाने का भी एक कारखाना खोला जा सकता है। इसके लिए कच्चा माल मध्य प्रदेश से प्राप्त होगा। इस उद्योग में कुल नियोजन ९० लाख रुपया होगा। जिसमें से ४३ लाख रुपया विदेशी विनिमय होगा। इसमें ५८० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

कागज और स्ट्रा वोर्डः—गेहूँ और चावल के तिनके तथा गन्ने के छिलके कागज के लिए गूदा वनाने के काम आसकते हैं। चम्बल क्षेत्र में अब बिजली मिल रही है। यह सिफ़ारिश की जाती है कि १० टन प्रतिदिन उत्पादन करने की क्षमता वाली ५ कागज की मिलें और १५ टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता वाले २ स्ट्रा बोर्ड संयंत्र कोटा, जयपुर और अन्य उचित स्थानों पर खोले जावें, उन पर २५-३० लाख रुपया लगाने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक संयंत्र पर लगभग २०० व्यक्तियों को काम मिलेगा। कच्चे माल के उत्पादन व एकत्रीकरण में लगभग ४०० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

रासायनिक और खनिज आधारित उद्योग

अनुमान है कि सन् १९६५-६६ तक राजस्थान में १८ लाख टन अमोनियम सल्फेट और १०.८ लाख टन सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी। सन् १९७०-७१ तक मांग की मात्रा और अधिक हो जावेगी। रासायनिक खादके ८० हजार टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता वाली एक निर्माणी को लाईसेंस मिल चुका है। स्थानीय मांग और उत्पादन को देखते हुए यह सिफ़ारिश की जाती है कि इस संयंत्र की क्षमता दुगुनी करदी जावे अथवा बरावर की क्षमता वाला एक दूसरा संयंत्र हनुमानगढ़ या बीकानेर में लगा दिया जावे। इन दोनों संयंत्रों पर कुल ५२ करोड़ रुपये नियोजित होंगे। यह आवश्यक है कि सरकार रासायनिक खाद के कारखाने को दी जाने वाली बिजली की दर कम करदे।

उदयपुर में जस्ता पिघलानेवाले कारखाने से २९ हजार टन गंधक का तेजाब सन् १९६३ में और एक लाख टन सन् १९६७ में मिल सकेगा। यह सारा तेजाब सुपर फास्फेट के उत्पादन में काम में लिया जावे और इसका कारखाना जस्ता पिघलानेवाले कारखाने के पास ही लगाया जावे। इससे प्रारम्भ में ८०,००० टन और बाद में २,७५,००० टन सुपरफास्फेट का उत्पादन किया जासकेगा।

हनुमानगढ़ में जिप्सम से अमोनियम सल्फेट की शक्ल में गंधक का उपयोग हो सकेगा।

सोडा एश:—सोडा एश पर आधारित अनेक उद्योग खोले जासकते हैं। आगामी वर्षों में देश में होने वाले औद्योगिक विकास के कारण सोडा एश की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सोडा एश उद्योग को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। सांभर में ऊंची किस्म का नमक मिलता है जिसको साफ़ करने में कम लागत लगती है। नजदीक ही गोटन और सोजत में चूने का पत्थर मिलता है और हनुमानगढ़ के रासायनिक खादके कारखाने से अमोनिया मिल सकेगा। केवल कोयला मध्य प्रदेश से आयात करना पड़ेगा। इस प्रकार ६६ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता वाला एक सोडा एश संयंत्र सांभर में ४० लाख रुपये के नियोजन से खोला जासकता है।

कास्टिक सोडा:—देश में सन् १९६१ में कास्टिक सोडे की मांग अनुमानतः १.६० लाख टन होगी। सन् १९६५-६६ में ४ लाख टन और सन् १९७०-७१ में ६ लाख टन जबकि सन् १९६१ में प्रस्तावित क्षमता १.७५ लाख टन ही होगी। कास्टिक सोडे के उत्पादन के लिये नमक और बिजली की आवश्यकता होती है। राजस्थान में सांभर और डीडवाना में नमक बहुत मिलता है और चम्बल योजना से बिजली। यह सुझाव दिया जाता है कि कोटा में ३० टन प्रतिदिन की प्रारम्भिक क्षमता वाले एक संयंत्र, जिसको लाईसेंस मिल चुका है, को बढ़ा कर चौथी योजना तक १०० टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमतावाला बना दिया जावे।

पोलिविनियल क्लोराइड और केलसियम कार्बाइड:—कोटा में ६,६०० टन पी० वी० सी० और १३,२०० टन केलसियम कार्बाइड के उत्पादन के लिये एक फैक्ट्री को लाईसेंस मिल चुका है। तीसरी योजना में इसकी क्षमता को दुगनी करदी जावे।

रेयोन:—कोटा में १० टन प्रति दिन की क्षमता वाली एक फैक्ट्री को लाईसेंस दिया जाचुका है। चौथी योजना में इसकी क्षमता दुगनी हो जावेगी।

सोडियम सल्फेट—डीडवाना में ५ हजार टन प्रतिवर्ष उत्पादन करनेवाला सोडियम सल्फेट का एक कारखाना खोलने की योजना है। इसकी क्षमता १०० टन प्रतिदिन करदी जावे। हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी भी सांभर में एक संयंत्र लगाना चाहती है जिससे १०,००० टन सोडियम सल्फेट प्रतिवर्ष बनाया जासकेगा। इसको तुरन्त लगाने का प्रावधान किया जावे। डीडवाना वाले संयंत्र पर १ करोड़ रुपये और सांभरवाले पर ५० लाख रुपये के नियोजन की आवश्यकता होगी।

फ्लोरीन कम्पाउन्डस:—डूंगरपुर जिले में मंडो की पाल में फ्लोर स्पार के भंडार का पता लगा है। इसके अनुसंधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्रियोलाइट और हाईड्रोफ्लोरिक एसिड तथा फ्रियोन और टेफ्लोन के निर्माण के संबन्ध में और जानकारी करने की आवश्यकता है।

सीमेंट:—सवाईमाधोपुर और लाखेरी की सीमेंट फ़ैक्ट्रियां कुल ६.२१ लाख टन सीमेंट का उत्पादन प्रतिवर्ष करती हैं। राज्य में और राज्य के बाहर से प्राप्त मांग को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि १५ लाख टन प्रतिवर्ष और अधिक उत्पादन करने के लिये चित्तौड़गढ़, आबूरोड, लखेरी और अन्य स्थानों पर नई फैक्ट्रियां खोली जावें। प्रारम्भ में इनकी उत्पादन क्षमता २.५० लाख टन प्रतिवर्ष हो जो कि चौथी योजना में दुगुनी करदी जावे। आरम्भ में प्रत्येक संयंत्र पर ४ करोड़ रुपयों का नियोजन करना होगा।

कांच:—राज्य में कांच निर्माण के लिए कच्चा माल उपलब्ध है। किन्तु फिर भी सन् १९५१ से लेकर अब तक धीरे धीरे कुशल कारीगरों की अप्राप्यता के कारण ७ में से ६ फैक्ट्रियां बन्द हो चुकी है, केवल धौलपुर में एक कांच की फैक्ट्री चल रही है। सरकार को चाहिए कि बन्द फैक्ट्रियों के पुनर्गठन की ओर ध्यान दें। जयपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर और उदयपुर में से कहीं भी एक कांच का कारखाना और खोला जावे जिसमें शीट, ग्लास, बोतलें और कांच के अन्य सामान बनाए जा सकें, इसकी प्रारम्भिक उत्पादन क्षमता ५० टन प्रतिदिन हो। इस पर एक करोड़ रुपया नियोजित करना होगा।

चीनी के वर्तनों का कारखाना:—जयपुर में ५ हज़ार टन की उत्पादन क्षमतावाला स्वास्थ्य संबन्धी और गृह संबन्धी चीनी की वस्तुएं बनाने के लिए एक कारखाना खोला जावे। एक दूसरा कारखाना जिसमें चीनी के कातलों, एच टी और एल टी इंसूलेटर का उत्पादन हो, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा और जोधपुर में खोला जा सकता है।

वेराइट्स:—राजस्थान में ६ हज़ार टन लियोफोन, ३ हजार टन ब्लेन फिक्स और ३ हज़ार टन वेरियम साल्ट के उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है जिसमें कुल नियोजन ३ करोड़ रुपये होगा।

तांबा:—खेतड़ी में तांबे की खान १० हज़ार टन की क्षमता वाला तांबा पिघलाने का एक कारखाना निजी क्षेत्र में शीघ्र ही लगाया जा सकता है।

सीसा और जस्ता:—उदयपुर में १८ हज़ार टन वार्षिक क्षमतावाला जस्ता पिघलाने का कारखाना खोलने की योजना है। इसके लिए कच्चा माल जावर की खानों से प्राप्त होगा। इसकी क्षमता सन् १९७०-७१ तक ६० हज़ार टन तक बढ़ा दी जावेगी। इसी प्रकार चौथी योजना के अन्त तक सीसा पिघलाने की क्षमता ३० हज़ार टन तक बढ़ा दी जावेगी।

धातु कार्मिक एवं धातु आधारित उद्योग

ये उद्योग सामान्यतः साधन आधारित नहीं होते। वे ऐसे क्षेत्र में भी खोले जा सकते हैं जहां कच्चा माल स्थानीय बाज़ार में नहीं मिलता है। भविष्य में राजस्थान में

कृषि, खनिज, विद्युत और यातायात के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होगी। अतः इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ेगी। तालिका ४९ में प्रस्तावित एवं लाईसेंस प्राप्त फैक्ट्रियों से संबन्धित नियोजन और रोजगार के आंकड़े दिए हुए हैं। लोहे, स्टील, बिजली के सामान साइकिल आदि की फ़ैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं। राजस्थान में कच्चा लोहा इतना मिलता है कि एक साधारण दर्जे का लोहा ढालने का संयंत्र खोला जा सकता है। किन्तु कोयले की कमी के कारण इसको बिजली से चलाना पड़ेगा और चूंकि राज्य में बिजली की कमी है इस समय इस प्रकार का संयंत्र नहीं लगाया जा सकता।

मिश्रित धातु और विशेष प्रकार का स्टील:—इन स्थिति में बिजली की भट्टियों से मिश्रित धातु (अलोय) और विशेष प्रकार का स्टील बनाना लाभप्रद हो सकता है क्योंकि उसका भाव साधारण स्टील से ३ से ६ गुने तक है। राजस्थान में इसके उत्पादन के लिए ५ हज़ार टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र लगाया जावे।

पुनर्वेलन:—मध्यम और हल्के सांचों, छड़ों आदि की मांग को देखते हुए विद्यमान कारखानों की उत्पादन क्षमता दूगनी कर दी जावे और २० हज़ार टन वार्षिक क्षमता वाला पुनर्वेलन का एक कारखाना उदयपुर में स्थापित किया जावे।

मध्यम इंजीनियरिंग सामान का उत्पादन (लौह वस्तुएं):—अनुमान किया जाता है कि राजस्थान में तीसरी योजना में ८२ हज़ार टन लोहे की नलियों की आवश्यकता होगी और इससे दुगनी की चौथी योजना में। इस समय राज्य में अवशिष्ट लोहे से तंतुकृत नलियें बनानेवाला कोई कारखाना नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि २० हज़ार टन वार्षिक उत्पादन वाला ऐसा एक कारख़ाना जयपुर या उदयपुर में तीसरी योजना में खोल दिया जावे। चौथी योजना में इसकी क्षमता बढ़ाकर ४० हज़ार टन की जा सकती है

राजस्थान में बढ़ते हुए रेलों के विकास को देखते हुए अजमेर के आसपास सन् १९६६ में १२ हज़ार टन वार्षिक क्षमता वाला एक लोहे के स्लीपर बनाने का कारखाना खोला जावे। सन् १९७१ में मावली या मारवाड़ जंक्शन के पास एक ऐसा ही कारखाना और खोला जा सकता है।

राजस्थान में १.५० करोड़ रुपये की मशीनों के औज़ार प्रतिवर्ष खप सकते हैं। इनके लिए ३ से ४ हज़ार टन लोह विशेष की आवश्यकता होगी। यह ढलाई के मध्यम कारखानों से मिल सकता है। तीसरी योजना में ५ हज़ार टन वार्षिक क्षमता वाला मध्यम ढलाई का कारखाना खोला जावे जिसकी क्षमता चौथी योजना में दुगनी करदी जावे और एक ऐसा ही कारखाना चौथी योजना में भी खोला जावे। पहला कारखाना सवाईमाधोपुर के आसपास और दूसरा कारखाना सूरतगढ़ के या हनुमानगढ़ के आसपास खोला जा सकता है।

अनुमान है कि तीसरी योजना में ४०० टन कुट्ट लोहे के टुकड़ों की प्रति वर्ष आवश्यकता होगी और इससे दुगनी चौथी योजना में। इस मांग को पूरा करने के लिए अजमेर के पास एक कारखाना खोला जा सकता है, जिसकी क्षमता तीसरी योजना में ५०० टन प्रति वर्ष हो और चौथी योजना में एक हजार टन।

सन् १९६६ में स्टील कास्टिंग की अनुमानित मांग, सीमेंट उद्योग में एक हजार टन, खनिज उद्योग के लिए ३०० टन, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए २ हजार टन और रेलवे के लिए २५० टन होगी अर्थात् कुल लगभग ३,५०० टन प्रति वर्ष की मांग होगी। सन् १९७१ में यह मांग क्रमशः २ हजार टन, ६०० टन, ४,००० टन ५०० टन होगी। इस प्रकार तब कुल लगभग ७ हजार टन प्रति वर्ष की आवश्यकता होगी। सवाई माधोपुर में ३ हजार टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला सन् १९६६ में और उदयपुर में सन् १९७१ में ४ हजार टन की क्षमता वाला ढलाई का एक कारखाना खोला जावे। चौथी योजना में ऐसा स्टील भी मिल सकेगा जिसको विभिन्न उद्योग निकम्मा समझकर प्रयोग में न लावें किन्तु प्रारम्भिक वर्षों में तो यह पड़ोसी राज्यों से आयात ही करना पड़ेगा।

सन् १९७०-७१ तक राजस्थान में लगभग ८ हजार टन स्टील के ताप कुट्टन की मांग होगी। कुछ दिन पहले उदयपुर में एक फैक्ट्री को लगभग १,८०० टन स्टील के प्रति वर्ष उत्पादन के लिये लाइसेंस दिए गए हैं। इस फैक्ट्री के विस्तार के लिये सहूलियतें दी जावें।

मध्यम इंजीनियरिंग उत्पादन (ताम्र वस्तुएं):—खेतड़ी में तांबा पिघलाने का कारखाना लगाने के साथ-साथ ही तांबे और कांसे की नलियां बनाने के लिए ४०० टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक कारखाना सन् १९६६ तक लगाया जावे जिसकी क्षमता सन् १९७१ तक बढ़ा कर ६०० टन प्रति वर्ष कर दी जावे। एक दूसरा कारखाना चौथी योजना में खोला जावे जिसकी वार्षिक क्षमता ४ हजार टन ताम्र चादर और २५० टन तार बनाने की हो।

इस समय ४ फैक्ट्रियां जस्ते की चादरें और १५ फैक्ट्रियां जस्ते की अन्य वस्तुएं बनाने वाली लगी हुई हैं। किन्तु इनका वास्तविक उत्पादन इनकी क्षमता से कम है, इसलिए अभी जस्ते को और फैक्ट्रियां न लगाई जा कर चौथी योजना काल में लगाई जावें जबकि जस्ते की मांग भी कुछ और बढ़ जावेगी। राजस्थान में सीसे और जस्ते की प्राप्यता और इनकी भविष्य में होने वाली मांग को देखते हुए यह सुझाव दिया जाता है कि उदयपुर में सन् १९७१ तक एक कारखाना १५ हजार टन सीसे और जस्ते की प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता वाला खोला जावे।

तैयार शुदा माल:—बड़े पैमाने पर स्टील के ढांचों की मांग तीसरी योजना में ८०,००० टन और चौथी योजना में १,६०,००० टन होगी। अभी ऐसे ढांचे बनाने वाला कोई कारखाना नहीं है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, सूरतगढ़, बीकानेर और जोधपुर में ऐसे कारखाने खोले जा सकते हैं।

सन् १६७१ तक राजस्थान की मांग पूरी करने के पश्चात ५ हजार टन तैयार किया हुआ माल प्रति वर्ष पड़ोसी राज्यों को भी निर्यात किया जा सकेगा। भरतपुर की वेगन बनाने वाली फैक्ट्री की क्षमता सन् १६७१ तक ६ हजार वेगन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा दी जावे ताकि वेगनों की मांग पूरी की जा सके।

जयपुर की बॉल बियरिंग फैक्ट्री का उत्पादन सन् १६६६ में ७२ लाख प्रतिवर्ष हो जावेगा।

राजस्थान में औद्योगिक क्लिपों की सन् १६६६ तक २,६०० टन और सन् १६७१ तक ६,००० टन की आवश्यकता होगी। सन् १६६६ तक १.५० हजार टन वार्षिक क्षमता वाला एक बड़ा कारखाना बीकानेर या उदयपुर में इसके लिए लगाया जावे जिसकी क्षमता सन् १६७१ तक ३ हजार टन तक बढ़ा दी जावे।

रेल की पटरियों से संबन्धित पाइंट्स और क्रासिंग्ज की आवश्यकता पूरी करने के लिए सन् १६६६ तक भरतपुर में एक कारखाना खोल दिया जावे जो प्रारम्भ में १,००० पाइंट्स और क्रासिंग्ज प्रति वर्ष उत्पादन करे और यह क्षमता सन् १६७१ तक बढ़ा कर १.५० हजार पाइंट्स कर दी जावे।

तीसरी योजना काल में बड़े पैमाने पर कृषि के औजार बनाने का एक कारखाना कोटा में खोला जावे। चौथी योजना में दो कारखाने, एक सूरतगढ़ और एक अजमेर में खोले जावें।

धातु धारक:—कृषि आधारित कई उद्योग, जैसे तेल, वनस्पति, खाद्यपदार्थ, शक्कर और शक्कर से बने हुए पदार्थ बनानेवाले राजस्थान में विद्यमान हैं। इन सबमें धातु धारकों की आवश्यकता होती है। धातु धारकों के उत्पादन के लिये तीसरी योजना में दो हजार टन वार्षिक क्षमता वाला एक कारखाना कोटा में खोला जावे और चौथी योजना में एक कारखाना गंगानगर में।

सिंचाई के साधन बढ़ाने के सिलसिले में पानी ले जाने के लिये पंपों की आवश्यकता होगी। सन् १६६६ तक १० हजार पंप प्रति वर्ष बनाने वाली एक फैक्ट्री उदयपुर में खोली जावे। सन् १६७१ में एक ऐसी ही फैक्ट्री बीकानेर में खोली जावे।

सन् १६७०-७१ तक दो करोड़ रुपयों की कीमत की मशीनों के औजार बनाने का एक कारखाना खोला जावे। इसी प्रकार औद्योगिक मशीनों के उत्पादन के लिये भी एक कारखाना खोलने की आवश्यकता है। विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग के औजार बनाने के लिये १३ करोड़ रुपये नियोजन करने की सिफारिश की जाती है। जिसमें एक प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेण्ट फैक्ट्री पर नियोजित होनेवाली धनराशि भी सम्मिलित है।

संक्षेप में सन् १९६१-७१ के दशक में होनेवाला संभावित विकास

औद्योगिक विकास:—साधन और असाधन आधारित उद्योगों के विषय में ऊपर विस्तृत विवेचन किया जाचुका है। इनमे होनेवाले उत्पादन रोजगार, नियोजन आदि के सम्बन्ध में विशेष विवेचन तालिका ४७,४८ और ४९ में दिया गया है। संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है।

राजस्थान में प्रस्तावित उद्योगों के लिये प्रस्तावित नियोजन, रोजगार और उत्पादन १९६१-७१।

उद्योग वर्ग	नियोजन रु० करोड़	रोजगार संख्या	उत्पादन रु० करोड़
१. 'अ' धातु कार्मिक	११.६०	१४,०००	४.७६
'ब' धातु आधारित उद्योग	५१.७५	४३,३४५	३५.२६
२. रसायन और तत्सम्बन्धी उद्योग	१००.८०	१४,०००	२६.८७
३. कृषि विधिकरण और तत्सम्बन्धी उद्योग	५९.५५	४३,७०५	५१.६४
कुल	२२३.७०	१,१५,०५०	११८.५६

'अ' सन् १९७०-७१ तक बिजली से चलनेवाली २ करोड़ रुपयों की कृषि मशीनरी बनाने के कारखाने।

'ब' प्रतिवर्ष २० लाख रुपये के मूल्य की चावल, दाल और आटे की चक्की की मशीनें बनाने के लिये कारखाने।

'स' १९७०-७१ तक १८ से २० लाख रुपये की रासायनिक एवं तत्सम्बन्धी मशीनरी बनाने के कारखाने।

'द' १९७०-७१ तक २० लाख रुपये का माल उत्पादन करने के लिये रंगाई, चमड़े के विधिकरण और जूते आदि बनाने की मशीनरी बनानेवाला एक कारखाना।

'य' १९७०-७१ तक ५० लाख रुपये की मिल मशीनरी बनानेका एक कारखाना।

'र' कंकरी मिलानेवाले, कोल तार को गरम करनेवाले आदि यंत्रों की २० लाख रुपये प्रतिवर्ष की कीमतवाली मशीनरी बनानेवाला एक कारखाना।

'ल' जयपुर में बिजली के मीटर बनाने का एक कारखाना है। इसकी उत्पादन क्षमता ३ लाख मीटर तक करदी, जावे। अभी ही एक कारखाने को स्विचबोर्ड और

अन्य बिजली के यन्त्र बनाने का लाइसेंस मिला है। उसकी क्षमता ७०-७१ तक २ करोड़ रुपये का माल प्रतिवर्ष उत्पादन करने की करदी जावे।

सिफ़ारिशें

अब बड़े पैमाने पर उद्योग विकास करने के लिये राजस्थान में अनुकूल वातावरण बन गया है। यहां मजदूरी सस्ती है और औद्योगिक शांति भी। राज्य के अनेकों उद्योगपति बाहर व्यापार करते हैं। उनसे राज्य के उद्योगों में रुचि लेने के लिये न केवल भावात्मक अपील की ही आवश्यकता है बल्कि कुछ विशेष सुविधाएं और रियायतें भी देने की ज़रूरत है।

बिजली की कमी अब भी यहां उद्योग के विकास में बहुत बड़ी बाधा रही है। चम्बल और भाखड़ा से अब औद्योगिक संगठनों को तुरन्त बिजली दीजावे और प्रत्येक शहर के बारे में यह भी स्पष्ट कर दिया जावे कि उसे औद्योगिक कार्यों के लिये कब और कितनी बिजली दीजावेगी।

प्राविधिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक बड़ा कार्यक्रम बनाया जावे। अगले १० वर्षों में २ इंजीनियरिंग कालेज और २-३ पोलिटेक्निक और खोलने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त कारीगरों के शिक्षण केन्द्र भी खोले जावें।

उद्योगपतियों और उद्योग सहकारी गृह समितियों को रियायतों पर जमीन दी जावे। और अन्य सुविधाएं जैसे यातायात, शक्ति, पानी, शिक्षा और चिकित्सा आदि की भी प्रदान की जावें।

राज्य सरकार को एक औद्योगिक विकास मंडल बनाना चाहिए जिसका मुख्य कार्य उद्योगों के संबन्ध में आर्थिक व प्राविधिक सूचना प्रदान करना होगा। इस मंडल को कोटा, उदयपुर, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और अन्य कुछ नगरों में जहां कि अगले १० वर्षों में औद्योगिक विकास होनेवाला है, के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित करना चाहिए। इसको राज्य सरकार को यह भी सलाह देनी चाहिए कि इन नगरों में नये उद्योग खोलने के लिए क्या और कितनी सहायता देनी आवश्यक होगी।

अध्याय ८

लघु और कुटीर उद्योग

लघु और ग्रामीण उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है । अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। और ये उद्योग छोटे छोटे गांवों और नगरो में भी स्थापित किए जा सकते हैं । इस प्रकार ये राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण करने में सहायक होते हैं । सन् १९५५-५६ में राजकीय आय का १.२ प्रतिशत फ़ैक्ट्री उद्योगों से मिलता था और फ़ैक्ट्री उद्योगों में केवल ५ प्रतिशत लघु उद्योगों से। इस प्रकार के लघु उद्योग राजस्थान में बहुत ही कम थे और वे अविकसित थे। ये अधिकांश पुरानी किस्म के कुटीर उद्योग थे जिनमें मुख्य तेल घाणियों, खादी और हाथ कर्घा उद्योग थे । राजा लोग हस्त कलाकारों को आश्रय दिया करते थे इसलिए मुख्यतः कपड़े की छपाई और पीतल के काम की कारीगरी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। पिछले कुछ वर्षों में हस्तकला और लघु उद्योगों में कुछ प्रगति हुई है। आशा की जाती है कि कृषि के विकास के साथ साथ कृषि विधिकरण उद्योग बढ़ेंगे किन्तु इंजीनियरिंग उद्योग और अन्य बड़े उद्योगों का विस्तार क्षेत्र सीमित होने के कारण लघु उद्योग इतने अधिक नहीं बढ़ेंगे जितने कि गुजरात बंगाल, और मद्रास राज्य में ।

लघु उद्योगः—राजस्थान के अधिकतर उद्योग साधन आधारित हैं (तालिका ५०.) यहां सन् १९५९ में ५९९ छोटे छोटे कारखाने थे जिनमें १०,०४८ मजदूर काम करते थे। उनमें से १८१ इकाइयों में ३,१६६ मजदूर थे जिनमें बिना बिजली काम होता था। समस्त साधन आधारित उद्योग मंडियों के आसपास स्थापित हैं, जहां से उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलता है। अन्य उद्योग उपरि सुविधाओं पर निर्भर करते हैं, अतः विशेषकर प्रमुख नगरों में जहां रेल और सड़क, बिजली और जल व्यवस्था प्राप्त है, स्थापित हैं ।

साधन आधारित उद्योग

कृषि आधारित उद्योगः—इस श्रेणी में कपास धुनने, गांठें बनाने की फ़ैक्ट्रियां आटे की चक्कियां, दाल चक्कियां सूत कातने और बुनने की फ़ैक्ट्रियां और बीड़ी फ़ैक्ट्रियां आती हैं। इसके अतिरिक्त ३ चावल की मिलें, ४ दाल की मिलें, ३ बिस्कुट बनाने के कारखाने और एक शक्कर की मिल भी है। ये सभी उन्हीं स्थानों पर स्थित हैं जहां कच्चा माल मिलता है। ये समस्त फ़ैक्ट्रियां मौसमी हैं और स्थानीय मजदूरों को रोजगार देती हैं । इन फ़ैक्ट्रियों का कार्यकाल लगभग वह होता है जब कि कृषि के कार्यों से फुर्सत मिलती है। इसलिए इन उद्योगों में मजदूरों की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं आती अपितु गांव के बेकार आदमियों को रोजगार मिल जाता है : इनमें मशीनें पुरानी किस्म की हैं जिनकी प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है।

पशु वन आधारित उद्योगः—इस श्रेणी में ऊन संबन्धी कारखाने आते हैं और ये बीकानेर और अजमेर में, जहां भेड़ पालन विशेषकर होता है, लगे हुए हैं। राजस्थान में पैदा होने वाली ऊन मोटी होती है और केवल नमदा बनाने और कम्बल बनाने के काम आती है। ऊन की किस्म सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रसंग में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिऐ ताकि भविष्य में ऊन वस्त्र बनाने के कारखाने खोले जा सकें।

वन आधारित उद्योगः—सन् १९५९ में ६३ कारखाने थे जिनमें ३४० मजदूर काम करते थे। इनमें अधिकतर लकड़ी चीरने की मिलें थीं। लकड़ी चीरने की मिलें मुख्यतः उदयपुर और बांसवाड़ा में स्थित हैं।

खनिज आधारित उद्योगः—इस वर्ग में सन् १९५९ में ३० कारखाने थे जिनमें से ७२० मजदूर काम करते थे। ये मुख्यतः भीलवाड़ा, चितौड़ और जयपुर जिलों में स्थित थे और उनमें पत्थर और अभ्रक सम्बन्धी काम होता था।

असाधन आधारित उद्योग

इस वर्ग में इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य हैं।

सन् १९५९ में ऐसे ४५ कारखाने थे जिनमें १,०७१ मजदूर काम करते थे। इनमें बेलन चक्कियां तथा अलमारियां और धातु धारक तथा कृषि के औजार और साईकिल के पुर्जे आदि बनाने के कारखाने भी सम्मिलित हैं। मुख्यतः ये कारखाने जयपुर और जोधपुर में, जहां कि बाजार की सुविधाएं प्राप्त हैं, स्थित हैं। बड़े बड़े शहरों में छपाई के कारखाने भी थे।

क्षेत्रीय भिन्नताएं:—लघु उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की आधी संख्या अजमेर, जयपुर और बीकानेर जिलों में हैं। तालिका ५२ में इन मजदूरों का जिलेवार आवंटन दिया गया है। इससे पता लगता है कि राजस्थान में न केवल कुछ जिलों में ही उद्योगों का केन्द्रीकरण है बल्कि जिलों में भी कुछ नगरों में ऐसी स्थिति पाई जाती है। इसका कारण है कच्चे माल की प्राप्ति की सुविधा।

सन् १९५१ से विकास

लघु उद्योगों में निर्माणियों की संख्या सन् १९५१ में २८३ थी और सन् १९५९ में उनकी संख्या ५९९ हो गई। इनमें मजदूर संख्या ६,२३७ से बढ़कर १०,०४८ हो गई। इस सम्बन्ध में विवरण तालिका ५१ में दिया गया है। इससे ज्ञात होगा कि सन् १९५१ और १९५९ में उद्योगों के प्रतिरूप में कोई विशेष अन्तर नहीं था। कृषि, पशुपालन और वनों के विकास के साथ साथ लघु उद्योगों का भी विकास हुआ। खनिज आधारित उद्योगों में निर्माणियां और रोजगार दोनों में कमी हुई क्योंकि बहुत सी अभ्रक की खानें

बन्द हो गई थीं। शहरी आबादी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रसंग में छपाई और अन्य सेवाओं सम्बन्धी निर्माणियों की संख्या बढ़ी।

पूंजीकृत निर्माणियों के अतिरिक्त अन्य नई निर्माणियों की भी संख्या बढ़ी किन्तु उनका व्योरा प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार दूसरी योजना में दो हज़ार नए लघु उद्योगों के कारखाने खोले गए। राज्य सरकार ने कुल २४६.२८ लाख रुपयों का नियोजन किया। अनुमान है कि निजी क्षेत्र में लघु उद्योगों पर इससे दुगुना नियोजन हुआ। अर्थात् राजस्थान में दूसरी योजना काल मे ७३९ रुपयों का नियोजन हुआ इससे १५ हज़ार अतिरिक्त मज़दूरों को रोजगार मिला।

औद्योगिक विकास में राज्य का योगदान

राज्य सरकार ने पहली योजना में भेड़ और ऊन सुधार तथा कुछ कुटीर उद्योगों के विकास पर कार्य किया। दूसरी योजना में ३६९.८ लाख रुपयों का प्रावधान रखा जिसमें से पहले ४ वर्षों में ६० प्रतिशत व्यय किया जा सका। इस धनराशि से ऋण दिया गया, कुछ उद्योग सम्पदा क़ायम की गई और प्राविधिक सहायता और शिक्षण दिया गया। प्रमुख योजना लघु उद्योगों को ऋण देने की थी। दूसरी योजना के प्रारम्भिक ३ वर्षों में विभिन्न महकमों में समन्वय न होने और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण प्रगति संतोषप्रद नहीं रही। बाद में इनमें सुधार किए गए और योजनाओं को क्रियान्वित करने की गति बढ़ गई।

लघु उद्योगों की समस्याएं

लघु उद्योगों के लिए न केवल बिजली की ही कमी थी बल्कि बिजली महंगी दर पर मिलती थी। उदाहरणार्थ सन् १९६० में अगस्त में जोधपुर में २० न० पै० प्रति युनिट, चित्तौड़गढ़ में २५ न० पै० प्रति युनिट, अजमेर में ५ रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह तथा १२ न० पै० प्रति युनिट। राज्य सरकार को चाहिए कि दूसरी योजना काल में बिजली ६ न० पै० प्रति युनिट दिलवाने का बन्दोबस्त करे।

दूसरी समस्या कच्चे माल की कमी है। अभी भी वे वस्तुएं जिनके भाव पर कंट्रोल है कोटा और सर्टिफ़िकेट के आधार पर बांटी जाती हैं। राजस्थान को दिया गया कोटा पर्याप्त नहीं है। उसमें से भी कुछ व्यापारी कोटा के माल को अन्य राज्यों में चोर बाज़ारों में बेच देते हैं।

कुशल कारीगरों की कमी के कारण भी लघु उद्योगों में प्रगति नहीं हुई है। कारीगरों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जारही हैं। कुछ प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में शिक्षणार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। इस सम्बन्ध में उचित प्रचार करने की आवश्यकता है। साथ ही कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों में सुधार की भी आवश्यकता है।

कुछ उद्योगों की समस्याएं स्थानीय भी हैं। अजमेर में आक्ट्राय कर लगाने से कच्चा माल महंगा पड़ने लगा है। इसी प्रकार रबड़ और चमड़े की वस्तुओं पर बिक्री कर लगने से तत्सम्बन्धी उद्योगों को कुछ धक्का पहुंचा है। उद्योगों के बाजार की भी समस्या है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लघु उद्योगों में अभी भी पुरानी किस्म की मशीनें उपयोग में आती हैं।

सरकार के योगदान की आवश्यकता

राज्य सरकार को बिजली और पानी का समुचित प्रवन्ध करना चाहिए, साथ ही प्रशिक्षण, यातायात, बाजार और वित्तीय सुविधाओं के प्रदान करने का भी बन्दोबस्त करना चाहिए। तब ही निर्यात किये जाने वाले कच्चे माल का विधिकरण राज्य में हो सकेगा और इस प्रकार एक के बाद एक अनेक उद्योग धन्धे चल निकलेंगे।

सरकार को इस बात की विज्ञप्ति कर देनी चाहिए कि किस इलाके में और कब बिजली मिल सकेगी। जहां पर भाखड़ा और चम्बल की बिजली पहुंचने की सम्भावना न हो वहां ऐसे डीजल सेट लगाए जावें जो बाद में स्थानान्तरित किये जा सकें। राज्य सरकार ने यह विज्ञप्ति कर ही दी है कि उद्योगों को १२ न० पै० के हिसाब से बिजली मिलेगी। भारत सरकार के विचार में ६ न० पै० प्रति युनिट से अधिक बिजली का भाव नहीं होना चाहिये। इस प्रकार यह बीच की धनराशि राज्य द्वारा लघु उद्योगों को सहायता के रूप में दी जानी चाहिए।

नियंत्रित वस्तुओं की चोर बाजारी को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि भविष्य में इन व्यक्तियों के कोटे को उद्योग सहकारी समितियां या व्यापारी संघ के मार्फत वितरित करें। यह भी जांच की जावे कि नियंत्रित वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है या नहीं।

राज्य में इंजीनियरिंग उद्योग काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब इस बात की आवश्यकता है कि तिलहन, ऊन, चमड़े आदि का राज्य में ही विधिकरण करने के लिए उद्योग स्थापित किए जावें। इसी प्रकार अभ्रक की स्थानीय कटाई के लिए भी उद्योग स्थापित किये जावें। प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। न केवल शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण स्तर पर ही ध्यान दिया जावे बल्कि यह भी अनुमान किया जावे कि भविष्य में किस प्रकार के उद्योग धन्धे पनपेंगे और उनमें किस प्रकार के कारीगरों की और टेक्निशियनों की तथा किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी आवश्यकता होगी। इन सब बातों को ध्यान में रख कर प्रशिक्षण केन्द्र खोले जावें और उनका उचित प्रचार किया जावे।

उद्योग संपत्तियों के साथ साथ औद्योगिक आवास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान के नगरों में अभी भी औद्योगिक परम्परा नहीं है इसलिए औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार के आवास बनाए जाने की आवश्यकता है।

इनके अतिरिक्त ऋण, यातायात और पानी की भी उचित व्यवस्था की जाय। निश्चय ही सरकार इन सब समस्याओं से जागरूक हैं। इस बात की आवश्यकता है कि विभिन्न आवश्यकताओं का अनुमान लगा कर समय पर कार्य करने की जरूरत है।

लघु उद्योगों की सम्भावनाएं १९६१-७१

ज्यों ज्यों कृषि उत्पादन बढ़ता जाय तिलहन और बिनोले आदि कच्चे माल का निर्यात रोका जावे और राज्य में ही उनके विधिकरण की व्यवस्था की जाय। आटा, चक्की, दाल, चक्की, धुनाई और गांठ बांधने आदि के कारखाने खोले जावें। अन्ततोगत्वा स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलेगा बल्कि और भी कई उद्योग धन्धों जैसे कि वनस्पति, रंग, वार्निश आदि के कारखाने खुल सकेंगे। इसी प्रकार पशु पदार्थों और खनिज पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग धन्धे भी खोलने चाहिएं। वन आधारित उद्योग भी खोले जा सकते हैं। किन्तु अभी इनका क्षेत्र सीमित है।

असाधन आधारित उद्योगों का विकास बाजार की सुविधाओं पर अधिक निर्भर करता है। बाजार की सुविधाओं की प्राप्यता, जनसंख्या, रहन सहन का स्तर और क्षेत्रीय विकास की अर्थ व्यवस्था के प्रभाव पर निर्भर करता है।

कृषि के क्षेत्र में औजार, पम्पों, नालियों आदि की मांग बढ़ेगी, इसी प्रकार बिजली लगने पर तार आदि की। साथ साथ ही गांव में शिक्षा की सुविधा बढ़ने पर रबड़, कागज, पेंसिल आदि की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार विकास के विभिन्न क्षेत्रों का प्रभाव यह होगा कि विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। किस जिले में किन किस वस्तु की कितनी मांग होगी इसकी जांच करने की आवश्यकता है ताकि लघु उद्योगों द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उचित मात्रा में उत्पादित की जावें। इस प्रसंग में राज्य के उद्योग विभाग और लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों के क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है।

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सुझाव

कृषि आधारित उद्योग:—सन् १९७१ तक लगभग ८.५० लाख टन तिलहन प्रतिवर्ष पैदा होने लगेगी। इसके आधे का राज्य में ही तेल निकाला जावे तो न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि इससे अन्य उद्योग धन्धे तथा रंगाई, वनस्पति आदि के भी खुल सकेंगे। ५ टन माल का प्रति दिन तेल निकालने की क्षमतावाले ४० कारखानें उपयुक्त स्थानों पर खोले जासकते हैं।

कपास की पिनाई, धुनाई और गांठ बांधनेवाले कारखाने तथा छोटे-छोटे कस्बों में बिजली से चलने वाले करघे और सूत रंगनेवाला एक कारखाना १६० लाख रुपये के नियोजन से खोले जासकते हैं।

८ बिस्कुट फैक्ट्रियां, १२ आधुनिक किस्म की बेकरियां और खोली जासकती हैं।

अजमेर और माउन्ट आबू में टमाटर की चटनी आदि बनाने का कारखाना खोला जा सकता है।

गांवों में खांडसारी की मांग बहुत है। गन्ना उत्पादन करनेवाले ऐसे क्षेत्रों में जोकि शक्कर की मिलों से दूर स्थित हैं पांच खांडसारी फैक्ट्रियां खोलने का सुझाव है। इसी प्रकार छः फैक्ट्रियां खली और गुड़ से मिला हुआ पशुओं का चारा बनाने के लिये खोली जासकती हैं। मूंगफली का आटा, खली और मक्खन बनानेवाली एक फैक्ट्री यूनीसेफ की सहायता से खोली जासकती है।

पशु आधारित उद्योग:—राजस्थान में तेल और वनस्पति से चमड़े की रंगाई करने के १२ कारखाने और क्रोम चमड़े की रंगाई करनेवाले १० कारखाने खोलने का सुझाव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ४ सरेस और जिलेटिन की निर्माणियां और खोली जावें, ताकि खालों के हटने पर प्राप्त मांस आदि का उपयोग किया जासके।

जूते, चप्पल आदि बनानेवाले २० कारखाने खोले जासकते हैं। इनमें प्रत्येक की लागत १.५ लाख रुपये होगी। और प्रत्येक में ६० मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार चमड़े के थैले और सूटकेस आदि बनानेवाले १५ कारखाने खोले जासकते हैं। प्रत्येक में एक लाख रुपये नियोजन करने होंगे और प्रत्येक में ४० मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

भारत में पैदा होने वाली कुल ऊन की ४५.२ प्रतिशत राजस्थान में पैदा होती है। अभी यह ऊन बिना विधिकरण के ही निर्यात कीजाती है। विधिकरण के लिये एक कारखाना खोला जावे तथा एक और वूल कारबनाईजिंग प्लांट लगाया जावे। इसके अतिरिक्त ६ ऊन कातनेवाले संयत्र, जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष २.६ लाख पौंड हो, लगाये जावें। ऊन निकालने के सिलसिले में प्राप्त लेनोलिन से विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाने के लिये एक संयंत्र भी लगाया जावे।

वर्तमान दुग्ध उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि करने के लिये ६० मन प्रतिदिन दूध देनेवाली ३० डेरियां राज्य में स्थापित कीजावें। इन पर ३ लाख रुपयों का नियोजन होगा। इनसे १०० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

वन आधारित उद्योग:—अलवर में मध्यम श्रेणी के खोखे बनानेवाला एक कारखाना २ लाख रुपये की लागत से खोला जावे, इससे १०० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धोकड़े की लकड़ी से औजारों के हत्थे बनाये जासकते हैं। इसके दो कारखाने एक अलवर में और एक बूंदी में ३ लाख रुपये के नियोजन से खोले जावें। भविष्य में चित्तौड़, सवाईमाधोपुर और कोटा जिले के शाहाबाद गांव में भी इस प्रकार के कारखाने खोले जासकते हैं।

कत्था, चमड़ा रंगाई, गोंद और उद्भिज रसायन बनानेवाले कारखाने भी खोले जासकते हैं। इस विषय में भी और प्रयोग करने की आवश्यकता है।

खनिज आधारित उद्योगः—३ लाख रुपये के नियोजन से भीलवाड़ा में एक हजार टन अभ्रक पीसनेवाला एक कारखाना खोला जावे। राज्य में ४ भिन्न-भिन्न रंग के संगमरमर मिलते हैं। संगमरमर काटने, पालिश करने और कतरे करनेवाले चार कारखाने खोले जासकते हैं। संगमरमर के कतरे चूने की धोवन बनाने के काम में भी आते हैं। इस प्रसंग में संगमरमर का चूना बनानेवाला एक कारखाना भी खोला जासकता है।

उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पलाना, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर में चीनी के वर्तन बनाने के कारखाने लगाये जासकते हैं।

अब राज्य में बिजली लगाने की योजना वृहद्‌रूप से लागू कीजावेगी। इस के लिये बहुतसे इन्सुलेटर्स की आवश्यकता होगी इसलिए इलेक्ट्रोसैलीन संयंत्र लगाये जावें, तीन प्लास्तर आफ़ पेरिस बनानेवाले कारखाने और एक ग्रेफ़ाइट क्रुसीबल बनानेवाला कारखाना लगाया जासकता है।

भारत में रिफैक्ट्रीज का अभी भी अन्य देशों से आयात किया जाता है। राजस्थान में तत्सम्बन्धी खनिज द्रव्य प्राप्त होने के कारण ३ रिफैक्ट्रीज, ७ फायरब्रिक और फ़ायरक्ले के प्लांट स्थापित किये जासकते हैं।

२ सोपस्टोन माइक्रोनाईजिंग प्लांट, २ फुलर्स अर्थ एक्टिवेशन प्लांट तथा मेंगनीज डाई आक्साइड बनानेवाला एक कारखाना तथा एक हाइड्रोक्लोरिड एसिड बनानेवाला कारखाना भी लगाया जासकता है।

असाधनआधारित उद्योग

रासायनिक उद्योगः—१० विभिन्न नगरों में साबुन बनाने के कारखाने लगाने के सुझाव दिये जाते हैं। १२ बूट पालिश और ८ मेटल पालिश बनानेवाले कारखाने, ६ रबड़ और प्लास्टिक के इंसुलेटेड केबिल्स बनानेवाले कारखाने, पांच साईकिल के टायर ट्यूब बनानेवाले कारखाने तथा ४ सोडियम सल्फेट बनाने वाले कारखाने लगाये जा सकते हैं। रंग और वार्निश की भी मांग बढ़ेगी। तत्सम्बन्धी कारखाने भी लगाए जा सकते हैं।

धातु आधारित उद्योगः—२८३ धातु आधारित उद्योग, जिन पर २३८ लाख रुपया नियोजन करने की आवश्यकता होगी और जिनमें ८,०५० व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, लगाने की सिफ़ारिश की जाती है। मुख्यतः मशीनों के पुर्जे, लिफ्टिंग जेक, न्यूमेटिक टूल्स, मशीन टायज़, पम्प, पेथोलोजिकल लेबोरेटरी का सामान, ताले, स्विच, बिजली के औजार, छोटे छोटे बिजली के मोटर आदि बनाने वाले कारखाने खोलने का सुझाव दिया जाता है।

स्टील के फ़र्नीचर बनाने वाले १५ कारखाने, १० फोर्जिंग तथा वेल्डिंग और १२ सामान्य इंजीनियरिंग सामान बनानेवाली इकाइयां तथा ८ हजार साईकिलें प्रतिवर्ष

बनाने के लिए २ कारखाने खोले जाने का सुझाव है। १० ताले बनाने वाले कारखाने, २० पेन्सिल बनानेवाले कारखाने, १० सूती होजियरी, १५ ऊनी होजियरी, ६ खेल का सामान बनानेवाले कारखाने, ३४ मोटरकार बस ट्रक आदि की सर्विस करने वाले कारखाने, १० टायर रिट्रेडिंग करने वाले कारखाने तथा ७५ विभिन्न प्रकार के कारखाने खोलने का सुझाव दिया जाता है।

नियोजन और रोज़गार

अनुमान है कि सन् १९६१-७१ के काल में राजस्थान में लघु उद्योगों पर लगभग ४० करोड़ रुपयों का नियोजन होगा। इस प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों के अनुसार लघु उद्योगों में ११.४५ करोड़ रुपयों का नियोजन होगा जिसका विवरण तालिका ५४ में दिया गया है। ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में नियोजन बढ़ता चला जावेगा। इससे १९ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त उत्पादन होगा और ८० हज़ार व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा।

कुटीर और ग्रामोद्योगः—सन् १९५५-५६ में राज्य के औद्योगिक रोज़गार में ९४ प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन का ८८ प्रतिशत भाग कुटीर और ग्रामोद्योग में पाया जाता था। इस वर्ग में प्राप्त रोजगार का विवरण तालिका ५३ में दिया गया है। ग्राम्य और कुटीर उद्योग में प्राप्त रोज़गार का ७५ प्रतिशत खादी, हाथ कर्घा उद्योग और अन्य वस्त्र उद्योग तथा लकड़ी और चमड़े के उद्योग में निहित है।

खादी उद्योगः—सन् १९५५-५६ से १९५८-५९ के तीन वर्ष के काल में खादी उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। इसमें राजकीय खादी मंडल से बड़ी सहायता मिली।

तेल उद्योगः—गांवों में तेल उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। सन् १९५७-५८ में १४,८६६ घानियों से ४७ हज़ार मन तेल निकाला गया। कुछ वर्षों से घानियों को बड़ी तेल चक्कियों की प्रतियोगिता के कारण कठिनाई उठानी पड़ रही है। राजकीय खादी बोर्ड तेल घानियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है।

समस्याएंः—राजस्थान में कुटीर और ग्रामोद्योग की वे ही समस्याएं हैं जो कि देश में उद्योगों की हैं। इनके उत्पादन के तरीके पुराने हैं। आर्थिक साधन अपर्याप्त हैं और कुशल कारीगरों की कमी है। यातायात और बाज़ार की भी समस्या है। कुछ उद्योगों को निर्माणियों के समक्ष प्रतियोगिता में भी आना पड़ता है।

सरकारी नीतिः—राष्ट्रीय नीति लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है। इन उद्योगों के पुनर्संगठन में नए और मंहगे औजारों की आवश्यकता नहीं होगी। रोज़गार भी बढ़ेगा और उत्पादन भी। दूसरी योजना में राज्य सरकार ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम, औज़ारों का वितरण, डिज़ाइनों में सुधार और वित्तीय और क्रय-विक्रय की सुविधाओं के प्रसार से उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। जहां कुटीर उद्योग निर्माणी उद्योगों के समक्ष प्रतियोगिता में आते वे उनको बिक्री कर में छूट दे कर सहायता की है। सहकारिता के आधार पर नए उद्योग संगठित करने की कोशिश की जा रही है।

अध्याय ६

विद्युत

आधुनिक युग में आर्थिक विकास उत्पादन पर निर्भर करता है और उत्पादन बिजली की प्राप्यता पर। बिजली के प्रयोग से श्रम और पूंजी का उत्पादन में समुचित उपयोग किया जा सकता है। किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए बिजली एक प्रमुख आवश्यकता है। विकास की ओर अग्रसर अर्थ व्यवस्था में बिजली की मांग पूर्ति से अधिक होती है इस लिए बिजली की योजना ऐसी हो कि आवश्यकता से अधिक बिजली मिल सके। एक किलोवाट बिजली प्रस्थापित करने में लगभग एक हज़ार रुपये का नियोजन करना पड़ता है और उसके उपयोग के लिए ६ हज़ार रुपये प्रति किलोवाट पूंजी उत्पादन की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि देश की अर्थ व्यवस्था के दृष्टिकोण से यह हितकर होगा कि आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जावे। यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभ में यद्यपि नियोजन से उत्पादन-क्षमता न्यून होती है किंतु दीर्घकालीन आर्थिक विकास को देखते हुए बिजली पर नियोजन एक अनिवार्य सामाजिक जिम्मेदारी है।

राजस्थान के कुछ गांवों में पीने के पानी की कमी है और खेतों को सिंचाई की आवश्यकता। औद्योगिक विकास भी पानी की कमी के कारण नहीं हो सका। बिजली प्राप्ति होने पर न केवल पीने के पानी और सिंचाई की समस्या हल होगी बल्कि उद्योग और खनिज विकास में भी सहायता मिलेगी।

प्रस्थापित क्षमता और वार्षिक उत्पादन—मार्च १९६० में राजस्थान में प्रस्थापित क्षमता १०० मेगावाट से कम थी। भाप और डीज़ल द्वारा यंत्रों से बिजली पैदा की जाती थी। कुल उत्पादित विद्युत में से ५५.६ प्रतिशत स्वतः उत्पादित थी। जल विद्युत का बिलकुल अभाव था। (तालिका ५५ और ५६) में विद्युत उत्पादन संबन्धी आंकड़े दिये गए हैं। उनसे ज्ञात होगा कि १९५० से १९५९-६० के काल में कुल देश में प्रस्थापित विद्युत क्षमता और उत्पादन का राजस्थान में भाग क्रमशः १.५७ प्रतिशत से घटकर १.३२ प्रतिशत और ०.९१ प्रतिशत से घट कर ०.६६ प्रतिशत रह गया। जब कि राजस्थान में सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों की प्रस्थापित क्षमता और उनसे विद्युत उत्पादन क्रमशः २१ और २६ प्रतिशत बढ़े, यह बढ़ोतरी देश में क्रमशः ४४ और ८४ प्रतिशत रही। इससे ज्ञात होता है कि राजस्थान में विद्युत विकास देश में होनेवाले विकास से कम गति पर है। (तालिका ५८) से सन् १९५०-५१ से १९५९-६० के काल में प्रस्थापित क्षमता और उत्पादन में होने वाले वाह्य परिवर्तनों का ज्ञान होगा। केवल राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था जहां इस काल में बिजली डीज़ल द्वारा पैदा की जा रही थी।

उपयोग का प्रतिरुप:—तालिका ५८ के अनुसार प्रति ५ युनिट के उत्पादन पर जब कि भारत में १ यूनिट से कम की हानि होती है राजस्थान में एक यूनिट से कुछ अधिक की हानि होती है और शेष उपयोग में आती है। यदि इस हानि को कम कर दिया जाय तो न केवल उपयोग में आनेवाली बिजली की मात्रा बढ़ेगी बल्कि नियोजन में परोक्ष रूप से बचाव भी होगा। सन् १९५५-५६ से १९५९-६० के काल में इस प्रकार बचत की हुई बिजली का बहुतसा भाग घरेलु उपयोग और व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त हुआ। इस काल में सिचाई पर प्रयुक्त विद्युत की मात्रा में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई।

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तालिका ५९ और ६० में विद्युत उपयोग संबन्धी आंकड़े दिए गए हैं। औद्योगिक विद्युत संयंत्रों का योगदान सन् १९५५ से लेकर १९५९-६० में ४३.३ प्रतिशत से बढ़कर ५६.६ प्रतिशत होगया। स्वतः उत्पादन पर निर्भरता बढ़ती रही है। यह तथ्य तालिका ६५ से भी स्पष्ट होता है। जब कि सन १९५५ में बिजली की ३/४ आवश्यकता स्वतः उत्पादन से पूरी की जाती थी सन् १९५९-६० में ५/६। इस काल में कुल देश में औद्योगिक विद्युत संयंत्रों से उत्पादित बिजली का उपयोग भी कुल ३१,७ प्रतिशत से घट कर २४.७ प्रतिशत रह गया। स्पष्ट है कि राज्य की विद्युत स्थिति को समझने के लिए स्वतः उत्पादन की मात्रा व उसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना होगा। तालिका ६२ में तत्संबन्धी आंकड़े दिये गए हैं।

तालिका ६३ और ६४ में दिये गए आंकड़ों से ज्ञात होता है कि राज्य में बिजली की बिक्री का प्रतिरुप ठीक वैसा ही है जैसा कि स्वतः उत्पादित विद्युत को ध्यान में रखने के पश्चात् अखिल भारत में। राज्य में बिजली की मांग की पूर्ति में औद्योगिक विद्युत संयंत्रों का योगदान बहुत अधिक है और यह इस बात का द्योतक है कि सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रम का समुचित विकास नहीं हो रहा है।

उपयोगिता का स्तर:—सन् १९५५ में बिजली का प्रति व्यक्ति वार्षिक उपयोग ३.२५ किलोवाट रहा था जो १९५९ में लगभग ४० प्रतिशत बढ़ गया। परोक्षरूप से यह विशेष प्रगति प्रतीत होती है किन्तु राष्ट्रीय प्रगति की पृष्ठभूमि में ऐसा ज्ञात नहीं होता। सन् १९५५ में राज्य में प्रति व्यक्ति उपयोग अखिल भारत का १६.५ प्रतिशत था और १९५९-६० में घट कर १४.८ प्रतिशत रह गया। (तालिका ६१)

योजनाकाल में विकास:—सन् १९५० के पूर्व केवल मुख्य शहरों में ही बिजली लगी हुई थी। समस्त बिजलीघर कोयले या डीजल से चलते थे। उनमें आपस में कोई संबन्ध नहीं था और उनमें पुरानी मशीनें लगी हुई थीं। उत्पादन क्षमता संतोषप्रद नहीं थी।
पहली योजना में १० बिजलीघरों का पुनर्संस्थापन किया गया। ५ डीजल स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया। १५ हजार किलोवाट की क्षमतावाले अतिरिक्त-उत्पादन-संयंत्र स्थापित किए गए। लगभग १५६ मील लाइनें लगाई गईं। इनके अतिरिक्त १२

नए डीज़ल स्टेशन शहरों और गांवों में रोजगार की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से लगाए गए। दूसरी योजना के प्रारम्भ में पहली योजना वाले समस्त कार्य अधूरे ही पड़े हुए थे। दूसरी योजना में भाकड़ा-नांगल और चम्बल परियोजनाओं से क्रमशः १६.४ और ३४.५ मेगावाट बिजली मिलने वाली थी। अन्य योजनाओं को मिला कर कुल ७९ मेगावाट प्रस्थापित क्षमता बढ़ाई जाने वाली थी। राज्य के उत्तरी जिलों में भाकड़ा से आने वाली बिजली के जाल कुछ कुछ पूरे हो चुके हैं। पूर्वी इलाके में चम्बल से जोधपुर तक बिजली ले जाने का काम चालू है। पश्चिम का कुछ हिस्सा कुछ समय तक भाकड़ा और चंबल की बिजली से लाभान्वित नहीं हो सकेगा। इस हिस्से में अभी भी कोयले और डीज़ल से चलने वाले पावरहाउस ही लगाने पड़ेंगे या गुजरात से बिजली लाने का विचार करना पड़ेगा।

उत्पादन की लागत और उसका प्रभावः—मार्च सन् १९६० तक बिजली उद्योग कोयले और डीजल पर निर्भर थे। दोनों प्रकार के ईंधन राज्य में आयात किए जाते थे। राज्य में स्थापित बिजलीघरों में पुरानी मशीनें लगी हुईं थीं और इनमें ईंधन अधिक व्यय होता था। इसलिए बिजली उत्पादन की लागत अधिक आती थी। सन् १९५७ में २९ चयनित उद्योगों में लागत ११.२१ रु० प्रति किलोवाट आई थी जब कि भारत में औसत ५.०७ रु०।

विद्युत् विकास के साधनः—राजस्थान में २२० लाख टन लिगनाइट पाये जाने का ज्ञान है जिसमें से १०० लाख टन आसानी से निकाला जा सकता है। अभी ५ लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन की आशा की जाती है। यदि यह सारा का सारा ही विद्युत उत्पादन के काम आवे तो ६५-७० मेगावाट की क्षमता वाला एक बिजलीघर लगाया जा सकता है। किन्तु कुछ ईंधन रासायनिक खाद के कारखानों, ईंटों की भट्टियों आदि में भी काम आवेगा इसलिए केवल ३५-४० मेगावाट की क्षमता वाला बिजलीघर ही लगाया जायगा। यदि लिगनाइट की भूगर्भित गैस से बिजली बनाई जा सके तो बहुत अच्छा होगा।

तीसरी योजना के अन्त तक चम्बल से प्राप्त बिजली का पूरा उपयोग हो सकेगा। माही से भी बिजली बनाने की योजना है। संभव है चौथी योजना तक सतलज और व्यास से भी राजस्थान को विद्युत लाभ हो सके।

१९६१-७१ में बिजली की आवश्यकता:—केन्द्रीय जल विद्युत आयोग और राजकीय विद्युत मंडल ने कुछ सर्वे किए हैं। उसके अनुसार बिजली की अनुमानित अधिकतम मांग इस प्रकार है:—

क्षेत्र	१९६५-६६		१९७०-७१	
	केन्द्रीय आयोग का विस्तृत अनुमान	केन्द्रीय आयोग के अनुमान में राज्य द्वारा संशोधन के उपरान्त अनुमान	केन्द्रीय आयोग का विस्तृत अनुमान	केन्द्रीय आयोग के अनुमान में राज्य द्वारा संशोधन के उपरान्त अनुमान
१. भाखड़ा क्षेत्र	९०.८३	१०५.०८	२१९.३३	१७९.३३
२. चम्बल क्षेत्र	९९.६६	१४५.६६	२१९.२९	२१९.२९
३. जोधपुर क्षेत्र	२९.९१	३४.९१	५६.२०	५६.२०
योग	२२०.४०	२८५.६५	४९४.८२	४५४.८२

केन्द्रीय आयोग के अनुमान के अनुसार १९६०-६१ के काल में ७६.५ मेगावाट बिजली की मांग थी। राष्ट्रीय परिषद् के अनुमान से दूसरी योजनाकाल के अन्त तक ७० मेगावाट की संभावित मांग होगी, इसके अतिरिक्त सन् १९६५-६६ तक २५० मेगावाट, सन् १९७०-७१ तक ५३५ मेगावाट की अतिरिक्त मांग होगी। तीसरी योजना में २० प्रतिशत और चौथी योजना में १५ प्रतिशत रिजर्वक्षमता को ध्यान में रखते हुये, तीसरी और चौथी योजनाकाल में क्रमश: ३८४ और ६६५ मेगावाट की क्षमता प्रस्थापित करनी पड़ेगी। तालिका ९६ में इस सम्बन्ध में विशेष विवरण दिया गया है।

सन् १९६१-७१ में विद्युत विकास के कार्यक्रम।—आशा की जाती थी कि दूसरी योजनाकाल के अंत में कुल उत्पादित क्षमता १४७ मेगावाट होगी। उसके अगले वर्षों में चंबल की चौथी इकाई, भांखड़ा और जोधपुर के वाष्प चालित बिजली घरों से कुछ और बिजली मिल सकेगी और इस प्रकार कुल प्रस्थापित क्षमता १७८ मेगावाट हो जायेगी। राजस्थान में प्रताप सागर से ६४ मेगावाट और भाखड़ा से ५३ मेगावाट बिजली सन् १९६४-६५ में मिल सकेगी और कोटा से ३६ मेगावाट बिजली १९६५-६६ में मिलेगी इस प्रकार तीसरी योजना काल के अंत तक १२० मेगावाट की आवश्यकता के समक्ष ३३४ मेगावाट प्रस्थापित क्षमता हो जावेगी। किंतु संभव है कि फिर भी बिजली की कमी पड़े, क्योंकि यहां के बिजलीघरों में पुराने यंत्र लगे हुए हैं जिनको बदलने की आवश्यकता होगी। दूसरे, नदियों में जल की कमीबेशी के कारण जल विद्युत की प्राप्यता में कमी हो सकती है और तीसरे, सन् १९६३-६४ में बिजली की मांग इतनी बढ़ सकती है कि लगभग ३०-४० मेगावाट की कमी पड़े। यह कमी राज्य में नए बिजलीघर लगाकर अथवा पड़ौसी राज्यों से बिजली ला कर पूरी

की जा सकती है। नए बिजलीघर लगाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। मध्य-प्रदेश के सतपुड़ा थर्मल स्टेशन से अथवा गुजरात के गैस से चलनेवाले बिजलीघरों से अथवा पाकिस्तान के गैस से चलने वाले बिजलीघरों से बिजली ली जा सकती है।

माही, सतलज और व्यास से चौथी योजना में जल विद्युत प्राप्त हो सकती है। अगले १० वर्षों में अतिरिक्त प्रस्थापित क्षमता ४५० से ५५० मेगावाट होगी जिनमें से लगभग ४०० मेगावाट जल आधारित होगी। पांचवी योजना में पड़ोसी राज्यों में स्वयंकी मांग इतनी बढ़ेगी कि वे राजस्थान को बिजली नहीं दे सकेंगे। तब तक शायद आणविक शक्ति से बिजली पैदा करने के तरीके प्रस्थापित हो सकेंगे। सरकार को चौथी योजनाके आखिरी वर्षों में यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी।

विद्युत विकास में पूंजी की विशेष आवश्यकता होती है। अगले १० वर्षों में लगभग १३५ करोड़ रुपयों का नियोजन करना पड़ेगा जबकि पिछले १० वर्षों में केवल २२.५० करोड़ रुपयों का ही नियोजन किया गया था।

अध्याय १०

जनशक्ति

राजस्थान के आर्थिक विकास के संबन्ध में इस प्रतिवेदन में सुझाए गए कार्यक्रमों की सफलता जनशक्ति की प्राप्यता पर निर्भर करती है । जनशक्ति की स्थिति के अध्ययन के लिए केवल सन् १९५१ की जनसंख्या के आंकड़े ही प्राप्त हैं, अन्य सूचना नहीं मिलती ।

भारत में राजस्थान सबसे कम घना बसा हुआ राज्य हैं और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यहां सबसे कम जनशक्ति प्राप्त है । यहां जनशक्ति से तात्पर्य संभावित आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या से है ।

राज्य में जनसंख्या का वितरण असमान है । केवल पूर्वी राजस्थानी मैदान में, जिसका कि क्षेत्रफल राज्यका १/४ है, लगभग आधी जनसंख्या पाई जाती हैं ।

ग्रामीण व शहरी जनसंख्याः—सन् १९५१ में राज्य की ८१.५ प्रतिशत जनता गावों में रहती थी और १८.५ प्रतिशत शहरों में । सन् १९६१ में शहरी जनताका अनुपात घट कर १६.५ प्रतिशत रह गया । ग्रामीण जनता का ३८ प्रतिशत भाग ऐसे छोटे छोटे गावों में था; जिनकी आबादी ५ हजार से कम थी । इस प्रकार राज्य की ग्रामीण जनशक्ति देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक बिखरी हुई थी ।

देहाती व शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरीः—१९४१-५१ के दशाब्द में कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी १२.५० प्रतिशत हुई थी । ग्रामीण जनसंख्या में १० प्रतिशत और शहरी में ११ प्रतिशत । सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार उल्टा परिवर्तन हुआ । अर्थात् १९५१-६१ के दशाब्द में जब कि कुल जनसंख्या २६.१४ प्रतिशत बढ़ी शहरी जनसंख्या ९.९ प्रतिशत । सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों पर शहरों में ९०२ स्त्रियां थीं और गावों में ९१० जब कि भारत में ९४७ । यहां पुरुषों का अनुपात विशेष है । इसी प्रकार प्रत्येक दशाब्द में जनसंख्या की बढ़ोतरी भी भारत की औसत से अधिक रही है । १९३१-४१ के दशाब्द में यह १८.०१ प्रतिशत थी, १९४१-५१ में १५.२० प्रतिशत और १९५१-६१ में २६.१५ प्रतिशत ।

कार्यशील आयुवर्ग में जनसंख्याः—सन् १९५१ में ५७ प्रतिशत [illegible] से ६४ वर्षों वाले आयु-वर्ग में थी । इसमें प्रति एक हजार पुरुषों पर [illegible] स्त्रियां थीं । यह पाया जाता है कि इस आयु-वर्ग में स्त्रियों का [illegible] अधिक थे ।

और सन् १९५१ के १५ वर्ष पूर्व पैदा होनेवाले बच्चों में लड़कियों का अनुपात अधिक था। गावों और शहरों दोनों में ही भारत के मुकाबले कार्यशील जनता का अनुपात कम था।

कार्यशील शक्ति और धन्धों के अनुसार आवंटनः—तालिका ६९, ७०, ७१ और ७२ में सहभागिता की दरें दीगई हैं। इनसे ज्ञात होगा कि राजस्थान में सहभागिता की दर ५०.४ प्रतिशत भारत में सबसे अधिक है। यह गावों में ५३.९ प्रतिशत है और शहरों में ३५.१ प्रतिशत। शहरों में यह सहभागिता दर अपेक्षाकृत कम इसलिये है कि वहां निर्माणी उद्योग धन्धों आदि में पूरे परिवार को कार्य मिलने का क्षेत्र इतना अधिक नहीं है जितना कि कृषि में और मध्यम वर्ग के परिवारों में स्त्रियां और बच्चे कार्य नहीं करते। राजस्थान में स्त्रियों की सहभागिता-दर पुरुषों के मुकाबले अधिक है। यहां प्रति परिवार जोतवाली भूमि की मात्रा अधिक है, जनसंख्या कम है और कार्यशील जनसंख्या में कृषिश्रम का अनुपात कम है। अतः पूरे परिवार की सहभागिता की अधिक आवश्यकता होती है। कृषि में कार्यशील जनशक्ति में बच्चे और वयोवृद्ध भी बहुत लगे हुए हैं। किन्तु प्रति व्यक्ति आय कम है और यह राज्य की पिछड़ी हुई अवस्था का द्योतक है। राजस्थान में प्राथमिक कार्यकलाप (खनिज के अतिरिक्त) अधिक महत्वपूर्ण है और गौण और तृतीयक कार्यकलाप कम। यह स्थिति आर्थिक ढांचे को अपेक्षाकृत कम विकीर्ण होने देती है।

बेरोजगारीः—कृषि और कुटीर उद्योगों में जहां कुल कार्यशील जनशक्ति के २/३ भाग को रोजगार मिला हुआ है और जहां अधिकांश पूरे परिवार कार्यरत हैं, बेरोजगारी नहीं है अपितु अल्प रोजगारी है। सन् १९५१ की जनगणना के प्रतिवेदन में कृषि में अल्प रोजगार का अनुमान लगाया गया है। उसके अनुसार १७ लाख व्यक्तियों, अर्थात् कृषि जनसंख्या के १५ प्रतिशत, को कम रोजगार मिला हुआ है। कम रोजगार प्राप्त व्यक्ति दो प्रकार के होसकते हैं एक वे जिनको कि विशेष मौसम में कम रोजगार मिलता है और दूसरे वे जिनको भूमि पर निर्भर अधिक जनसंख्या होने के कारण बारहों मास कम रोजगार मिलता है। छद्मवेषी बेरोजगारी के ये दोनों पहलू अभिन्न हैं। किन्तु फिर भी फ़सल कटाई के समय श्रम की अधिकतम मांग को देखते हुए अतिरिक्त जनशक्ति का मोटे रूप से अनुमान लगाया जासकता है। राजस्थान में सहभागिता की दर अधिक है। इसका अर्थ यह लिया जासकता है कि यहां कृषि के तरीके सुसंगठित नहीं हैं। और उनमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है अर्थात् यहां मौसमी अल्प रोजगारी अधिक है और बारहोंमासी अल्प रोजगारी अपेक्षाकृत कम।

कृषि श्रमिक परिवारों में अधिकांश के पास भूमि है और उनको आय का २७.१ प्रतिशत भाग खेती से मिलता है। इसलिये कुछ अनियमित श्रमिक फ़सल के समय मजदूरी पर नहीं मिलते। राजस्थान में कृषि श्रमिक साल में ११३ दिन खुद के काम में लगे होते हैं जबकि भारत में कुल ७५ दिन इस प्रकार लगेहुए होते हैं। फिर भी

अकृषि मौसम में कृषि मजदूरों में विशेष अल्प रोजगारी पाई जाती है। तालिका ७७ से ज्ञात होगा कि अनियमित मजदूर वर्ष में १०० दिन बेरोजगार रहे।

इस प्रकार नियमित मजदूरों की कमी संभवतः परिवार के सदस्यों के अधिक नियोजन से सम्बन्धित है। कृषि में अल्प रोजगारी राजस्थानी मजदूरों का पड़ोसी राज्यों में फ़सल कटने और अन्य कृषि कार्यों के लिये अल्पकालीन बहिर्गमन को भी स्पष्ट करता है।

सन् १९५४-५५ से १९५८-५९ के बीच में दुफ़सली क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र काफी बढ़े हैं। फ़सल प्रतिरूप अधिक गहन हुआ है और परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा है। इन विकास कार्यों के फलस्वरूप कृषि में श्रम की आवश्यकता बढ़ी है। और जनसंख्या की वृद्धि के बावजूद अल्प रोजगारी घटी है।

शहरी बेरोजगारी:—राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार सन् १९६१ में अनुमानित शहरी बेरोजगारी ५८ हजार अर्थात् शहरी कार्यशील जनशक्ति का ५ प्रतिशत थी। ये सारे व्यक्ति ही आवश्यकरूप से श्रम नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत नहीं होसकते, केवल कुछ ही पंजीयन करवाते हैं।

जनशक्ति का विकास और भविष्य की संभावनाएं

राष्ट्रीय परिषद ने अनुमान लगाया है कि सन् १९७१ में राजस्थान की जनसंख्या २४९.४ लाख होजावेगी। तालिका ७८ में इनका आयु और लिंगभेद के अनुसार आवंटन किया गया है। इसमें यह माना गया है कि सन् १९५१ का आयु आवंटन और सन् १९६१ का लिंगभेद आवंटन सन् १९७१ में भी लागू रहेगा।

कार्यशील जनशक्ति की बढ़ोतरी:—अगले १० वर्षों में होनेवाली जनशक्ति की बढ़ोतरी का अनुमान शहरीकरण की दर और भविष्य की सहभागिता को ध्यान में रखते हुए लगाया जा सकता है। ये दोनों ही तत्व आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित औद्योगिक विकास को दृष्टिगत करते हुए यह माना जा सकता है कि १९७०-७१ में शहरी आबादी ग्रामीण आबादी से दुगुनी दर से बढ़ेगी। इस दशाब्द में जनसंख्या के आयुवार आवंटन में विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। आर्थिक विकास के साथ साथ प्रति व्यक्ति और प्रति कारीगर (श्रमिक) आमदनी बढ़ेगी इसलिए सहभागिता की दर घटेगी। साथ ही स्त्रियों की सहभागिता भी कम हो जावेगी। शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार के कारण अधिक बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। आर्थिक ढांचे में परिवर्तन होने के साथ साथ मजदूरी पर काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी और तदनुसार परिवार की सहभागिता कम होगी।

ठीक इसके विपरीत, शहरी मध्यम वर्ग की स्त्रियों की प्रवृत्ति काम करने की ओर बढ़ेगी। संयुक्त परिवारों का विघटन होगा। और जीवन में बौद्धिक तत्वों की ओर

रुचि बढ़ेगी। संभव है कि इस प्रकार अंततोगत्वा सहभागिता की दर अपरिवर्तित रह जावे।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति के दो अनुमान लगाए गए हैं। पहले में ग्रामीण, शहरी पुरुषों एवं स्त्रियों की सहभागिता दर वही मानी गई है जो सन् १९५१ में थी। दूसरे अनुमान में स्त्रियों की सहभागिता दर जो सन् १९५१ में ४५.७ प्रतिशत थी ४० प्रतिशत मानी गई है। और अन्य दरें सन् १९५१ के स्तर पर मानी गई हैं।

प्रथम अनुमान के अनुसार सन् १९६१-७१ के काल में जनशक्ति में २३.५ लाख की वृद्धि होगी। इसमें से १५ लाख पुरुष होंगे और शेष स्त्रियां। ४.७० लाख शहरी जनशक्ति में वृद्धि होगी, जिसमें से ३.७० लाख पुरुष होंगे।

दूसरे अनुमान के अनुसार जन शक्ति में १८ लाख की वृद्धि होगी जिसमें से १५ लाख पुरुष होंगे और शेष स्त्रियां। यहां यह ध्यान देने की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों की सहकारिता दर में थोड़ी कमी करने से जन शक्ति की बढ़ोतरी में इतनी अधिक कमी आ गई है।

सन् १९६१-७१ में, उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होगा कि लगभग २० लाख कार्यशील जनशक्ति बढ़ेगी जिसमें से ४.७० लाख शहरों में होगी। इसका प्रभाव विकास के कार्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की विकास दरों पर पड़ेगा। तालिका ७९ में इस प्रतिवेदन में वर्णित कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। कृषि क्षेत्र में कुल १२.६ लाख रोजगार की वृद्धि होगी। उसका ५६ प्रतिशत तृतीय कार्यों में खपेगा। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या लगभग ८ लाख बढ़ेगी। इस दशाब्द में देहाती अल्प रोजगारी में कमी दृष्टिगोचर होगी क्योंकि कृषि श्रमिकों की मांग अधिक गति से बढ़ेगी। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अल्प रोजगारी किस हद तक कम हो जावेगी।

बम्बई और पंजाब में हुए सर्वेक्षणों के आधार पर तथा राजस्थान के प्राप्य सन् १९६१-७१ के दशाब्द के आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कृषि में लगभग १८ करोड़ अतिरिक्त श्रमिक दिनों की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में ३८ प्रतिशत श्रम की बढ़ोतरी होगी।

यह मानते हुए कि कृषि में श्रम शक्ति का ढांचा और नियोजन की गति दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, ग्रामीण कार्यशील जनशक्ति सन् १९६१-७१ के दशाब्द में २०.६ लाख बढ़ेगी। ग्रामीण जनसंख्या इस काल में कुल ३५.६ लाख बढ़ेगी। इस प्रकार अभी जो बेरोजगारी की स्थिति दिखाई देती है, बदल कर तीसरी और चौथी योजना काल में श्रमिकों पर भार वाली स्थिति में परिवर्तित हो जायगी। पीछे यह सुझाव दिया

गया है कि कृषि में मोटर चालित यंत्रों का उपयोग किया जावे। इससे श्रम स्थिति में समता आवेगी और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी बढ़ेगी।

शहरों में रोजगार ढूंढने वालों की संख्या सन् १९६१-७१ में लगभग ५.२० लाख होने की सम्भावना है। इसी काल में लगभग ५७ हजार अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलने के साधन जुटा सकेंगे।

सन् १९६१-७१ में उत्पादकता:—तालिका ८० में प्रत्येक क्षेत्र की प्रति श्रमिक उत्पादकता की दर दी गई है। स्पष्ट है कि उद्योग के संगठित क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता तीव्रतम गति से बढ़ेगी। लोगों के रहन-सहन का स्तर भी इस काल में सामान्य रूप से बढ़ेगा।

प्राविधिक और कुशल जनशक्ति:—अविकसित क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की कमी रहती है। कुशल जनशक्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है:—

१. वे व्यक्ति जो स्वयं उत्पादन में लगे हुए हैं।

२. वे व्यक्ति जो कि निरीक्षण और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए हैं और उत्पादन के संगठन व संचालन में भाग लेते हैं। इस श्रेणी में इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन भी सम्मिलित हो जाते हैं।

कुशल जनशक्ति तैयार करने में ऊंचे स्तर की सामान्य शक्ति का विशेष महत्व है। सन् १९७१ तक १५ वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। सन् १९७१ तक ६२ हजार कुशल और अर्ध कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी इसलिए प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार की आवश्यकता है। सन् १९६६ तक इन केन्द्रों की क्षमता ४२ हजार प्रति वर्ष तक बढ़ेगी। यह क्षमता सन् १९६६ में १ लाख प्रतिवर्ष करनी होगी।

निरीक्षण और व्यवस्थापन के क्षेत्र में सन् १९६१-७१ में २० हजार व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ६,५५६ कृषि में, ६,४०० स्वास्थ्य और ७,००० उद्योग एवं निर्माण कार्यक्रमों में। इन व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा, उत्पादन के लिए संगठन और निर्देशन सम्बन्धी शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा देनी होगी।

अभी प्रत्येक इंजीनियर के पीछे १.६ डिप्लोमाधारी हैं यह अनुमान १.३ होना चाहिए। १८ हजार डिप्लोमाधारियों की कमी पाए जाने की संभावना है। प्राविधिक शिक्षा की सुविधाएं संभावा आवश्यकता से ४-५ वर्षों के पहले ही प्रदान किए जाने की जरूरत है। इस प्रकार पांचवीं योजना में चाहे जाने वाले व्यक्तियों की शिक्षा की सुविधाएं सन् १९७१ तक उपलब्ध कर देनी होंगी।

इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कालेज और ३ पोलिटेक्निक खोल दिए जायें और चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधाएं बढ़ा दी जायें।

अध्याय ११

यातायात

राजस्थान में यातायात के साधनों पर यहां की भौगोलिक दशा, आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्थिति का प्रभाव पड़ा है। अरावली के दक्षिण-पूर्व का भाग, जो कि अधिक उपजाऊ है, अधिक घना बसा हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत है। यहां सड़कों का जाल बिछा हुआ है और रेलें कम हैं। इसके विपरीत, शेष राजस्थान में जो रेगिस्तानी है और कम घना बसा हुआ है, सड़कों की कमी है और रेलों की अधिकता राजस्थान में दिसम्बर सन् १९६० में ३८६८ मील लम्बी रेलें व १५८७२ मील सड़कें थी और ४१८ बसें राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा ४३६६ अन्य बसें और ८३२६ लारियां थी। लगभग २.१४ लाख व्यक्ति रेलवे, और सड़क परिवहनों में रोजगार पा रहे थे। इस प्रकार राजस्थान में कुल जनसंख्या का १.०६ प्रतिशत भाग यातायात परिवहन रोजगार में लगा हुआ था। भारत में यह भाग १.६ प्रतिशत है।

विद्यमान स्थिति:—राजस्थान से लगभग ५ लाख टन अन्न रेल द्वारा निर्यात किया जाता है। सड़कों द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल की मात्रा का अनुमान अप्राप्य है। लगभग ५.२ से ६ लाख टन तक अन्न देहातों से राज्य के शहरों में आता है। लगभग ३ लाख टन इमारती लकड़ी, ईंधन और कोयला तथा २५ लाख गांठें कपास, १.४५ लाख टन तिलहन का राज्य में ही यातायात होता है। रेलों से लगभग ५० हजार टन तिलहन और ५.६ हजार टन वनस्पति तेलों का निर्यात तथा १५.८ हजार टन वनस्पति तेलों का आयात होता है। लगभग ३ हजार टन वनस्पति तेल सड़कों द्वारा भी लाया जाता है। सन् १९५४-५९ के काल में औसतन ५.५० लाख टन गन्ना प्रतिवर्ष कारखानों में ले जाया गया। कृषि वस्तुओं का आवागमन भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और गंगानगर जिलों में अधिक है।

लगभग १.५० लाख टन नमक रेलों द्वारा दूसरे राज्यों में भेजा जाता है और राजस्थान में ही लगभग २.२ लाख टन रेलों और सड़कों द्वारा वितरित किया जाता है। इस सम्बन्ध में यातायात-भार पचभद्रा, डीडवाना और सांभर के स्टेशनों पर अधिक है। खनिज उद्योग के सम्बन्ध में सोजत, गोटन, जामसर, नागौर, रामगंज मंडी, चित्तौड़, निंबाहेड़ा, मकराना, जयपुर, कानोता-डूंगर, कोटा, कनोती, भरतपुर, धौलपुर, जावर, चौमू, झुंझुनू आदि केन्द्रों पर यातायात भार अधिक है। अब चूंकि पिछले वर्षों में खनिज उत्पादन विशेष रूप से बढ़ा है यातायात के साधनों में अधिक विकास करने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। सिमेंट के निर्यात, लोहा, स्टील और मशीनों के आयात और शक्कर, कपड़े और रासायनिक खादों के वितरण का भी यातायात पर विशेष भार है।

सन् १९५८ से १९६० के कार्य-काल में ९ लाख टन से अधिक कोयला आयात किया गया, उसका लगभग १/३ भाग भटिंडा और नराय रोहिल्ला से आता है शेष आगरा (पूर्वी भाग) और रतलाम में उतारा चढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, चूने और कपड़े के कारखानों आदि में ले जाया जाता है। कांधला और बम्बई से लगभग १.६० लाख टन पेट्रोल के पदार्थ लाए जाते हैं।

वर्तमान सुविधाएं

रेलें:—राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चुरू, जिलों और हनुमानगढ़ में २०४ मील उत्तरी रेलवे का मानान्तर पथ है। अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर आदि में पश्चिमी रेलवे का १७० मील महान्तर पथ और १५६८ मील मानान्तर पथ है। भरतपुर जिले में मध्य रेलवे का लगभग ८३ मील लम्बा महान्तर एवं लघ्वन्तर पथ है। टोंक, झालावाड़ और जालोर जिलों में रेल पथ नहीं के बराबर है और शेष जिलों में केवल सड़क परिवहन पर निर्भर करना पड़ता है।

प्रति व्यक्ति रेलवे माइलेज के दृष्टिकोण से राजस्थान में स्थिति भारतीय स्तर से अच्छी नजर आती है किन्तु यह राज्य कम घना बसा हुआ होने के कारण क्षेत्रीय दृष्टिकोण से यातायात के साधन यहां कम ही प्रतीत होते हैं। रेल पथों की भिन्नता के कारण भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर तथा राज्य के बाहर रतलाम आगरा (पूर्वी भाग) सराय रोहिल्ला और भटिंडा में माल का उतार चढ़ाव होता है। यहां राज्य में आने वाला माल अधिक होता है और राज्य से जाने वाला माल कम, इसलिए उतार चढ़ाव की दिक्कतें बनी रहेंगी। सवाईमाधोपुर, फुलेरा हनुमानगढ़, रतनगढ़, सादुलपुर और श्रीगंगानगर में वेगनों की कमी और रेलों के यार्ड की अपर्याप्ती के कारण इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं।

सड़कें:—राज्य में लगभग ७८२४ मील निर्मित पृष्ठ और ८४४८ मील अनिर्मित पृष्ठ सड़कें हैं। ये नागपुर योजना के लक्ष्यों का ४५.७ प्रतिशत हैं। प्रति व्यक्ति सड़कों की लम्बाई अन्य राज्यों की अपेक्षा यहां अधिक है किन्तु प्रति हजार वर्गमील सड़कों की लम्बाई और राज्यों से कम है।

यह ध्यान देने की बात है कि केवल अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और झालावाड़ के ही जिले ऐसे हैं जहां कि नागपुर योजना के अनुसार प्रति १०० वर्गमील क्षेत्रफल में २६ मील सड़कों का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अजमेर, अलवर, भरतपुर जयपुर, झालावाड़, कोटा और सिरोही जिलों में निर्मित पृष्ठ सड़कों की लम्बाई काफी है। किन्तु बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, नागौर और कोटा जिलों में अनिर्मित पृष्ठ सड़कों की लम्बाई अधिक है।

सड़क परिवहन:—राजस्थान में प्रति लाख व्यक्तियों पर १६० मोटर वाहन हैं जब कि भारत में १३८ और प्रति १०० वर्गमील के क्षेत्रफल में २८ मोटर वाहन हैं

जब कि भारत में ३०, सन् १६५२ के मुकाबले सन् १६६० में किराये के मोटर वाहनों की संख्या में १६७ प्रतिशत की वृद्धि हुई और निजी मोटर वाहनों में २११.७ प्रतिशत। राजस्थान की अधिकांश ट्रकें जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर जिलों में पाई जाती हैं। प्रति ४१३६ व्यक्तियों पर एक बस है और विशेषकर इन बसों का जमाव जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, पाली, अजमेर और कोटा जिलों में है। ४१८ बसें राज्य सरकार के विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं।

४ वर्तमान संपादित कार्य और भविष्य में मांग:—अनुमान है कि अभी रेलें लगभग ३२ से ३३ लाख टन सामान राजस्थान में लाती हैं या राजस्थान से ले जाती हैं। तीसरी योजना के अन्त में ४७ लाख टन यातायात की और वृद्धि होगी और चौथी योजना के अन्त तक ३४ लाख टन की। राज्य के अन्तर्गत रेलों द्वारा होने वाले माल के आवागमन का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं हो सका है किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि सन् १६६६ में इसमें १६ लाख टन की और १६७१ में १७ लाख टन की वृद्धि होने की संभावना है।

सड़कों द्वारा ले जाये जाने वाले माल का अभी अनुमान नहीं लग सका है। दिल्ली, राजस्थान के एक मार्ग के सर्वेक्षण से अनुमान हुआ है, कि प्रति वर्ष ६५ हजार टन माल ले जाया जाता है। तीसरी योजना के अन्त में माल के आवागमन में राज्य के भीतर २४.८ लाख टन और विभिन्न राज्यों के बीच १.०२ लाख टन की वृद्धि होगी। यह वृद्धि चौथी योजना में क्रमशः १८ लाख टन और ६३ हजार टन होगी। अतिरिक्त वार्षिक आवागमन का भार वहन सन् १६६६ में ७३.८ प्रतिशत और सन् १६७१ में ७२.८ प्रतिशत रेलों द्वारा होगा और शेष सड़कों द्वारा।

दूसरी योजना में विकास

रेलवे निर्माण एवं सुधार:—१ मार्च सन् १६५७ से फतहपुर-शेखावाटी-चुरू लाइन ६५ लाख रुपये के नियोजन से चालू की गई। भिल्डी-रानीवाड़ा लाइन, जिस पर १.१६ करोड़ रुपया लागत होगी, कांडला बन्दर से छोटा रास्ता देने के दृष्टि-कोण से बनाई जा रही है। उदयपुर-हिम्मतनगर लाइन, जिस पर १०.७३ करोड़ रुपये लागत होगी, बनाने की मंजूरी दी गई। चित्तौड़, कोटा, डूंगरपुर, रतलाम, लोहारू, पिलानी, हिन्दू मालकोट, श्रीगंगानगर लाइनों का यातायात और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण समाप्त हुआ। अजमेर-कोटा लाइन का यातायात सर्वेक्षण स्वीकृत हुआ।

वर्कशाप के सिवाय लोको शेड, यार्ड आदि बनाये या उनमें सुधार किए गए। इन सब कार्यों पर कुल ६.२७ करोड़ रुपये नियोजित हुए।

सड़क निर्माण और सुधार:—दूसरी योजना में २,७०८ मील लम्बी नई सड़कें बनाने और १६४२ मील सड़कों का सुधार करने का लक्ष्य था। आशा है कि योजना के

अन्त तक २,१७० मील लम्बी नई सड़कें बन जायेंगी और २,१२२ मील सड़कों में सुधार हो जावेगा। प्रथम ४ वर्षों में ७.११ करोड़ रुपया व्यय किया गया। स्टील और स्थानीय मजदूरों की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई रही।

सड़क परिवहन:—निजी ट्रकों की संख्या में सन् १९५६ से १९५९ के अन्त में ५ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और किराये के परिवहनों में १० प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण का सन् १९५९ में प्रयास किया किंतु उच्च न्यायालय द्वारा यह मामला स्थगित कर दिया गया।

तीसरी और चौथी योजनाकाल में परिवहन की संभावित मांग:—
यदि इस प्रतिवेदन में दिए गए कार्यक्रमों को समूचा ही कार्यान्वित किया जा सके तो सन् १९६६ तक ६१.५ लाख टन और १९७१ में अतिरिक्त ७०.१ लाख टन परिवहन के बढ़ने की संभावना है। इनका विशेष विवरण तालिका ८४,८५ और ८६ में दिया गया है। यहां यह स्पष्ट कर देना होगा कि सड़क परिवहनों के अनुमान में बैल और ऊंट गाड़ियों आदि द्वारा ले जाया जाने वाला माल भी शामिल है। राज्य के भीतर ही सामान लाने, ले जाने की मांग सड़कों के विकास के कार्यक्रम से पूरी हो सकेगी किंतु राज्य के बाहर सामान लाने ले जाने की सुविधाएँ बढ़ाने के दृष्टिकोण से नहरी इलाके में रेलें बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान नहर में नावों द्वारा माल ले जाने की व्यवस्था से भी इस दिशा में योग मिलेगा। मछलियां लाने ले जाने के लिये तीसरी योजना में २० और चौथी योजना में ३० रेफ्रीजिरेटेड ट्रकों की आवश्यकता होगी। कोटा और सवाई माधोपुर तथा दिल्ली हावड़ा रेल पथ पर रेफ्रीजिरेटेड वान भी लगाने पड़ेंगे। वनों के लिये ३७५ मील सड़कों की आवश्यकता होगी। खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक सड़कों का विवरण तालिका ८८ में दिया गया है। जिन स्टेशनों पर माल के लदाव चढ़ाव की दिक्कतें हैं वहां तत्संबन्धी सुविधायें प्रदान करनी होंगी। अंतर्राज्यीय यातायात में सन् १९६६ तक ४८ लाख टन की और सन् १९७१ तक और ३४.८ लाख टन की वृद्धि होगी। रेल द्वारा जानेवाले माल में सन् १९६६ में ६८.७ प्रतिशत और सन् १९७१ में १२१.८ प्रतिशत वृद्धि होगी। सड़कों से जाने वाले माल में सन् १९६६ में लगभग २५.८ लाख टन की वृद्धि होगी। सन् १९७१ में इस में १८.७ लाख टन की और वृद्धि होगी। राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलों द्वारा ले जाये जाने वाले माल में क्रमशः २४.८ लाख टन और १८.१ लाख टन की सन् १९६६ में और सन् १९७१ में वृद्धि होगी।

नियोजन की आवश्यकताएं:—राजस्थान में रेल यातायात का कार्यक्रम बनाने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि अरावली का दक्षिण-पूर्वी भाग उत्तरी पश्चिमी भाग से अधिक पिछड़ा हुआ है और इसको परिवहन की विशेष आवश्यकता है। रेल संबन्धी यातायात पर ४७.६१ करोड़ रुपयों की लागत का कार्यक्रम तालिका ८७ में दिया हुआ है। सड़कों पर ७१.१२ करोड़ रुपये नियोजन करने होंगे। जिसमें २६.३ करोड़ रुपयें

का केंद्रीय सरकार का भाग भी सम्मिलित है। सड़क परिवहनों के कार्यक्रम का विवरण तालिका ८८ में दिया गया है।

इस प्रतिवेदन में राज्य के सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् १९६१-६६ में इस कार्यक्रम पर ५.२३ करोड़ रुपये और सन् १९६६-७१ में भी इतनी ही धनराशि व्यय होगी। नहरी क्षेत्र में सन् १९६१-६६ में परिवहन में सुधार के लिये २.२६ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। सन् १९६१-७१ में सन् १९५९-६० (७२३०) से दुगुनी ट्रकों की आवश्यकता होगी। इन १० वर्षों में अधिकतर विद्यमान परिवहनों को बदलना पड़ेगा और उन पर ४३.५ करोड़ रुपयों का नियोजन करना होगा। राजस्थान नहर में नौका विकास पर १.७५ करोड़ रुपये के नियोजन की आवश्यकता होगी।

अध्याय १२

विकास के वित्तीय साधन

सन् १९४८ और १९४९ में राजस्थान के एकीकरण के समय वित्तीय पुनर्गठन की समस्या सामने आई। १९५०-५६ के काल में न केवल विभिन्न राज्यों की वित्तीय परम्परा का एकीकरण हुआ बल्कि केंद्र से उनके वित्तीय संबन्धों में विकास हुआ और राज्य की कर नीति मे एकरूपता लाई गई।

चुंगी बंद करके बिक्री कर लगाया गया। मोटर परिवहन कर की दरें सन् १९५५-५६ में बढ़ाई गईं। सन् १९५२ में जागीरें खत्म की गईं। और सन् १९५६ में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम लागू किया गया। दूसरी योजना के प्रारंभ में राज्य ने एक वित्तीय जांच समिति नियुक्त की जिसने सन् १९५८ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सन् १९५० में किए गए प्रयत्नों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई।

सन् १९५१-५२ से १९५८-५९ में कुल राजस्व में १३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी काल में राज्य करों से राजस्व ५३ प्रतिशत बढ़ा और अन्य राजस्व (केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त) ५५ प्रतिशत बढ़ा। योजना व्यय के लिए केन्द्र से राज्य सरकार को हस्तांतरित किए गए साधनों मे विशेष बढ़ोतरी हुई। सन् १९६०-६१ में राज्य करों से राजस्व ८.९ करोड़ रुपया आंका गया है। इस प्रकार पिछले ९ वर्षों में लगभग ६४ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यदि कर वसूली हो सके तो योजना काल के पिछले २ वर्षों में होने वाली राज्य करों में बढ़ोतरी विशेष अधिक मानी जायेगी।

अन्य (नानटैक्स) साधनों से प्राप्त राजस्व में होने वाली बढ़ोतरी क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत कम प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इस प्रकार के राजस्व के कई स्रोत अभी केवल प्रारंभ ही हुए हैं।

सन् १९५१-५२ में आय कर में राजस्थान का भाग ९३ लाख रुपये था जो बढ़कर १९५२-५३ में १.९ करोड़ रु० हुआ। सन् १९५२-५३ से ही केंद्रीय आबकारी में भी राज्य को हिस्सा मिलने लगा। बढ़ते बढ़ते १९६०-६१ में केन्द्र से प्राप्त कुल भाग ७.४ करोड़ रुपये अर्थात राज्य के कुल राजस्व का १६.५ प्रतिशत हुआ।

इस प्रकार केंद्र से प्राप्त वित्तीय साधनों और वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी होने से राज्य के चालू राजस्व के प्रतिरूप में भी विशेष परिवर्तन आया। सन् १९५१-५२ में राज्य कर कुल राजस्व का ६७.८ प्रतिशत था जो घट कर १९६०-६१ में ४१.७ प्रतिशत रह गया। और अन्य राजस्व भी २५ प्रतिशत से घट कर १८.६ प्रतिशत रह गए। केंद्रीय सहायता कुल राजस्व के ७.३ प्रतिशत से बढ़ कर ३९.७ प्रतिशत हो गई। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि इन सबका राजस्व में अपेक्षित भाग घटा है किंतु राज्य कर और अन्य राजस्व में सन् १९५१-५२ से १९६०-६१ में क्रमशः ६४ प्रतिशत और ९३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

सन् १९५१-५२ से १९५९-६० के काल में भू-राजस्व मे १५० प्रतिशत की वृद्धि हुई और १९५९-६० में करों से प्राप्त कुल राजस्व का यह ४८ प्रतिशत था। आगामी १०-१५ वर्षों में जब फिर से बन्दोबस्त होगा और भूमि नापतोड़ होगी तब भू-राजस्व में और भी वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य आबकारी से १९५९-६० में कुल राज्य करों का २२.७ प्रतिशत राजस्व प्राप्त हुआ। इस काल में राज्य आबकारी राजस्व में कुल २०.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई कम बढ़ोतरी का कारण यह भी हो सकता है कि अफीम की बिक्री पर अखिल भारतीय नीति के अनुसार धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दी गई थी किंतु इसके अतिरिक्त और भी विशेष कारण हो सकते हैं। राज्य सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि कर अपवंचन और प्रबंध तरीके अपनाने का इन कमी में कहां तक योग है।

सन् १९५९-६० मे बिक्री कर से कुल कर राजस्व का १६ प्रतिशत प्राप्त हुआ। सन् १९५१-५२ में लगाए गए सामान्य बिक्री कर, मोटर स्प्रिट बिक्री कर, कृषि आय कर, सड़कों द्वारा ले जाये जाने माल और सवारियों पर कर तथा मोटर वाहनों पर लगाए गए कर की वृद्धि और १९५९-६० में लगाए गए व्यापारी कर आदि से सन् १९६०-६१ में कुल ५.७ करोड़ रुपये की आय हुई। इस प्रकार विभिन्न मदों पर कर लगाए गए और कर अपवंचन न्यूनतम किया गया।

अभी भी राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में कृषि की प्रधानता है। जब तक व्यापारिक करों का विकास नहीं किया जावेगा और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में मुद्रीकरण नहीं हो जावेगा राज्य सरकार को भू-राजस्व और बिक्री करों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।

व्यय की प्रवृत्ति:—सन् १९५१-५२ में कुल व्यय १७.१ करोड़ रुपये था जो कि बढ़ कर सन् १९६०-६१ में ४८.८ करोड़ रुपये होगा। इस काल मे विकास कार्यों पर व्यय की ओर स्पष्ट झुकाव रहा किन्तु गैर विकास कार्यों पर भी खर्च लगभग १० करोड़ रुपये बढ़ा जिसमें से ३.९ करोड़ रुपये प्रशिक्षण एवं कर संकलन पर तथा ५.१ करोड़ रुपये ऋण सेवाओं पर व्यय हुए। प्रशिक्षण पर व्यय, विशेष कर, योजना

के कारण प्रशासनिक विस्तार एवं वेतन श्रृंखलाओं में संशोधन के कारण हुआ। प्रशासन व्यय में अब बढ़ोतरी होने की गुंजाइश नहीं है।

सामान्य राजस्व में से सन् १९५९-६० में ७.२ और १९६०-६१ में ८.५ प्रतिशत ब्याज के रूप में दिया गया। इस प्रकार कुल राजस्व को देखते हुए ब्याज की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक नहीं कही जा सकती किन्तु योजना पर, विशेष कर भाखड़ा और चम्बल परियोजनाओं पर, केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण की अदायगी का भार राज्य की व्यय स्थिति पर अवश्य विशेष होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार १ या २ विकास क्षेत्रों में करण-आय-व्यय-विधि का प्रयोग करके देखे।

दूसरी योजना की वित्त व्यवस्था:—जब दूसरी योजना १०५ करोड़ रुपये पर लक्षित की गई थी तब यह आशा थी कि राज्य सरकार स्वयं ३४ करोड़ रुपये लगायेगी और केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में ७१ करोड़ रुपये उपलब्ध करेगी। योजना पर हुए वास्तविक व्यय के अध्ययन से पता लगता है कि राज्य सरकार ने स्वयं ३६ करोड़ रुपये उपलब्ध किए हैं और ६० करोड़ रुपये की केन्द्र से सहायता प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य सरकार ने अतिरिक्त कर और जनता से ऋण की दिशा में आशातीत सफलता प्राप्त की। किन्तु राज्य सरकार योजना के अतिरिक्त अन्य व्यय में होने वाली बढ़ोतरी को रोक नहीं सकेगी।

राज्य द्वारा उपलब्ध ३६ करोड़ रुपयों में से ७.६ करोड़ रुपये सिक्योरिटीज की बिक्री एवं ओवर ड्राफ्ट से प्राप्त हुए १३.५ करोड़ रुपये अतिरिक्त कार्यों से और १५ करोड़ रुपये ऋण द्वारा प्राप्त हुए। लगभग ६ करोड़ रुपये अल्प बचत योजना से प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त हुए ४२ करोड़ रुपयों में से लगभग ३ करोड़ रुपये योजना के अतिरिक्त अन्य व्यय में बढ़ोतरी के कारण हुए और राज्य को घाटे के बजट पर चलना पड़ा। अल्प बचत योजना के अन्तर्गत और अधिक रुपये एकत्रित करने की ओर कदम उठाने की आवश्यकता है।

भविष्य के विकास के लिए वित्तीय साधन: कर:—अब नए कर लगाने की गुंजायश नहीं है। विद्यमान करों की दरों में ही वृद्धि की जा सकती है।

सामान्य बिक्री कर राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। अभी तक एक-बिन्दु-बिक्री-कर का ही चलन है। यह सर्व विदित है कि कर जांच आयोग ने ऊंची दर के एक-बिन्दु-बिक्री-कर को सामान्य-बहु-बिंदु-कर की निम्न दरों के साथ संबंधित करने की प्रणाली की सिफारिश की थी। इसी प्रसंग में राजस्थान राज्य वित्त जांच समिति ने सुझाव दिया है कि इस प्रणाली का अनुमोदन समुचित अंक संकलन के आधार पर किया जावे, किन्तु राज्य सरकार ने वर्तमान सामान्य-एक-बिंदु-कर में सुधार करके उसे ही रखने का निश्चय किया। सामान्य-एक-बिंदु-कर की दर में ३.१४ प्रतिशत से ४ प्रतिशत और अब ४ प्रतिशत से ५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके द्वारा राज्य सरकार की आय के स्रोत में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार कर-अपवञ्चना के बारे में भी सतर्क है और इसने कर की छूट की सीमा में भी कमी कर दी है।

राज्य सरकार उन क्षेत्रों में बन्दोबस्त कर रही है जहां पहले जागीरदारी थी। भूमि कर पर जो प्रगतिशील ऊंची दर अप्रेल १९६० से लगाई गई थी, एक सराहनीय कदम है। इससे करीब १० लाख रुपयों की आय होने का अनुमान है।

सिंचाई की दरों से १९५१-५२ में १९.५ लाख रुपये शुद्ध आय होती थी। यह बढ़ कर १९६०-६१ में ४४ लाख रुपये हो गई है। सरकार ने खुशहाली कर लगा दिया है। इससे तृतीय योजना में लगभग ११ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

विकास के काल में शहरों के भूमिमूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए, यदि शहरी संपत्ति पर खुशहाली कर लगाना उचित न हो तो, विक्रेताओं पर शहरी संपत्ति की विक्री पर अतिरिक्त कर लगाया जा सकता है।

अकर राजस्वः—राज्य के विकास की वर्तमान अवस्था में सरकार अकर राजस्व के पर्याप्त साधनों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं हो सकती है। प्रशासकीय आय के अतिरिक्त सड़क यातायात, विद्युत उपक्रमों से लाभ, वनों और रायल्टी से आय, अकर राजस्व की मुख्य मदें हैं।

राजस्थान में खनिज पदार्थों की बहुलता है। खनिज स्रोतों के पूर्ण विकास के साथ दो उपायों से सरकार अधिक आय प्राप्त कर सकती है। रायल्टी द्वारा और कुछ सार्वजनिक उपायों को प्रोत्साहन देकर।

१९६०-६१ में राज्य करों से १६.४ करोड़ रुपये आय प्राप्त हुई। राज्य कर राज्यीय आय का केवल ३ प्रतिशत है। तीसरी और चौथी योजना में बढ़ती हुई राज्य की आय को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अतिरिक्त करारोपण की गुंजाइश है।

इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को ऐसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जहां गत दस वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है एक सर्वेक्षण द्वारा यह मालूम करना चाहिए कि राज्य आय को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है।

उपलब्ध साधनों का प्रारंभिक अनुमानः—इस प्रतिवेदन में १९६१-७१ के लिए राज्य में १५०४ करोड़ रुपयों के विनियोग का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कुल विनियोग में से राज्य के भाग में लगभग ६६६ करोड़ रुपये की लागत की नियोजन परियोजनाएं आवेंगी। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार को इन दस वर्षों में अपने साधन बढ़ाने होंगे। साधनों की प्रारम्भिक रूपरेखा नीचे दी गई है:—

			१९६१-७१ (करोड़ रुपयों में)
१. करों से आय	....	....	३९९.२
२. प्रशासकीय प्राप्ति	....	....	४६.६

			१९६१-७१ (करोड़ रुपयों में)
३. विद्युत आयोग से लाभ	....	....	७.१
४. वनों से आय	....	....	१४.४
५. राज्य यातायात से लाभ	....	....	०.४
६. रायल्टी से आय	....	....	१४.३
७. केन्द्रीय सड़क फंड से हस्तांतरण	....	....	४१.५
८. चालू खाते से कुल आय	....	....	५२२.८
९. दूसरी योजना में व्यय किए गए विकास के कार्यों से प्राप्त आय			२३९.८
१०. गैर विकास व्यय	....	....	१७६.०
११. कुल गैर योजना व्यय (९+१०)	....	....	४१५.८
१२. चालू खाते से बचत (८—११)	....	....	१०८.०
१३. बाजार ऋण (शुद्ध)	....	....	५०.०
१४. अल्प बचत से	....	....	१५.०
१५. सरकार को ऋण की वापसी से	....	....	२६.४
१६. अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	....	....	११.०
१७. विविध पूंजीगत प्राप्ति (शुद्ध)	....	....	१९.८
१८. खुशहाली कर और भूमि विक्रय	....	....	४८.२
१९. पूंजीगत खाते से कुल प्राप्ति	....	....	१७०.४
२०. केन्द्र को ऋण की वापसी	....	....	३५.०
२१. पूंजीगत खाते से बचत (१९-२०)	....	....	१३५.४
२२. योजना व्यय के लिए उपलब्ध कुल साधन		....	२४३.४

यह रूपरेखा बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि प्रतिवेदन में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही विकास होगा। राज्य सरकार करों से राजस्व बढ़ाने का प्रयत्न करेगी, फिर से बन्दोबस्त करने पर भू-राजस्व बढ़ेगा और खुशहाली कर से आय बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त कर राजस्व का अनुमान १९६१-६२ में प्रकाशित करों के आधार पर किया गया है। इस रूपरेखा के अनुसार १९६१-७१ के काल में योजना के लिए ९९९ करोड़ रुपये की आवश्यकता के मुकाबले २४३ करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे। स्पष्ट है कि अतिरिक्त करों और केन्द्रीय सहायता की ओर ताकना पड़ेगा।

तीसरी योजना में अतिरिक्त करारोपण का लक्ष्य ३२ करोड़ रुपये रखा गया। यदि चौथी योजना में भी इतने ही करों की उगाही की जावे तो इससे अतिरिक्त ६४ करोड़ रुपयों की आय होगी जिसमें से १९.५ करोड़ रुपयों का लेखा उपरोक्त कर राजस्व में ले लिया गया है अतः यदि राज्य सरकार शेष ४४.५ करोड़ रुपये एकत्रित कर सके तो नियोजन के लिए प्राप्त कुल राशि २८८ करोड़ रुपये होगी और ७०८ करोड़ रुपयों का फिर बन्दोबस्त करना पड़ेगा। और इतनी केन्द्रीय सहायता साधारणतया मिल ही जावेगी।

अध्याय १३

विकास के प्रतिरूप

राजस्थान में १९६१-७१ में आर्थिक विकास के कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए १५०४ करोड़ रुपये के कुल विनियोग की आवश्यकता होगी। जनता के जीवनस्तर को ऊँचा करने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम पूर्णतः अनिवार्य एवं प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता और अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए उचित है। खाद्य सामग्री के उत्पादन में राज्य पहले से ही आत्मनिर्भर है। कृषि के विकास एवं भूगर्भित खनिज के समुपयोजन के लिए विनियोग की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। इसी प्रकार न केवल यातायात की सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं की विद्यमान कमी को ही पूरा करना है बल्कि विकास की गति के साथ साथ इनमें वृद्धि भी करनी है। अतएव राजस्थान में २९६ करोड़ रुपयों का नियोजन सर्वथा उचित है।

विनियोग का प्रतिरूप—तृतीय योजना में राजस्थान में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान फसलों के उत्पादन में ही नहीं बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था का कुशल और वैज्ञानिक रूप से पुनर्गठन करने में भी देश में प्रमुख राज्य बन सकता है। राज्य में सिंचाई और सूखी खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाने और कृषि में आधुनिक तरीके प्रस्तावित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। कृषि उत्पादन में वृद्धि से देश की खाद्य की कमी को दूर करने में तो सहायता मिलेगी ही, आगामी वर्षों में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य में कई विधिकरण और निर्माणी उद्योगों की भी स्थापना होगी।

खनिज और निर्माणी क्षेत्र में कृषि की तुलना में कुल विकास कम होगा। राजस्थान में कुल विनियोग का १.५ प्रतिशत खनिज क्षेत्र और १८ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग होगा। शक्ति और यातायात की मदों पर १९६१-७१ में राजस्थान में कुल विनियोग का क्रमशः ९ प्रतिशत और ११.८ प्रतिशत विनियोग होगा।

प्रस्तावित विनियोग प्रतिरूप से यह प्रकट होगा कि लगभग कुल विनियोग का ७ प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, ४४ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और शेष ४८ प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया जावेगा। केन्द्र सरकार द्वारा नियोजन तांबे की खानों और नमक निर्माण एवं रेलों और राष्ट्रीय सड़कों के विकास पर किया जावेगा। शेष विनियोग अन्य सुविधाओं जैसे शक्ति, यातायात, प्राविधिक शिक्षा, सामाजिक सेवाओं पर राज्य द्वारा किया जावेगा। उद्योगों में अधिकांश विनियोग और कृषि में करीब ९९ प्रतिशत विनियोग निजी क्षेत्र द्वारा किया जावेगा।

विकास की दर:—१९६१-७१ में विनियोग किये जाने के परिणामस्वरूप कुल आय की विकास की दर लगभग १२.९ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय करीब ७.८ प्रतिशत बढ़ जायेगी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय १९६१ में २७९ रुपयों से बढ़कर १९७१ में ४९७ रुपये हो जावेगी। इसी समय में कार्यकारी जनसंख्या की कुल उत्पादकता में करीब ९१ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह विकास की दर अखिल भारत स्तर की तुलना में ८० प्रतिशत अधिक होगी। राजस्थान में, सुझाए गए प्रतिरूप के अनुसार, तृतीय योजना में पूंजी उत्पादन अनुपात २:१ होता है जबकि यह अखिल भारत के लिये २:३ होता है।

विकास के मुख्य लक्ष्य:—इन १० वर्षों में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में ५०८ करोड़ रुपये का विनिमय होगा। इनमें से १९२ करोड़ रुपये सिंचाई योजनाओं पर (५४ करोड़ रुपये नए कार्यों पर, ९६ करोड़ रुपये राजस्थान नहर पर और ४० करोड़ रुपये वर्तमान सिंचाई के कार्यों में सुधार करने के लिए) व्यय होंगे।

कृषि विकास का कार्यक्रम तभी हो सकता है जबकि अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, कटक नियंत्रण, भूमि प्रबन्ध, सुधरे कृषि तरीके, अच्छे बाजार और संग्रह सुविधाओं पर यथेष्ट ध्यान दिया जावे। इस प्रसंग में विस्तार सेवाओं को दृढ़ करना होगा। इन सबके लिये १०५ करोड़ रुपये और कृषकों को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा देने के लिये २०७ करोड़ रुपये के नियोजन का प्रस्ताव किया जाता है।

१९६१-७१ के काल में कृषि उत्पादन ११.७ प्रतिशत वार्षिक विकास की दर से २२७ करोड़ रुपये से बढ़कर ४९२ करोड़ रुपये हो जावेगा।

पानी की कमी को दूर करने के लिये यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य में भूगर्भीय जल साधनों को मालूम करने के लिये एक व्यवस्थित वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जावे ताकि राज्य के सिंचाई साधनों में वृद्धि हो सके।

राजस्थान नहर क्षेत्र में कृषि कार्यों के लिए मोटर से चलने वाले यंत्रों को प्रयुक्त किया जावे।

औद्योगिक विकास:—१९६१-७१ में निर्माणी उपक्रमों के उत्पादन स्तर, ११९ प्रतिशत वार्षिक विकास की दर से ११.५ करोड़ रुपये से बढ़कर १४९ करोड़ रुपयों तक होने की आशा है। ऐसी ऊंची विकास दर के होने पर भी राज्य-आय में उद्योग के भाग (छोटे उद्योगों को सम्मिलित करते हुए) में ११.५ प्रतिशत (१९६०-६१) से १८ प्रतिशत (१९७०-७१) वृद्धि होगी जबकि राष्ट्रीय आय में यह भाग १८ प्रतिशत से बढ़कर २४ प्रतिशत हो जायेगा। इस तरह राजस्थान फिर भी देश की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। इसका कारण आधारभूत खनिज, जैसे कोयला और लोहा एवं शक्ति की कमी है।

राजस्थान में बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए २२४ करोड़ रुपये का नियोजन प्रस्तावित किया गया है जिनमें १०१ करोड़ रुपये रासायनिक और संबन्धित उद्योगों, ६३ करोड़ रुपये धातु आधारित और इंजीनियरिंग उद्योगों और ६० करोड़ रुपये कृषि एवं संबंधित उद्योगों के लिए होंगे।

बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ साथ दस वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों पर करीब ४० करोड़ रुपयों का विनियोग हो सकेगा।

औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप दस वर्षों में करीब २,४०,००० कार्य निर्माणी उपक्रमों और २,००,००० कार्य गैर-निर्माणी उपक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत किए जावेंगे।

औद्योगिक योजना की सफलता पर्याप्त शक्ति और पानी की सुविधाओं पर निर्भर करेगी। इसके लिए प्राविधिक प्रशिक्षण सुविधाओं की वृद्धि के प्रस्ताव पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए और योग्य साहसियों को विनियोग के प्रसंग में प्रोत्साहन देने के लिए उचित स्थिति का निर्माण करना चाहिए।

खनिज में विकासः—१९६१-७१ के काल में खनिज कार्य में २३ करोड़ रुपयों का विनियोग होगा जो कि कुल विनियोग का १.५ प्रतिशत है। इस विनियोग के परिणामस्वरूप १७ प्रतिशत विकास की दर से खनिकर्म क्षेत्र में शुद्ध उत्पादन ६ करोड़ रुपयों से बढ़कर १६ करोड़ रुपये हो जावेगा। खनिकर्म क्षेत्र में विकास की दर के नीचा होने का कारण कुल परिचित भंडार का अधिक न होना है।

२३ करोड़ रुपयों के कुल विनियोग में से इन दस वर्षों में १०.५ करोड़ (४६ प्रतिशत) ताम्बे की खानों, ५.५ करोड़ रुपये (२४ प्रतिशत) शीशा और जस्ते की खानों, २.८ करोड़ (१२ प्रतिशत) लिगनाइट की खानों और शेष अन्य खानों पर विनियोग होगा। कुल खनि कार्य में १३ करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा ताम्बे की खानों और नमक निर्माण पर १.९ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा फ्लोराइड और लिगनाइट खनिकर्म पर और शेष विनियोग निजि क्षेत्र पर किया जावेगा।

प्रस्तावित विकास कार्य के परिणामस्वरूप १९६१-७१ के काल में खनि क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता दुगुनी हो जावेगी। इस प्रकार खनि कर्म में प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन १९६१ में ६२५ रुपयों से बढ़ कर १९७१ में १२५३ रुपये हो जावेगा।

यातायात विकासः—आगामी दस वर्षों में यातायात विकास के लिए १७७ करोड़ रुपयों का विनियोग कार्यक्रम सुझाया गया है जिसमें से ४७.६ करोड़ रुपये रेलों, २३.४ करोड़ रुपये राष्ट्रीय सड़कों, ४७.७ करोड़ रुपये राज्यीय सड़कों, ५६.२ करोड़ रुप सड़क यातायात और १.८ करोड़ रुपये नाविक यातायात पर विनियोग किया जावेगा।

इसमें से यातायात विकास के लिए लगभग कुल विनियोग का ४२ प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, ३३ प्रतिशत राज्य सरकार और शेष २५ प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया जावेगा।

रोजगारः—राष्ट्रीय परिषद के अनुमान के अनुसार १९६१-७१ के काल में कार्य शक्ति में २० लाख व्यक्तियों की अतिरिक्त वृद्धि होगी। इनमें से ४.७ लाख शहरी क्षेत्र और शेष ग्रामीण क्षेत्र में होंगे किन्तु सुझाए गए औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि ये सब खपा लिए जावेंगे। इस तरह बेरोजगारी कम रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र में अर्थ-रोजगार की स्थिति में कमी होगी।

२० लाख अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए (लगभग ७.४ लाख व्यक्तियों के लिए कृषि और संबन्धित क्षेत्रों में लगभग ५.५ लाख के लिए खनिकर्म और उत्पादन क्षेत्र में और शेष के लिए तृतीयक क्षेत्र में) रोजगार आविर्भूत होंगे। निर्माणी उपक्रमों और खनिकर्म क्षेत्र में जहां उत्पादन के आधुनिक तरीके और खनिकर्म का उपयोग किया जावेगा वहां उत्पादकता अधिक तेज गति से बढ़ेगी।

उन क्षेत्रों में जहां बंजर भूमि है किन्तु राजस्थान नहर कार्य से विकास हो रहा है, श्रम शक्ति की भयंकर कमी होगी। सरकार को मजदूरों को बसाने के लिए न केवल निश्चित नीति ही बनानी चाहिए बल्कि अभी से ही आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करनी चाहिए।

अन्य सेवाओं में विकासः—राजस्थान में सामाजिक मदों के लिए १९६१-७१ में २५.० करोड़ रुपयों के विनिमय का अनुमान किया गया है जो कुल विनिमय का १७ प्रतिशत है। शिक्षा में सर्वाधिक विनियोग होगा। राज्य को अखिल भारतीय नीति को ध्यान में रखते हुए १९७१ तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाना चाहिए। माध्यमिक और प्राविधिक शिक्षा की सुविधाओं का भी पर्याप्त विस्तार करना चाहिए।

यद्यपि स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम पर व्यय प्रतिरूप अखिल भारतीय योजना के अनुसार होगा, किन्तु राजस्थान में जल पूर्ति सुविधा स्वच्छता कार्यक्रम और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए।

योजना बोर्डः—अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में इस समय कोई अलग योजना संगठन नहीं है। राज्य क्षेत्र के लिए योजनाएं भारत सरकार के योजना आयोग के सुझाए गए मोटे सिद्धांतों और लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की

जाती है और इसमें संशोधन और समन्वय विकास आयुक्त, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव भी हैं, के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में राज्य योजना परामर्शदात्री परिषद है जिसमें राज्य के मन्त्री, सचिव, विभागों के प्रधान, पंचायतों और विधान सभा के प्रतिनिधि और कुछ गैर अधिकारी सदस्य हैं।

फिर भी कई कारणों से यह व्यवस्था राज्य अर्थ व्यवस्था के आदर्श विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विस्तृत योजना बनाने के लिए उचित नहीं जान पड़ती है।

निजी क्षेत्र के लिये विकास कार्यक्रम इस समय राज्य योजनाओं में शुमार नहीं होते और निजी क्षेत्र के लिए कितने विनियोग की आवश्यकता है इसका भी अनुमान नहीं रहता। यह भी आवश्यक होता जा रहा है कि राज्य स्तर पर भी १० वर्ष से १५ वर्ष की दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जावें जिससे कि राज्य योजना को भी राष्ट्रीय योजना के स्तर पर रखा जा सके और क्षेत्रीय स्तर पर संयमित और संतुलित आदर्श विकास किया जा सके। पुनर्संगठन और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्या भी विशेष महत्वपूर्ण है। विभिन्न योजनाओं की प्रगति का समयानुसार मूल्यांकन करने, उन्नति में बाधक कारणों की जांच और उनके दूर करने के लिए सरकार को उचित उपाय बता सकने के लिए स्वतंत्र संगठन की आवश्यकता है।

योजना आयोग और भारत सरकार ने अभी राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर योजना परिषदें स्थापित करने के लिए परामर्श दिया है किन्तु परिषद का संगठन और कार्य स्पष्ट नहीं है। इस बारे में राष्ट्रीय परिषद का अभिमत है कि योजना परिषद को यदि प्रभावकारी होना है तो इसे एक स्थाई स्वतन्त्र निकाय बना देना चाहिए जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री और उपाध्यक्ष एक वरिष्ठ मंत्री हो, जिनके सहयोग के लिए कृषि और सिंचाई, उद्योग, शक्ति यातायात और मानव शक्ति के मंत्री हों। इनकी सहायता के लिए एक छोटा सचिवालय और अनुसंधान पक्ष भी हो।

अध्याय १४

निष्कर्ष और सिफारिशें (संक्षेप में)

१. पृष्ठ भूमि:—क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान का भारत के राज्यों में दूसरा स्थान है। जम्मू काश्मीर के अतिरिक्त यह सबसे कम घना बसा हुआ है।

इस राज्य को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। १. अरावली के उत्तर-पश्चिम का सूखा, अनुत्पादक और छिछला बसा हुआ क्षेत्र और २. अरावली के दक्षिण-पूर्व का उत्पादक और घना बसा हुआ क्षेत्र।

समग्र भारत की तुलना में राजस्थान आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां १९५५-५६ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से १० प्रतिशत कम थी। कारण यह है कि यहां कारखानों का बहुत कम विकास हुआ है और सभी बड़े क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है।

भूमि की उत्पादक क्षमता कम होते हुए भी राजस्थान में आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा होता है। कृषि के क्षेत्र में विकास की बड़ी संभावना है।

राज्य में पशुपालन उन्नत है किन्तु प्रति पशु उत्पादन कम, है। विशेष समस्या चारे की है।

यहां अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं और कुछ तो केवल यहीं मिलते हैं। फिर भी राज्य के ज्ञात खनिज स्रोत अभी तक पूर्ण रूप से खोजे नहीं गए हैं।

राज्य में मुख्यतः पुराने गृह उद्योगों का बाहुल्य है जिनमें विद्युत प्रयोग नहीं होता।

यातायात, विद्युत और अन्य साधनों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। राज्य के आर्थिक विकास का निम्न स्तर इनका कारण भी है और परिणाम भी।

सन् १९५१ से १९६१ के दशाब्द में राज्य में बड़ी प्रगति हुई है। यद्यपि पहली योजना में प्रगति कुछ धीमी थी किन्तु १९५५-५६ के पश्चात इसमें गति आ गई थी। इस काल की मुख्य विकास योजनाएं हैं : भाखड़ा और चम्बल सिचाई योजनाएं।

इन वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद अभी भी गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन अधिक है।

२. कृषि:—रोजगार और राज्यीय आय के दृष्टिकोण से कृषि का राज्य में बहुत महत्व है। किन्तु बोए गए क्षेत्र के प्रति एकड़ और कृषि में लगे प्रति व्यक्ति उत्पादन के मापदंड से खेतों की उत्पादकता अत्यन्त ही कम है।

यह कमी हीन फसल प्रतिकृति और अधिकांश फसलों के कम औसत उत्पादन के कारण है।

राजस्थान के उस हिस्से में जहां प्रति वर्ष ५० इंच से अधिक वर्षा होती है फसल प्रतिकृति अच्छी है, कुल और प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है। ५० इंच से कम वर्षा वाले स्थानों में अधिकतर भाग कृषि के योग्य नहीं है। शनैः शनैः चरागाहों में भी खेती की जा रही है अतः चारे की कमी महसूस हो रही है और केवल बाजरा आदि बरसाती पानी में होने वाली फसलें बोई जाती हैं जिनसे कम आमदनी होती है।

पिछले वर्षों में राजस्थान में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं और भूमि सुधार कानूनों के कारण विशेष उन्नति हुई है। जहां सन् १९५१ में राज्य में खाद्य की कमी थी अब लगभग ८ लाख टन अन्न प्रतिवर्ष बाहर भेजा जा रहा है। फिर भी, कृषि में विकास के लिए बहुत क्षेत्र हैं।

अधिक वर्षा वाले भाग में चालू पड़त और कृषि योग्य बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जावे। खुश्क इलाकों में वैज्ञानिक ढंग से पशु पालन एवं बंजर भूमि को चरागाहों में बदले जाने की ओर जोर दिया जाय। उपयुक्त फसल प्रतिकृति की जानकारी के लिए प्रत्येक जिले में विस्तृत भू-सर्वेक्षण किया जाये।

नहरी सिंचाई क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ताकि किसानों को समय पर आवश्यक मात्रा में सुविधापूर्वक पानी मिल सके। कुओं से बैलों द्वारा सिंचाई करने के स्थान पर शनैः शनैः बिजली से चलने वाले पम्पों के सेट लगवाए जायं। भूगर्भ जल स्रोत खोजने के लिए सर्वेक्षण किए जावें और इन कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया जावे। पानी की कमी विशेष कृषि के तरीकों जैसे कि कांस हटाने, गहरी जुताई करने और खेतों में मेड़बन्दी आदि के द्वारा भी सुगम की जा सकती है।

राजस्थान में ज्वार और कपास काफी क्षेत्रों में बोई जाती है। इनकी ऐसी किस्म निकाली जाय जो जल्दी फसल दे सके ताकि उसी भूमि पर दूसरी फसल भी पैदा की

उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुधरे हुए औज़ार और पौध संरक्षण पर भी ज़ोर देना होगा।

कृषकों को विकास योजनाओं से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रसार साधनों को बढ़ाया जावे तथा उनको अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता और बाज़ार की सुविधा दी जावे।

सन् १९६१ से सन् १९७१ के दशाब्द में कृषि विकास के कार्यक्रम पर कुल ५०८ करोड़ रुपये, सिंचाई के साधनों पर १९२ करोड़ रुपये, प्रसार सेवाओं को सुदृढ़ करने और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने वाले उपायों पर २४१ करोड़ रुपये, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने पर ७६ करोड़ रुपये और किसानों की ऋण व्यवस्था पर २०७ करोड़ रुपये व्यय करने की आवश्यकता होगी।

इन सब उपायों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में उत्पादन जो सन् १९६१ में २२७ करोड़ रुपये था बढ़कर सन् १९७१ में ४९२ करोड़ रुपये हो जावेगा अर्थात् ११.७ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ेगा।

३. पशु पालन:—राजस्थान में पशु पालन एक मुख्य धन्धा है। सन् १९५६ में भारत के १०.६ प्रतिशत पशु राजस्थान में थे। यहां बैलों, बकरों, ऊंटों और भेड़ों की कुछ बहुत अच्छी नस्लें पाई जाती हैं। किन्तु फिर भी स्थानीय दुधारु पशुओं की दूध देने की क्षमता कम है। वस्तुतः पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति प्रति दिन लगभग ८.१४ औंस दूध या दूध के बने हुए पदार्थ प्राप्त होते हैं। भारत का यह औसत ५.२७ औंस है।

राज्य में प्रति वर्ष २९ लाख पौंड ऊन, २३ हज़ार टन मांस, ५.९ लाख खालें, ३०.६ लाख चमड़े और ३३.९ लाख टन हड्डियों का उत्पादन होता है।

राज्य में चारे की बहुत कमी है। पिछले समय में नस्ल सुधार पर विशेष जोर दिया गया है और चारे के विकास पर कम। इस समय विशेषकर शुष्क इलाके में चरनोट पर भी फसलें उगाई जा रही हैं। इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। अधिक वर्षा वाले स्थानों में खाद्यान्नों के साथ बारी-बारी से चरी भी उगाई जानी चाहिए। प्राकृतिक चारागाहों का पुनरुद्धार किया जावे और चराई नियंत्रित की जावे ताकि ढोर जहां तहां चर कर चरनोट को बिगाड़ न सकें। बेकार जानवरों के निर्यात व उनके वध को प्रोत्साहन देकर इनकी संख्या कम की जावे ताकि काम में आने वाले जानवरों को अधिक चारा मिल सके। दूध देने और हल चलाने दोनों काम देने वाली नस्लों के बजाय अब केवल अधिक दूध देने वाले जानवरों की नस्लें रखी जावें। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर से काम लेने पर उतने योग्य जानवरों की आवश्यकता कम हो जावेगी।

दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधार को अधिक प्रोत्साहन दिया जावे। २५ सेंटी-मीटर वर्षा वाले क्षेत्र में राज्य सरकार को भेड़ पालन को अधिक प्रोत्साहन देना

चाहिये। अनुमानतः इन योजनाओं के फलस्वरूप पशुपालन क्षेत्र में सन् १९६१ से १९७१ के समय में २० प्रतिशत अधिक उत्पादन होगा।

मत्स्पालनः—राजस्थान में मत्स्य पालन बहुत ही कम स्तर पर होता है प्रति वर्ष औसत उत्पादन लगभग २२०० टन है। जिसमें से लगभग २००० टन केवल तालावों से होता है। राज्य की आय मुख्य रूप से तालावी मछलियों से होती है। यह पिछले ५ सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। २६ जिलों में से केवल १८ जिलों में मत्स्य पालन का विकास हो सकता है। ठेकेदार बाहर से लाए हुए मछुओं की सहायता से तालावों की मछलियां निकलाते हैं। लगभग ५००० मछुए राज्य में कार्यशील हैं। विद्यमान उत्पादन प्रयत्नों की कमी के कारण कम है।

रुके हुए पानी से मछलियों का वार्षिक उत्पादन १९५० टन आंका जाता है।

राज्य में लगभग १५ एकत्रीकरण केन्द्र हैं। फिर भी अब तक इकट्ठे किए गए बीजों की संख्या बहुत कम है।

यहां मत्स्य फार्म नहीं हैं। यद्यपि अब भविष्य मे २ या ३ फार्म बनाए जाने के प्रस्ताव हैं। राज्य में सन् १९५८ से ही मिररकार्प और कामन कार्प के उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है और अब मछलियों के बीजों की समस्या कुछ हद तक हल हो जायगी।

यहां की नदियां कुछ स्थानों पर गहरे गड्ढों के अतिरिक्त अधिकतर मछलियों के योग्य नहीं हैं। इनमें से प्रति वर्ष १८० टन मछलियां पकड़ी जाती हैं।

राज्य में मछलियों की खपत केवल लगभग ५५० टन है। उत्पादन का अधिक भाग रेल मार्ग के द्वारा कलकत्ता और कुछ मात्रा में दिल्ली और आगरा भेजा जाता है।

प्रथम योजना काल में मत्स्य विकास की कोई योजना नहीं थी। द्वितीय योजना में इसके लिए ९ लाख रुपयों का प्रावधान किया गया। किन्तु प्रगति बहुत ही मन्द रही।

मछलियों के अंडों का उचित मात्रा मे न होना, कुशल मछुओं का न होना और प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी, विकास में अवरोध के कारण हैं।

तीसरी योजना में राज्य में मत्स्य विकास पर ३० लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। यह सुझाव दिया जाता है कि मत्स्य अंडों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कुछ स्थानों पर इनके प्रक्षेत्र खोले जावें। इन प्रक्षेत्रों में मत्स्य रोपणियां और बहुत संख्या मे अभिपोषण जलाशय भी होने चाहिएं। चौथी योजना मे अंडे डालने का क्षेत्र २० हजार एकड़ और बढ़ाया जावे।

मछलियों के वितरण और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए तीसरी योजना में २० वाहनों एवं चौथी योजना मे ३० वाहनों की आवश्यकता है। इस पर करीब १७ लाख रुपयों की लागत आवेगी।

तीसरी योजना के अंत तक वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन १६५० टन और सन् १९७०-७१ तक ३८५० टन होने की आशा है। नायलोन की जालियां वितरित करने से उत्पादन सन् १९७०-७१ तक लगभग एक हजार टन बढ़ जाने की संभावना है। ऊंचाई पर स्थित जलाशयों में मिररकार्प और मैदानी जलाशयों में कामन कार्प का उत्पादन बढ़ाया जावे। यह भी सुझाव है कि मत्स्य उद्योग को विकसित करने के लिये आवश्यक सर्वेक्षण तुरन्त किए जावें। बर्फ की कमी को तुरन्त पूरी करने के लिए सरकार को तीसरी योजना में दो अतिरिक्त आइस प्लांट तथा आगामी वर्ष में ३ और प्लांट लगाने चाहिऐं। सन् १९६१-७१ में प्रस्तावित खर्च का अनुमान ६३ लाख रुपया है।

५. वनः—राजस्थान में वनों का क्षेत्रफल न केवल अपेक्षाकृत कम है (राजस्थान ४.२ प्रतिशत भारत १७.५ प्रतिशत) बल्कि यहां के वन निम्नकोटि के भी हैं और उनका समुचित उपयोग नहीं होता। मुख्य उत्पादन इमारती लकड़ी, ईंधन, कोयला और कत्था चारा आदि का होता है। वन आधारित उद्योग राज्य में नहीं हैं। केवल कुछ लकड़ी काटने की मिलें, खिलौने बनाने की दस्तकारी जरूर पाई जाती है। कत्था, घास, तेन्दु और आमला की आय का अधिक हिस्सा बाहर भेजा जाता है। यहां अब तक जंगलों की उचित व्यवस्था नहीं थी। पेड़ अनर्गल काट लिये जाते थे। इसलिए वन क्षत अवस्था में हैं।

पहली और दूसरी योजना में वनों की आर्थिक नियोजन के अनुसार उन्नति के सम्बन्ध में कदम उठाये गये किन्तु वे संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते। तीसरी योजना में वनों की उन्नति के लिए २४५ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान स्थिति के अवलोकन से पता लगता है कि मुख्य समस्याएं ये हैं। (अ) वन क्षेत्र का आवश्यकता से कम होना, (ब) अधिकतर वनों का निम्न श्रेणी का होना, (स) वनों की अधिक चराई।

नियोजन के उद्देश्यः—(अ) वनों का क्षेत्रफल वृक्षारोपण के द्वारा बढ़ाना। (ब) वनों का वैज्ञानिक रूप से विकास करना (स) इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रयोग एवं अनुसंधान करना ताकि वन संपत्ति का उत्पादन और उसका उपयोग समुचित रूप से हो सके।

इन १० वर्षों में वनों के विकास का कार्यक्रम (अ) ३,६०,००० एकड़ फार्मों जंगल का विकास, (ब) १,२४,५०० एकड़ का वाणिज्य के दृष्टिकोण से वृक्षारोपण, (स) वनों का प्रसार, (द) सागवान के जंगलों का पुनरुद्धार होना चाहिए।

सन् १९६१ से १९७१ तक के समय में १०.३८ करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इस कार्यक्रम से राजस्थान में वनों की इमारती तथा जलाने की लकड़ी, और अन्य वन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी।

६. खनिजः—राजस्थान में कई खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अभी तक बहुत से खनिज पदार्थों के बारे में खोज कार्य अपूर्ण है। इसी कारण से खनिज उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है। और भविष्य के विकास कार्य रुके हुए हैं।

सन् १९५८ में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य ५.२ करोड़ रुपये था जिनमें से इमारती पत्थर ३७ प्रतिशत, नमक १३ प्रतिशत, जस्ता और सीसा १३ प्रतिशत, अभ्रक १२ प्रतिशत तथा जिप्सम १० प्रतिशत था।

स्थानीय उद्योगों के अभाव में अधिकतर पत्थर ही निकाला जाता है। राजस्थान के खान मजदूरों की आधी संख्या भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर और जयपुर जिले में पाई जाती है। बरसात में खान का काम कम हो जाता है। चूने, जिप्सम, लिगनाइट और संगमरमर की खानों के अतिरिक्त और खानों में मशीनों से काम बहुत ही कम होता है। औद्योगिक खनिज उत्पादन में अधिकतर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और इन खानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन भारतीय औसत से अधिक होता है।

भूतकाल में खानों के लाइसेंस देने के सिलसिले में कोई एक सी नीति नहीं थी, अतः लीज होल्डर खानों के विकास में अधिक रुचि नहीं ले सके और इसीलिए खनिज उद्योग में कम रुपया लगाया गया। राजस्थान एकीकरण के बाद से खनिज विकास अखिल भारतीय नीति के अनुसार हो रहा है। सरकार ने खानों के विकास में प्रोस्पेक्टिंग के कार्य में अधिक रुचि लेकर और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर काफी विकास किया है। आगे के विकास के लिये सर्वे करके यह जानना आवश्यक है कि किस किस्म का खनिज कितना अभी और निकल सकता है।

जिन संचितियों के बारे में अभी जानकारी है उनमें से अधिकतर खनिज पदार्थ स्थानीय उद्योगों में जो कि राज्य में अब लगाए जावेंगे कच्चे माल के रूप में काम आवेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दस वर्षों में खनिज के क्षेत्र में २३ करोड़ रुपये लगाने की आवश्यकता होगी। इसमें से १०.५ करोड़ रुपये ताम्बे की खानों पर, ५.५ करोड़ रुपया सीसे की और जस्ते की खानों पर, २.८ करोड़ रुपया, लिगनाइट की खानों पर तथा बाकी रुपया अन्य खानों पर लगाया जावेगा। इनमें से १३ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार मुख्यतः ताम्बे की खानों पर और नमक बनाने पर खर्च करेगी। तथा १.९ करोड़ राज्य सरकार से फ्लोराइट और लिगनाइट की खानों पर व विशेष निजी क्षेत्र द्वारा खर्च किया जावेगा यदि बाद में अन्य खनिज पदार्थों के भण्डार का पता लगा तो अधिक रुपया लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रस्तावित लागत से खनिज के क्षेत्र में उत्पादन सन् १९६१ में हुए ६ करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १९७१ में १६ करोड़ रुपये अर्थात् १७ प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक होगा, चूंकि अधिकतर खनिज विकास पिछड़े हुए इलाके में होगा इससे उन इलाके की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर होगा। सरकार को खनिज सर्वेक्षण कार्य हाथ में लेना चाहिए और खनिज क्षेत्र में ऊपरि सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। जहां खनिज कार्य पहली ही बार प्रारम्भ हो वहां सड़कें बनाने बिजली देने और पानी की सुविधा देने का काम करना होगा।

७. बड़े उद्योग:—राज्य में शेष भारत की तुलना में उद्योग कम विकसित हैं। मुख्य उद्योग यहां सूती मिलें और रेलवे वर्कशॉप हैं। इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग जो कि बेसिक उद्योग हैं अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। सन् १९५९ में १२३ बड़े कारखाने थे जिनमें लगभग ४८,८०० मजदूर काम करते थे जिनमें धातु पर आधारित उद्योगों में ३७ प्रतिशत, सूती मिलों में २३ प्रतिशत, खनिज पर आधारित उद्योगों में १३ प्रतिशत तथा कृषि पर आधारित उद्योगों में ११ प्रतिशत मजदूर थे। मजदूरों का धातु पर आधारित उद्योगों में अधिक अनुपात इस बात का द्योतक नहीं कहा जा सकता कि यहां इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हो रहा है क्योंकि उनमें से अधिकतर रेलवे वर्कशॉप में लगे हुए हैं। केवल अजमेर और जयपुर तथा जोधपुर तीन जिलों में कुल मजदूरों का ५७ प्रतिशत उद्योगों में काम कर रहा है। जब कि ९ जिलों में एक भी बड़ा कारखाना नही है।

१९५१-५९ के बीच बड़े उद्योगों में रोजगार ११ प्रतिशत बढ़ा खनिज पर आधारित एवं इंजीनियरिंग उद्योगों में भी रोजगार काफी बढ़ा किन्तु और उद्योगों में रोजगार घटा। राजस्थान में उद्योगों का विकास कई कारणों से अवरुद्ध है। सुस्ती और उचित मात्रा में बिजली का न मिलना उनमें से मुख्य हैं। कई शहरों में पानी की कमी है तकनीकी कार्यकर्ताओं की कमी है। और कई कारखानों में पुरानी मशीनें लगी हुई हैं।

स्थानीय साधनों की प्राप्यता, भविष्य में राज्य में और बाहर से होनेवाली मांग तथा स्थानीय हितों को देखते हुए राष्ट्रीय समिति ने १९६१ से१९७१ के दशाब्द में बड़े उद्योगों के विकास का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १०१ करोड़ रुपये रासायनिक और धातु संवर्गी उद्योगों के लिए ६२ करोड़ रुपये धातु पर आधारित और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए और ६० करोड़ रुपये कृषि पर आधारित तथा तत्संबन्धी उद्योगों के लिए लगाए जाने का प्रावधान है। इन से १,१५,००० अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कारखानों से ११६ करोड़ रुपये का उत्पादन इस दशाब्द में अधिक होगा। किन्तु इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार को जल, बिजली तकनीकी प्रशिक्षण और मजदूरों के लिए घरों की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करने की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार को कुछ मुख्य परियोजनाओं के लिए प्रतिवेदन तैयार करवाने चाहिए और जनता को स्थानीय उद्योगों की सम्भावना से परिचित कराने के लिए प्रचार करना चाहिए।

८. लघु और गृह उद्योग:—राज्य में अधिकतर लघु एवं गृह उद्योग ही पाये जाते हैं सन् १९५५-५६ में कुल औद्योगिक उत्पादन का ८८ प्रतिशत उत्पादन लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा किया गया और ९८ प्रतिशत मजदूर इन्हीं में लगे हुए थे। राज्य के लघु और कुटीर उद्योग पुराने ढंग के हैं। आधुनिक यंत्र सज्जित और विद्युत चलित बहुत ही कम हैं वे कुछ ही स्थानों अजमेर, जयपुर और बीकानेर जिले में केन्द्रित हैं। बिजली की कमी और उसकी महंगाई लघु उद्योगों के विकास में एक बड़ा अवरोध रहा है। संगठन

किए हुए कच्चे माल की कमी, तकनीकियों की कमी और बाज़ार की सुविधाओं का न होना अन्य प्रमुख समस्याएँ हैं। सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार इस बात की विज्ञप्ति निकाल दे कि भाखरा और चम्बल योजनाओं से किस क्षेत्र में कब तक सस्ती बिजली मिल पायगी। यदि देर हो तो डीजल सेट लगाए जाने का प्रबन्ध करना चाहिए। ये सेट ऐसे होने चाहिए जो सस्ती जल विद्युत मिलने पर आसानी से हटाए जा सकें। कंट्रोल किया हुआ कच्चा माल जो लघु एवं इंजीनियरिंग उद्योगों को दिया जाता है कभी कभी चोर बाज़ार में बिक जाता है। इस प्रथा को रोका जावे।

तिलहन, बिनौले, ऊन, चमड़े अभ्रक आदि जो इस समय निर्यात किये जाते हैं उनको जहां तक संभव हो यहीं विधिकरण एवं वस्तुनिर्माण की व्यवस्था की जावे।

यह अनुमान लगाया जावे कि प्रशिक्षित और कार्यकुशल कार्यकर्ताओं (कारीगरों) को नए लगाए जानेवाले उद्योगों में कितनी आवश्यकता होगी और उसी प्रकार प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जावें। वर्तमान प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों के स्थान पर केवल प्रशिक्षण केन्द्र अधिक लाभप्रद होंगे।

विशेष उद्योगों की औद्योगिक संपदा और मजदूरों के लिए घर बनाए जावें। अन्य सुविधाओं जैसे कि ऋण, यातायात, जल वितरण आदि की ओर भी राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

अखिल भारतीय योजना राज्य के साधनों और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति को ध्यान में रखते हुए सन् १९६१-७१ के काल में लघु-उद्योग के विकास के लिए ४० करोड़ रुपये लगाने का सुझाव आवश्यक एवं संभाव्य है। इनसे ८०,००० मजदूरों को रोज़गार मिलेगा और १९ करोड़ रुपयों का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विषय में भारतीय नीति एवं राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दशाब्द में ११ करोड़ रुपये इस उद्योग में खर्च किए जाने के सुझाव दिए जाते हैं। इससे अतिरिक्त उत्पादन १३.३३ करोड़ रुपये का होगा।

९. विद्युतः—पिछले दस वर्षों में लोकोपयोगी बिजली की अधिष्ठापित क्षमता २८ मेगावाट से बढ़ कर ११० मेगावाट हुई है। फिर भी यह प्रगति अखिल भारतीय मापदंड से कम है। अब तक यहां प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग नहीं होता रहा है और महंगी बिजली मिलती रही है। पारेषण और वितरण की सुविधाएं विकसित नहीं हैं। इस कारण क्षेत्रीय असाम्यताएं बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी योजना में कुछ सुधार अवश्य हुए हैं। किन्तु उन्नति फिर भी सीमित रही है। चम्बल और भाखड़ा से बिजली मिलने पर क्षेत्रीय विद्युत विकास होना आरम्भ हुआ। अगले १० वर्षों में विद्युत विकास के कारण राजस्थान उद्योग के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उन्नति करने की क्षमता रखेगा। अन्य आर्थिक क्षेत्रों में विकास के कारण भी बिजली की आवश्यकता

बहुत बढ़ जायगी। बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता सन् १९६५-६६ के ३८४ मेगावाट से बढ़ाकर सन् १९७०-७१ में ६९५ मेगावाट करनी पड़ेगी। तब यह कहा जा सकता है कि राज्य में अब पर्याप्त और सस्ती बिजली मिलने लगी है।

राज्य की नीति में दो बातें मुख्य होनी चाहिए १. लिगनाइट और जल से विद्युत उत्पादन का प्रोत्साहन और २. पड़ोसी राज्यों के साथ इस बात का समझौता कि जलधारा और निम्न वर्ग कोयले (संभवतः गैस) से बनने वाली तापीय शक्ति साझे में बनाई जावे। कुल १३५ करोड़ रुपये इस दशाब्द में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की आवश्यकता है। राजस्थान में विद्युत विकास इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय विकास की गति से भी अधिक होगा और इसके परिणाम-स्वरूप धीरे-धीरे क्षेत्रों का संतुलित विकास भी होगा।

इस बात का प्रयत्न किया जावे कि चम्बल और भाखरा-नांगल की प्रगति पूर्व निर्धारित समय के आधार पर हो अन्यथा तीसरी योजना काल में राजस्थान में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हो सकेगी। माही का अनुसंधान कार्य पूरा किया जावे। चौथी योजना में इससे लाभ मिलना आरम्भ हो जाना चाहिए। इस बात की जांच विशेष रूप से की जावे कि राज्य के वर्तमान जल साधन बिजली उत्पादन करने में किस प्रकार उपयोग में लाए जा सकते हैं। तापीय शक्ति का विकास यदि किया भी जावे तो बड़े-बड़े स्टेशनों द्वारा जिनकी प्रारम्भिक क्षमता कम से कम ५० मेगावाट हो जो बाद में १०० से २०० मेगावाट तक बढ़ाई जा सके। परन्तु पथ का विकास इस तरह से किया जावे कि राज्य के विभिन्न क्षेत्र इससे लाभान्वित हो सकें। आसपास के राज्यों से बिजली लाई जा सके और अंततः उत्तरीय वृत्त बनाया जा सके। अणु विद्युत उत्पादन विकास की ओर भी ध्यान दिया जावे।

१०. जनशक्तिः—राजस्थान भारत के सब से कम घने बसे हुए राज्यों में से है। सन् १९५१ में लगभग ८१.५ प्रतिशत आबादी गांवों में थी और १८.५ प्रतिशत शहरों में। छोटे-छोटे गांवों की संख्या अधिक होने के कारण यहां की जनशक्ति देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा विशृंखल है। राज्य की जनशक्ति में पुरुषों का बाहुल्य है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार यहां प्रति १,००० पुरुषों पर ९०८ स्त्रियां हैं जब कि भारत में ९४०। पिछले १० वर्षों में यहां की जनसंख्या की वृद्धि अखिल भारतीय गति से अधिक तीव्र रही है। यहां प्राथमिक व्यवसायात्मक कर्मन्यता गौण अथवा तृतीयक कर्मन्यता से कम महत्वपूर्ण है। और व्यपवर्तित अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कम है। यह अनुमान किया जाता है कि अतिरिक्त कार्यकरण जनशक्ति सन् १९६१ से बढ़कर सन् १९७१ में लगभग २० लाख हो जावेगी। इस रिपोर्ट में सुझाए गए कार्यक्रमों के अनुसार ४.७ लाख व्यक्तियों को कृषि क्षेत्र में और १२.६ लाख व्यक्तियों को अकृषि क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इन दस वर्षों में श्रम संतति अधिक हो जावेगी। संतति शहरों में काम करने वालों की मांग उनकी पूर्ति से अधिक होगी। परिणामतः शहरीकरण

तीव्र गति से होगी। मजदूरों के उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। यह सुझाव दिया जाता है कि १५ वर्ष तक के सभी बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जावे ताकि कुशल जनशक्ति प्राप्त हो सके। राज्य को और इंजीनियरिंग कालेज, पालिटेक्निक और दस्तकारी परीक्षण केन्द्र खोलने चाहिएं ताकि तकनीकी व्यक्तियों की मांग पूरी हो सके।

११. यातायातः—राजस्थान में ३८६८ मील रेल (३६१५ मील मानान्तर पथ व १८२ मील महान्तर मंयान पथ तथा ७१ मील लघ्वन्तर पथ) तथा १५९३ मील सडकें हैं। ३९२३ बसें तथा ७२५ लारियां सरकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रहीं हैं। राजस्थान में रेल और सड़कों की प्रति व्यक्ति लम्बाई भारत की प्रति व्यक्ति लम्बाई से अधिक है किन्तु इनकी प्रति वर्गमील लम्बाई भारत की प्रतिवर्ग मील लम्बाई से कम है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर इन तीनों ज़िलों मे रेल मार्ग नहीं है। यहां सड़कों की व्यवस्था भी अनुचित है। टोंक, झालावाड़ और जालोर में भी रेल मार्ग नहीं के बराबर है। रेल अन्तर पथ की भिन्नता के कारण भरतपुर में, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में माल का लदाव चढ़ाव एक गाडी से दूसरी में करना पड़ता है। आनेवाला माल जाने वाले माल से अधिक होने के कारण लदाव चढ़ाव की दिक्कत और भी अधिक हो जाती है। राज्य में इस प्रकार की कठिनाइयां सवाईमाधोपुर हनुमानगढ़, फुलेरा, रतनगढ़, शार्दूलशहर और श्री गंगानगर में अधिक होती है क्योंकि लाइन की क्षमता सीमित हैं और माल को उतारने चढ़ाने की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

नागपुर परियोजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य में ५८५२ मील निर्मित पृष्ठ और १२७६१ मील अनिर्मित पृष्ठ सड़कों की कमी है। इस प्रतिवेदन में दिए गए विकास कार्यक्रम के अनुसार इन दस वर्षों में अतिरिक्त वार्षिक यातायात १६० लाख टन होगा। ९० लाख टन सन् १९६६ तक और फिर ७० लाख टन और १९७१ तक। ७८ लाख टन माल का यातायात अन्य राज्यों के साथ होगा और ८३ लाख टन माल राज्य के भीतर। अन्य राज्यों के साथ होने वाला यातायात में ३५ लाख टन रेलों द्वारा और ४३ लाख टन सड़कों द्वारा होगा। राज्य में होने वाले यातायत में से ८१ लाख टन रेलों और २ लाख टन सड़कों द्वारा होगा।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १७७ करोड़ रुपये के नियोजन की आवश्यकता होगी, ४८ करोड़ रुपये रेलों के ७,१ करोड़ रुपये सड़कों, ५६ करोड़ रुपये सड़क परिवहन के विकास पर और दो करोड़ से कुछ कम राजस्थान नहर में नौ परिवहन पर। कुल नियोजन में से २४ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा, ५९ करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा, ४३ करोड़ रुपये निजी क्षेत्रों से उपलब्ध होंगे।

१२. वित्तीय साधन और विकासः—राजस्थान में सन् ५० से ५६ तक वित्तीय समेकन हुवा। सन् १९५६ में योजना के साधन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर लगाए गए। जिसके फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो गई। १९५१-५२ और १९५९-६०

के बीच के समय मे कुल आय १३२ प्रतिशत बढ़ी जब कि राज्य के कर ५४ प्रतिशत। राज्य कर की ६.६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी संतोषप्रद कही जा सकती है। वाणिज्य विभागों एवं वनों से आय सन् १९५९-६० में कुल २.१ करोड़ रुपये थी। राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्रफल और आबादी वाले राज्य के लिए अकर राजस्व की यह राशि अति न्यून मानी जानी चाहिए। सन् १९५१-५२ से लगाए जाने वाले करों में मुख्य ये हैं।

१ सामान्य बिक्री कर
२ मोटर स्प्रिट पर बिक्री कर
३ कृषि आयकर
४ यात्री कर
५ वस्तु कर

ये कर लगाने के बाद राज्य की कर व्यवस्था अधिक विस्तृत हो गई है अब सरकार को प्रशासन में व्यापारी कर जो कि आय का लोचदार साधन है बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक व्यापारी कर पूरी तरह से विकसित नहीं हो सके और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का मुद्रीकरण न हो राज्य सरकार को भूमि और आबकारी कर पर ही अधिक मात्रा में निर्भर रहना पड़ेगा।

विकास खर्च का अनुपात निश्चित रूप से बढ़ा है। चालू खाते में गैर विकास का अनुपात सन् १९५१-५२ में ५७.२ प्रतिशत से घटकर सन् १९५९-६० में ३५.८ प्रतिशत रह गया। सरकार की ब्याज देयता कुल आय के मुकाबले में विशेष अधिक नहीं कही जा सकती किन्तु केन्द्रीय सरकार को चुकाई जाने वाली धनराशि के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर कुछ जोर अवश्य आवेगा। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार एक या दो विकास क्षेत्रों में करण आय-व्ययक विधि का प्रयोग करके देखे।

अन्य कर लगाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। करों से होने वाली आय बढ़ाने के लिये सरकार को भविष्य में मौजूदा करों की दरें ही बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने एक बिन्दु बिक्री कर लगाया है जिसमें बहु बिन्दु कर व्यवस्था के मुकाबले में कर अपवंचना अधिक हो सकती है इसलिये अधिक चौकसी रखने की आवश्यकता है।

जब कि खाद्य वस्तुओं पर भी कर लगे हुए हैं, यह जांच करना आवश्यक है कि हाथ करघे के कपड़े को क्यों छूट दी जावे। भूमि कर पर प्रगतिशील अधिभार जो अप्रेल १९६० में लगाया गया है सराहनीय प्रयास है। अब सरकार को अधिभार की दरें बढ़ानी चाहिएं और इससे छूट का दायरा कम करना चाहिये। यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार इस बात की जांच करे कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विकास कार्यों के कारण बढ़ी हुई राज्य की आय का राजस्व पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है। इस प्रतिवेदन में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार राज्य की ओर से कुल ६६६ करोड़ रुपयों की लागत

के कार्य शुरू करने होंगे जिसके लिए राष्ट्रीय समिति के अनुमान के अनुसार सरकार को अतिरिक्त कर समेत २८८ करोड़ रुपये एकत्रित करने होंगे। इसका कुछ भाग योजनाओं पर चालू खर्चे में व्यय होगा। यह मानते हुए कि चालू खाते के कुल १०८ करोड़ रुपये के अतिरिक्त को चालू खर्चे में लगाने के बाद नियोजन के लिये १८० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

विकास की रूपरेखा:—इस प्रतिवेदन के अनुसार सन् १९६१से १९७१के दशाब्द में आर्थिक विकास के लिये १५०४ करोड़ रुपये के नियोजन की आवश्यकता होगी। यह कार्यक्रम राज्य के अन्तर्गत प्राप्त साधनों और इसकी पिछड़ी हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए उचित है। कुल नियोजन का ३५ प्रतिशत भाग कृषि, १६.६ प्रतिशत सामाजिक सेवा में, १२ प्रतिशत यातायात, १८ प्रतिशत उद्योग, ६ प्रतिशत विद्युत और २ प्रतिशत से कुछ कम खनिज पर होगा। भारतवर्ष की तुलना में राजस्थान में कृषि पर अधिक नियोजन किया जायगा और अन्य क्षेत्रों पर कम। कुल नियोजन का ५.२ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रों में होगा, ४४ प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा और ८ प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा और ४८ प्रतिशत निजी क्षेत्र में। राज्य की आय १२.६ प्रतिशत बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति ७.८ प्रतिशत जब कि भारत में यह क्रमशः ७.५ प्रतिशत और ४ प्रतिशत बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय १९६१ के २७६ रुपयों से बढ़ कर १९७१ में ४९० रुपये हो जायगी। प्रति व्यक्ति उत्पादकता इसी काल में लगभग ९१ प्रतिशत बढ़ जायगी और पूंजी उत्पादन अनुपात २.१ : १ होगा।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि समस्त योजनाओं का समन्वय उचित रूप से हो और प्रसार सेवायें तथा ऋणदायी व्यवस्था बढ़ाई जावे।

इस काल में खेती से उपज प्रतिवर्ष ११.७ प्रतिशत बढ़ेगी, प्रति एकड़ ७४ रुपये से बढ़कर १२३ रु० हो जायगी। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में भूगर्भ जल के साधन अधिक हैं। इनको सर्वेक्षण का कार्यक्रम जल्दी बनाया जावे। कृषि की उन्नति में जानवरों की कमी बड़ी बाधक है। अतः मशीनों का प्रयोग शनैः २ चालू किया जावे।

उद्योग के क्षेत्र में कारखानों से उत्पादन १५६ करोड़ रुपये होने लगेगा और अ-निर्माणी उपक्रम से ८२ करोड़ रुपये। इसके बावजूद भी राजस्थान सन् १९७१ के अन्त तक उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य ही रहेगा। बड़े कारखानों पर २२५ करोड़ रुपये लगाए जावेंगे जिसमें से १०१ करोड़ रुपये रासायनिक और अन्य उद्योगों पर ६३ करोड़ रुपये धातु एवं इंजीनियरी आधारित उद्योगों पर तथा ६० करोड़ रुपये कृषि आधारित उद्योगों तथा सूती मिलों पर। औद्योगिक विस्तार के कारण कारखानों में २.४० लाख आदमियों को और अ-निर्माणी उपक्रम में २ लाख आदमियों को रोजगार मिल सकेगा।

औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जल्दी ही बिजली, औद्योगिक शिक्षा तथा मजदूरों के घरों की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही सरकार की ओर से दिये

जाने वाली छूटों और राज्य में बढ़ जाने वाले उद्योगों के बारे में सूचना का जनता में प्रचार करना होगा।

खनिज के क्षेत्र में २३ करोड़ रुपये लगाने की आवश्यकता होगी जिसमें से अधिकतर ताम्बा, सीसा, जस्ता और लिगनाइट की खानों पर होगा। राज्य में और अधिक खाने खुदवाने के लिये सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है। यदि और खनिज प्राप्त हो सकें तो इस क्षेत्र में नियोजन की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली पर १३५ करोड़ रुपये का नियोजन होगा जिससे इस दशाब्द में प्रस्थापित क्षमता ४४२ मेगावाट और बढ़ाई जा सकेगी। फिर भी १९७१ में बिजली की कमी रहेगी। अतः राज्य को बिजली के साधन बढ़ाने की दिशा में खोज करनी चाहिये और अणु विद्युत तैयार करने की योजना बनानी चाहिये।

यातायात पर इस दशाब्द में १७७ करोड़ रुपये के नियोजन का विचार है। जिसमें से २७ प्रतिशत रेलों पर, ३३ प्रतिशत सड़क परिवहन पर और १ प्रतिशत राजस्थान नहर में नौ परिवहन पर होगा।

यह अनुमान किया जाता है कि इस काल में बढ़ने वाले समस्त २० लाख क्रियाशील श्रम को विकास योजनाओं में काम मिल जायगा। देहातों में अधोसेवायुक्ति कम होगी। लगभग २५० करोड़ रुपये सामाजिक योजनाओं पर नियोजित होंगे सबसे अधिक शिक्षा पर। जल प्रदाय, सफाई की योजना और पिछड़ी जातियों के उद्धार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इस समय राजस्थान में योजना बनाने के लिए कोई विशेष संगठन नहीं है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य स्तर पर योजना मंडल कायम किया जावे। यह एक स्वतन्त्र और स्थाई संगठन हो और इसका एक अलग संचालनालय और शोध के लिए कार्यालय हो।

तालिका १

प्रति व्यक्ति आय एवं आर्थिक सूचक (जिलेवार) राजस्थान

जिला	प्रति व्यक्ति आय रु०	शहरी जनसंख्या (१९५१) प्रतिशत	अनुसूचित वर्ग की जनसंख्या (१९५१) प्रतिशत	प्रति १०,००० जनसंख्या पर कारखानों में काम करने वालों की संख्या (१९५८)	प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व (१९५१)	प्रति लाख व्यक्तियों पर सड़कें (मीलों में १९५८)	प्रति १०० वर्गमील पर सड़कें मीलों में (१९५९)
१	२	३	४	५	६	७	८
अति उच्च							
गंगानगर	३६९	१४.४	०.२	४२	८०	२२	२.८
उच्च							
जैसलमेर	२९६	११.८	२.७	२	७	३१६	२.६
कोटा	२८६	१६.७	१३.१	२०	१३७	१३१	२२.१
जयपुर	२७५	२८.६	१०.६	३७	२८०	३६	१२.५
मध्यम							
बूंदी	२६४	१७.०	१८.०	६४	१२९	१५१	२३.१
टोंक	२६०	१७.१	८.०	१०	१४५	७०	१२.२
पाली	२६०	१३.६	६.०	३६	१४१	८५	१४.४
बीकानेर	२५९	४३.६	....	७४	३५	११६	५.२
अजमेर	२५६	४०.१	१.२	१७१	२४९	८२	२५.६
सिरोही	२५६	१५.५	१९.७	०.४	१४४	१०५	१७.२
सवाई माधोपुर	२५५	१२.६	२२.६	४४	१८९	५०	१२.३
बांसवाड़ा	२५३	५.५	६६.७	३	१८३	६९	१५.५
जोधपुर	२४८	३२.२	१.०	६०	७५	१२०	१.४
निम्न							
झालावाड़	२३३	१२.२	१०.६	८	१७७	१३७	२८.६
चित्तोड़गढ़	२३१	१०.८	६६.७	१२	१४२	६४	१०.८

१	२	३	४	५	६	७	८
जालोर	२३०	६.६	६.८	....	१०३	५३	६.८
अलवर	२२९	११.५	७.८	४	२७०	६८	२३.०
भरतपुर	२११	१६.६	३ २	१४	२९१	८५	३०.०
नागौर	२०९	१३.०	....	७	११३	९३	१२.५
उदयपुर	२०८	१२.४	२८.७	१२	१७६	१३३	२८.१
अति निम्न							
सीकर	१९४	२१.९	२.२	....	२२३	४३	११.४
चूरू	१९३	३५.२	०.२	....	८४	६६	६.८
डूंगरपुर	१९३	७.१	५८.४	....	२११	१००	२७.२
भीलवाड़ा	१८८	९.३	१९.५	३.८	१८०	७१	१४.८
झुंझुनू	१८७	२३.८	१.४	०.६	२५४	३४	१०.२
बाड़मेर	१७४	६.९	२.९	....	४६	८९	५ ४
राज्य	२३८	१८.५	११.१	२९	१२१	८१	१२.०

सन् १९५५-५६ के लिए चालू भावों पर अनुमान।

तालिका २

भिन्न भिन्न आकार के शहरों व गांवों में जनसंख्या का आवंटन⊛—राजस्थान

शहर व गांव जिनकी जनसंख्या	गांवों व शहरों की संख्या	जनसंख्या	प्रतिशत	गांवों व शहरों का औसत आकार
५०० से कम	२३,८३०	४९,०८,८०८	३७.३	२०६
५००—१,०००	५,२३२	३६,३९,१६९	२७.६	६९६
१,०००—२,०००	२,०४६	२७,६५,००८	२१.०	१,३५१
२,०००—५,०००	६४९	१८,४९,४८०	१४.१	२,८५०
कुल	३१,७५७	१,३१,६२,४६५	१००.०	४१४
५,०००—१०,०००	११०	७,२३,७५१	२५.७	६,५८०
१०,०००—२०,०००	३६	४,७०,६१२	१६.८	१३,०७३
२०,०००—५०,०००	२०	५,६४,७०१	२०.१	२८,२३५
५०,०००-१,००,०००	४	२,६३,६५०	९.४	६५,९१२
१,००,०००से अधिक	४	७,८५,५९३	२८.०	१,९६,३९८
कुल	१७४	२८,०८,३०९	१००.०	१६,१५०
योग	३१,९३१	१,५९,७०,७७४	....	५००

⊛ भारतीय जनगणना सन् १९५१ पर आधारित।

तालिका ३

राजस्थान व भारत में भिन्न भिन्न आकार के शहरों व गांवों में जनसंख्या का प्रतिशत आंवटन ❀

शहर व गांव जिनकी जनसंख्या	राजस्थान	भारत
५०० से कम	३०.७	२१.९
५००—२०००	४०.१	४०.४
२०००—५०००	११.६	१६.६
कुल ग्रामीण जनसंख्या	८२.४	७८.९
कुल शहरी जनसंख्या	१७.६	२१.१
कुल योग	१००.०	१००.०

❀ भारतीय जनगणना सन् १९५१ पर आधारित।

तालिका ४

राजस्थान व भारत में जीविका प्रतिरूप—१९५१

जीविका प्रतिरूप	कुल जनसंख्या (दस लाख में)			
	राजस्थान	प्रतिशत	भारत	प्रतिशत
[अ] कुल कृषि वर्ग	११.१	६९.७	२४९.०	६९.८
(१) मालिक कृषक	६.९	४३.१	१६७.३	४६.९
(२) भाटकी कृषक	३.५	२२.०	३१.६	८.८
(३) श्रमिक कृषक	०.५	३.०	४४.८	१२.६
(४) कृषि संनिधिधारी	०.२	१.६	५.३	१.५
कुल अकृषि वर्ग	४.९	३०.३	१०७.६	३०.२
(५) कृषि के अतिरिक्त उत्पादन	१.५	९.३	३७.७	१०.५
(६) वाणिज्य	१.१	६.८	२१.३	६.०
(७) यातायात	०.२	१.१	५.६	१.६
(८) अन्य	२.१	१३.१	४३.०	१२.१
कुल योग ...	१६.०	१००.०	३५६.६	१००.०

तालिका ५

सन् १९५५-५६ और १९६०-६१ की राज्य आय और राष्ट्रीय आय
(१९५७-५८ के भावों पर आधारित)

(करोड़ रुपयों में)

खण्ड	१९५५-५६		१९६०-६१		भारतीय	राजस्थान
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	वृद्धि दर	की प्रतिशत वृद्धि दर
कृषि	४,६५१	१७५.५१	....	२२७.००	....	५.८६
पशुपालन	६२३	५८.८९	....	६५.५२		२.२५
वन	७०	२.५८	....	३.७३	....	८.६१
मत्स्य	७६	०.१८	....	०.२३	...	५.५५
कुल कृषि एवं संबंधित कर्मण्यता	५,४२०	२३७.१६	६,१९८	२९६.४८	२.८	५.००
खनिज	१२०	४.२१	१९६	६.००	....	८.५०
कारखाने	८२०	५.४९	१,२४८	११.५४	....	२२.००
छोटे धन्धे	९७९	४७.२१	१,०६४	५३.३५	....	२.६०
निर्माण	....	७.२५	....	८.१९	....	२.६०
कुल खनिज एवं गौण कर्मण्यता	१,९१९	६४.१६	२,५०८	७९.०८	६.१	४.६५
यातायात	...	८.६९	....	१०.८३	....	—
वाणिज्य	....	४४.७६	....	५५.७८	....	....
सेवाएँ	....	७९.७०	....	९९.२३	....	....
गृह संपत्ति	....	१६.०९	....	२०.०५	....	....
कुल तृतीयक कर्मण्यता	३,७३१	१४९.२४	४,३०३	१८५.९९	३.५	४.९२
कुल योग	११,०७०	४५०.५६	१३,००९	५६१.५५	३.५	४.९२
जनसंख्या करोड़ों में	....	१७६.०	....	२.०१	....	....
प्रति व्यक्ति	२८५	२५६	३०५	२७९	१.४	१.७९

तालिका ६

राजस्थान व भारत में खण्डवार आय का प्रतिशत आंवटन

खण्ड	१९५५-५६		१९६०-६१	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
१ कृषि	३८.९६	४२.१	४०.४३	....
२ पशु-पालन	१३.०७	५.६	११.६७	....
३ वन	०.५७	०.७	०.६६	....
४ मत्स्य	०.०४	०.६	०.०४	....
कुल	५२.६४	४९.०	५२.८०	४७.६
५ खनिज	०.९३	१.१	१.०७	१.५
६ कारखाने	१.२२	७.४	२.०५	९.६
७ छोटे धन्धे	१०.४७	८.८	९.५०	८.२
८ निर्माण	१.६२		१ ४६	
कुल	१४.२४	१७.३	१४.०८	१९.३
९ यातायात	१.९३	४.२	१.९३	५.१
१० वाणिज्य	९.९३	१२.९	९.९३	१२.६
११ सेवाएं	१७.६९	१२.३	१७.६९	११.५
१२ गृह संपत्ति	३.५७	४.३	३.५७	३.९
कुल	३३ १२	३३.७	३३.१२	३३.१
कुल योग	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

तालिका ७

कर्मियों की संख्या एवं प्रति कर्मी उत्पादन १९५५-५६

खण्ड	कर्मियों की संख्या (लाखों में)				वास्तविक उत्पादन (करोड़ रुपये में) *		प्रति व्यक्ति उत्पादन (रुपये)	
	राजस्थान	प्रतिशत	भारत	प्रतिशत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
प्राथमिक	६७.०९	७५.६	१,१२३.०	७२.९	२४१.३७	५,५४०	३६०	४९३
गौण	७.६६	८.६	१४९.०	९.७	५९.९५	१,७९९	७८२	१,२०७
तृतीयक	१४.०३	१५.८	२६८.०	१७.४	१४९.२४	३,७३१	१,०६४	१,३९२
कुल	८८.७९	१००.००	१,५४०.०	१००.०	४५०.५६	११,०७०	५०७	७१

* सन् १९५७-५८ के भावों पर आधारित ।

तालिका ८

प्रथम पंचवर्षीय योजना में वास्तविक व्यय—भारत व राजस्थान

(करोड़ रुपयों में)

व्यय के मुख्य शीर्ष	भारत		राजस्थान				
	व्यय	प्रतिशत	व्यय	केंद्रीय पुरस्कृत योजना	कुल	प्रतिशत	राजस्थान भारत का प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	२९६.०	१४.८	२.८	३.१	५.९	१०.९	१.९
सिंचाई व शक्ति	५८५.०	२९.१	६.७	२५.८	३२.५	६०.१	५.५
उद्योग व खनिज	१००.०	५.०	०.३	०.२	०.५	०.९	०.५
यातायात व संचार	५३२.०	२६.४	५.२	०.४	५.६	१०.४	१.१
सामाजिक सेवाएँ	४२३.०	२१.०	६.४	२.७	९.१	१६.८	२.०
विविध	७४.०	३.७	....	०.५	०.५	०.९	०.६
कुल ...	२,०१३.०	१००.०	२१.४	३२.७	५४.१	१००.०	२.७

तालिका ९

भारत राज्यों व राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

विकास के मुख्य शीर्ष	भारत (केंद्र एवं राज्य)		राज्य		राजस्थान	
	प्रावधान	प्रतिशत	प्रावधान	प्रतिशत	प्रावधान	प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	५१०	११.०	४५६	२२.३	१७.०	१६.२
सिंचाई एवं शक्ति	८२०	१८.०	७५७	३६.९	४८.१	४५.७
उद्योग एवं खनिज	९५०	२१.०	१२०	५.९	५.८	५.५
यातायात व संचार	१,३४०	३०.०	१६३	७.९	९.४	८.६
सामाजिक सेवाएँ	८१०	१८.०	५१२	२५.०	२३.९	२२.७
विविध	७०	२.०	४०	२.०	१.०	१.०
कुल	४,५००	१००.०	२,०४८	१००.०	१०५.२	१००.०

तालिका १०

राजस्थान में द्वितीय योजना में प्रावधान व व्यय*

(करोड़ रुपयों में)

शीर्ष	प्रावधान	व्यय	व्यय प्रावधान का प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	१७.०	१५.७	९२
सिंचाई व शक्ति	४८.१	३०.०	६२
उद्योग व खनिज	५.८	२.२	३८
सड़कें	९.४	७.४	७९
सामाजिक सेवायें	२३.९	१५.७	६६
विविध	१.०	०.७	७०
कुल	१०५.२	७१.७	६८

*सन् १९५६-५७ से १९५९-६० तक।

तालिका ११

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल—कुल बोए गये क्षेत्रफल का प्रतिशत १९५६-५७

फसलें	राजस्थान			भारत
	गीला क्षेत्र	सूखा क्षेत्र	राज्य	
मक्का	८.२	०.३	३.६	२.५
गेहूँ	१५.६	५.७	९.८	९.१
जौ	७.८	०.२	४.२	२.४
चावल	१.६	०.०३	०.६	२१.५
मुख्य अन्न	३३.२	६.२३	१८.२	३५.५
बाजरा	९.९	४०.४	२७.४	७.६
ज्वार	१०.१	३.४	६.२	१०.९
छोटे धान	१.१	०.१	०.५	३.३
रागी	....	....	....	१.६
अन्य अन्न	२१.१	४३.९	३४.१	२३.४
कुल अन्न	५४.३	५०.१३	५२.०	५८.९
दालें	२४.१	२७.२	२५.८	१५.८
तिलहन	१०.९	४.१	७.१	८.४
गन्ना	०.५	०.१	०.२	१.४
कपास	२.४	१.०	१.६	५.४

तालिका १२

राजस्थान व भारत में मुख्य फसलों का उत्पादन—(सन् १९५३-५४ से १९५७-५८ का औसत)

(पौंड प्रति एकड़)

फसलें	राजस्थान			भारत
	गीला क्षेत्र	सूखा क्षेत्र	राज्य	
मुख्य अन्न				
चावल	८११	६४०	८०४	७६४
गेहूं	७८२	८९१	८१५	६४१
जो	१,०६३	७७७	९८९	७२८
मक्का	८६९	५२९	८५५	६९४
अन्य अन्न				
बाजरा	३४८	१५४	१८६	२८१
ज्वार	२४९	१५०	२२७	४१२
छोटे धान	३०९	५६०	३४९	३६५
तिलहन				
तिल	१८९	१४३	१६८	१८५
राई और सरसों	३३२	२८२	३०८	३४५
कपास	९८	१५८	११६	८८
गन्ना	२०,११७	२०,१६०	१०,१२४	२९,५७०

तालिका १३

राजस्थान व भारत में मुख्य फसलों का उत्पादन

सन् १९५३-५४ से १९५७-५८ तक पंचवर्षीय औसत

(हजार टन)

फसलें १	राजस्थान २	भारत ३	राजस्थान भारत का प्रतिशत ४
चावल	३०.४	२६,५६३	०.२७
गेहूं	९११.०	८,४७१	१०.७५
जो	५८३.४	२,७२२	२१.४३
मक्का	५२४.२	२,९११	१८.००

(हजार टन)

१	२	३	४
मुख्य अन्न	२,०८६.०	४०,६७२	५.१४
बाजरा	७४०.०	३,५५२	२०.८३
ज्वार	३२२.६	७,७८७	४.१४
रागी	...	१,७४४	....
छोटे अन्न	३४ ८	२,१३१	१.६३
अन्य अन्न	१,०९७.७	१५,२१४	७.२१
दालें	९६८.४	१०,५६३	९.१७
मूंगफली	३२.४	३,९६८	०.८२
अंडोली	१.०	११४	०.८८
तिल	८४.४	४८२	१७.५१
राई और सरसों	८५.४	९३१	९.१७
अलसी	३२.६	३६६	८.९०
तिलहन	२३५.८	५,८६१	४.०२
गन्ना	५४.८	५,८६०	०.९४
कपास	१६१	४,३३६	३.७१

तालिका १४

अन्न व अन्य फसलों का त्रिवर्षीय परवर्ती माध्य-राजस्थान

(क्षेत्रफल हजार एकड़ में) (उत्पादन हजार रुपयों में)

वर्ष	अन्न		तिलहन		गन्ना		कपास	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
१९५३-५४	२०,१३३	३,५७६	१,६७९	१८७	४५	४३	४३१	११३
१९५४-५५	२२,६९६	४,०३१	१,८९८	२२७	५३	४५	५१३	१४१
१९५५-५६	२४,४९१	४,२९७	२,१७८	२६६	६७	५४	५५४	१५८
१९५६-५७	२५,५४७	४,२८६	२,२०२	२४९	७७	६१	५७३	१८९
१९५७-५८	२६,२९१	४,५९२	२,३४७	२५४	७३	६०	५८२	१७६
१९५८-५९	२६,६१६	४,५७६	२,३२३	२२५	६७	५८	५९४	११९

तालिका १५

मुख्य फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन—राजस्थान

(पौंड प्रति एकड़)

वर्ष	ज्वार	बाजरा	मक्का	गेहूं	जौ	चना	कुल अन्न	गन्ना	मूंगफली	राई सरसों	कपास
१९४९-५०	१८४	११४	२७२	४०१	५८०	२२३	२०७	१,६६६	५२४	२८३	२४२
१९५०-५१	२२९	१२५	२६८	५३०	६६२	३१०	२४७	९०७	४५४	२९३	१३०
१९५१-५२	१०६	७८	३३२	५८९	९७९	३१३	२१८	१,८७३	३४५	२३६	९२
१९५२-५३	३१९	१७६	५	९६२	११८५	४८२	३७१	२,०८०	४१०	३०३	१११
१९५३-५४	३२४	२८३	११११	७६३	९८०	३६७	४१९	२,२९६	५०६	२७३	१०८
१९५४-५५	३९०	१४०	९६४	८४२	९६९	४६२	३९८	२,०३३	६८८	३५८	९४
१९५५-५६	१७२	१९५	८७९	८४५	९४७	४९०	३७९	१,५५१	७६१	३५१	११९
१९५६-५७	२२५	१२९	५८६	८८०	१०९९	६८८	४०१	१,८३५	५०४	३७५	१२०
१९५७-५८	२७१	१८५	८६३	६९४	९१७	४२३	३४६	१,०१६	४५६	३१४	१४६

तालिका १६

सन् १९६०-६१ में कृषि क्षेत्र में प्रति एकड़ उत्पादन के शुद्ध महीन की गणना—राजस्थान

	गीला क्षेत्र	सूखा क्षेत्र	कुल
वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल (लाख एकड़)	११८	१८९	३०७
उत्पादन का शुद्ध महीन (करोड़ रु० में)	१४१	८६	२२७
प्रति एकड़ वास्तविक बोए गए क्षेत्रफल का शुद्ध महीन (रुपयों में)	१२०	४६	७४
१९६०-६१ में वास्तविक बोऐ गए क्षेत्रफल का १९७०-७१ में प्रति एकड़ शुद्ध महीन (रु० में)	१८०	५८	१०६
१९६०-६१ में वास्तविक बोऐ गऐ क्षेत्रफल में १९७०-७१ के कुल उत्पादन का शुद्ध महीन (करोड़ रु० में)	२१२	११०	३२२

तालिका १७

राजस्थान में पशुओं और कुक्कुटों की स्थिति

श्रेणी	राजस्थान (१९५६) (,०००)	राजस्थान (१९५६) प्रतिशत	भारत (१९५६)	राजस्थान भारत का प्रतिशत	१९५१ की संख्या में प्रतिशत वृद्धि राजस्थान	१९५१ की संख्या में प्रतिशत वृद्धि भारत
पशु	१२,०७३	३७.२	५१.८	८.०	+१५.५	+ २.२
भैंसे	३,४३९	१०.६	१४.६	७.७	+१६.४	+ ३.५
भेड़ें	७,३७३	२२.७	१२.८	१९.०	+४४.४	+ ०.७
बकरे	८,७३०	२७.०	१८.८	१५.८	+६१.८	+१७.५
ऊंट	४३६	१.४	०.२	५६.२	+२८.७	+२३.४
अन्य	३७५	१.१	१.८	५.०	+ ३.६	+ ३.६
कुल पशु	३२,४२६	१००.०	१००.०	१०.६	+२६.९	+ ४.७
कुक्कुट	४५७	....	....	०.५	+८८.२	२८.७

तालिका १८

पशुओं की नस्लें राजस्थान

श्रेणी	उपयोग	प्रति-दिन औसत दूध (पौ०)	विवरण
१	२	३	४
ढोर			
हरियानी	दोनों	१४-२०	पशु शव का भार ६००-९०० पौं० मांस की अच्छी मांग
मेवात	दोनों	१२-१६	पशु शव का भार ६००-९०० पौं० मांस की अच्छी मांग।
राठ	दोनों	७-८	किफायत पूर्ण कठोर भूमि पर अच्छे भारवाहक नहीं।
गीर	दोनों पर दूध अधिक	२०-२६	पशु शव का भार ७०० से ८०० पौं० मांस और दूध की अच्छी मांग।

१	२	३	४
कांकरेज	दोनों	१६.२०	८०० से ९०० तक भारी वजन। अधिक भार भी उठाता है।
थारपार्कर	दूध	२०-२५	दूध के लिए मांग। ६०० से ८०० पौ० वजन।
राठी	दूध	२०-२४	दूध के लिये मांग।
मालवी	भारवाही	....	अच्छा भारवाहक, मांस की अच्छी मांग ५०० से ६०० और ७०० से ८०० पौ० वजन।
नागौर	भारवाही	....	भारत की सबसे अधिक भारवाहक जाती (७०० से ८०० पौं०)
भैंसें	....	२०-२४	....
मुर्रे	....	(२५-३०)	....

तालिका १९

भारवाहक पशुओं का आवंटन राजस्थान सन् १९५९

क्षेत्र	वास्तविक बोया हुआ क्षेत्रफल (हजार एकड़)	प्रति कार्यशील पशुओं की जोड़ी पर वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल(एकड़)	वास्तविक बोए गये क्षेत्रफल के प्रति १०० एकड़ पर कार्यशील पशुओं की संख्या	ट्रैक्टरों की संख्या
१	२	३	४	५
बांसवाड़ा	४०२	५.६	३६.१	६
झालावाड़	९५०	११.१	१८.२	८
सवाई माधोपुर	१,०१८	११.१	१८.२	४१
चित्तौड़गढ़	९६५	६.२	३२.५	२१
कोटा	१,२८७	१२.१	१६.६	५४
भीलवाड़ा	५४६	४.९	४१.०	४४
बूंदी	४५५	१०.१	१९.८	२०
डूंगरपुर	२४२	४.२	४७.९	११
अलवर	१,१११	१३.८	१४.५	४५
भरतपुर	१,२०४	११.५	१७.४	८१

१	२	३	४	५
टोंक	८५४	१३.३	१५.१	२७
उदयपुर	६०५	३.४	५६.०	३६
जयपुर	१,६६२	११.३	१७.६	११३
सिरोही	३०८	६.२	२१.४	५
अजमेर	७९७	११.८	१६.६	५४
गोला क्षेत्र	११,८०६	८.६	२२.५	५७६
सीकर	१,२८६	३४.६	५.७	१५
झुंझुनू	१,०८५	८६.८	२.३	६
पाली	१,१३५	१२.८	५.६	८०
जालोर	१,४०७	२३.४	८.५	२८
नागौर	२,५५६	३५.३	५.६	३१
बीकानेर	९८५	७५.७	२.७	....
बाड़मेर	२,७२४	६१.२	३.३	६
गंगानगर	२,८६५	७२.५	२.८	४६८
जोधपुर	२,२१६	३३.८	५.६	२१
चूरू	२,४१२	१७२.३	१.२	५
जैसलमेर	२२२	१७.८	११.३	२
सूखा क्षेत्र	१८,८९६	४१.१	४.६	६९८
राजस्थान	३०,७०५	१७.६	११.७	१,२७४

तालिका २०

राजस्थान व भारत में दुग्ध उत्पादन का प्राक्कलन सन् १९५६

स्रोत	उत्पादन (हजार मन)		प्रति पशु उत्पादन (पौंड)	
	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत
गाय	१७,०६५ (४७.४)	२,१९,१५० (४१.४)	३२१	३८२
भैंस	१४,४४८ (४०.०)	२,९४,०६३ (५५.७)	६६७	१,११७
बकरी	४,५३३ (१२.६)	१५,०४४ (२.९)	....	....
कुल	३६,०४६	५,२८,२५७	....	....

कोष्टक में कुल दुग्ध उत्पादन का प्रतिशत दिया गया है।

तालिका २१

राजस्थान व भारत में पशु पदार्थ

वर्ष	पदार्थ	इकाई	राजस्थान	भारत	भारत के उत्पादन का प्रतिशत
१९५६	दूध	(हजार मन)	३६,०४६	५,२८,२५७	६.८
१९५६	घी	(हजार मन)	१,६७२	१०,५९७	१५.७
१९५६	मक्खन	(हजार मन)	१४६	२,००६	७.३
१९४९	मांस	(टन)	२२,९२०	४,६१,२४५	५.०
१९५६	हड्डियां	(टन)	३३,८८६	३,६४,३९८	९.३
१९५१	खालें	(लाख)	५.९	२१०.६	२.३
	ढोरों की	....	४.६	१५८.६	३.५
	भैंसों की	....	१.३	५२.०	४.०
१९५१	चमड़ा	....	३०.९१	३६७.९८	८.३
	बकरों का	..	१६.८५	२१२.९४	१२.६
	भेड़ों का	....	१३.७६	१५५.०४	११.२
१९५१	अंडे	....	१८	१८,३२५	०.०१
१९५६	ऊन	नो पौं०	२९.४१६	६५,०५०	४५.२

तालिका २२

पशु धन और पशु पदार्थ का आयात और निर्यात व्यापार (रेल और नावों द्वारा) राजस्थान सन् १९५७-५८

वस्तुएं	आयात	निर्यात	शुद्ध आयात (+) या निर्यात —
पशु (संख्या)			
ढोर	६९६	३१,४६८	−३०,७७२
भेड़ और बकरे	२१५	७,३४,५३७	−७,३४,३२२
घोड़े, टट्टू और खच्चर	११२	२६८	−१५६
अन्य	२३४	५०५	−२७१
पशु पदार्थ			
घी (मन)	२६४	६०५	−३४१
खालें (संख्या)	४०,८५३	१,९२६	+३८,९२७
चमड़े (कच्चे)	१,८२३	३२,९३१	−३१,१०८
खालें और चमड़े (पके हुए)	२५,३९५	१,३१२	+२४,०८३
हड्डियां (मन)	१,३५,६७५	२,३९,४७०	−१,०३,७९५
ऊन (रुई)	२४,३६३	२,३५,०६२	−२,१०,६९९

तालिका २३

मछलियों से कुल राजस्व

वर्ष	कुल राजस्व (रु०)	वर्ष	कुल राजस्व (रु०)
१९५५-५६	६३,९०७	१९५८-५९	१,७७,३०८
१९५६-५७	७३,९३०	१९५९-६०	२,१२,९५२
१९५७-५८	१,२१,८४२		

तालिका २४

तालाबी मछलियों से जिलेवार राजस्व राजस्थान सन् १९५९-६०

जिला	राजस्व रु०	राज्य में आय का प्रतिशत	जिला	राजस्व	राज्य में आय का प्रतिशत
भरतपुर	६४,७६५	२४.६४	टोंक	१३,१३०	४.९९
सवाईमाधोपुर	४४,०६१	१६.७६	जयपुर	११,६८७	४.८५
उदयपुर	४०,०२५	१५.२३	अजमेर	६,९१०	२.६३
बूंदी	३२,७२५	१२.४५	कोटा	२,३७५	०.९०
भीलवाड़ा	२८,५१२	१०.८५	पाली	१,९८५	०.७६
अलवर	१३,८८८	५.२८	झालावाड़	१,५९५	०.६१
			चित्तौड़	९५०	०.३६
			सिरोही	२३५	०.०९
			कुल	२,९२,८४३	१००.००

तालिका २५

जिलेवार भूमि उपयोग के अनुसार वन्य क्षेत्रफल सन् १९५७-५८

जिला	वन्य क्षेत्रफल हजार एकड़	जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	राज्य के वन्य क्षेत्रफल का प्रतिशत	जिला	वन्य क्षेत्रफल हजार एकड़	जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	राज्य के वन्य क्षेत्रफल का प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८
बांसवाड़	४४१	३५.१	१५.४	कोटा	८५	२.८	३.०
डूंगरपुर	१८५	१९.८	६.५	झालावाड़	२६	१.७	०.९

१	२	३	४	५	६	७	८
उदयपुर	६२३	१४.५	२२.०	जयपुर	५७	१.६	२.०
बूंदी	१८३	१३.२	६.४	भरतपुर	२२	१.१	०.८
अलवर	२५६	१२.५	६.०	भीलवाड़ा	२६	१.०	०.६
चित्तौड़गढ़	२२६	८.६	७.६	जालोर	१७	०.७	०.६
झुंझुनू	१०६	७.५	३.८	सीकर	१३	०.७	०.५
सवाईमाधोपुर	१४७	५.८	५.१	जैसलमेर	४४	०.५	१.५
सिरोही	६०	४.७	२.१	बीकानेर	२०	०.३	०.७
पाली	१४३	४.७	५.०	नागौर	५	०.१	०.२
अजमेर	६४	४.६	३.३	जोधपुर	५	०.०६	०.२
टोंक	६३	३.५	२.२	कुल	२,८६३	३.४	१००.०

तालिका २६

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में वनों का विकास
:लक्ष्य और उदव्यय:

योजना	उपलब्धि १९५६-६१	उदव्यय लाख रु० १९५६-६१
१ ग्राम्य वन लगाना	१२,५१० एकड़	२२.१०
२ अन्य पौधे लगाना	१२,४०० एकड़	३०.२४
३ वर्तमान वनों का पुनरुद्धार		
:अ: पुनः संनिधि	३,१५० एकड़	१०.६०
:ब: वर्धन क्रियाएं	४६,६७४ एकड़	
४ सीमांकन व बन्दोबस्त	७,५६७ मील	२२.३४
५ कार्यशील योजनाओं की तैयारी	८ संख्या	७.००
६ सड़कें	४३६ मील	५.००
७ अन्य भू-संरक्षण, सहित	....	७६.२२
८ अजमेर	....	८.००
योग	....	१८२.००

तालिका २७

तीसरी योजना में वनों का विकास

योजना	१९६१-६६ लक्ष्य	१९६१-६६ व्यय लाख रुपया
वन्यकरण और वन पुनर्संस्थान वनिकी प्रक्षेत्र	२०,००० एकड़	१८.००
वाणिज्य वृक्षारोपण	४१,५०० एकड़	—
वनिकी कार्यों का विकास	८५० मील	६४.६६
क्षत वनों का पुनर्संस्थान	५४,००० एकड़	२२.००
वैज्ञानिक व्यवस्था एवं उन्नत वन		
सीमांकन एवं बन्दोवस्त	७,५०० वर्ग मील	२२.१०
कार्यकारी योजना संगठन	४ नवीन ७ पुरानी	४.३६
चरागाहों में सुधार	....	१३.५०
वन्य शोध एवं संस्थान	....	४.३१
यातायात (सड़कें)	६५० मील	१०.३९
भू-संरक्षण	....	३५.००
अन्य : कर्मचारी गण का प्रशिक्षण, भवन, वन्य संरक्षण, आदि :		५५.३८
कुल		२८०.००

तालिका २८

सन् १९६१-७१ के वन्यकरण और पुनर्संस्थापन के लक्ष्य

योजना	१९६१-७१	योजना	१९६१-७१
वनिकी प्रक्षेत्र	३,६०,००० एकड़	पुनर्संस्थापन	
वाणिज्य एवं औद्योगिक वन	१,२४,५०० एकड़	(अ) सागवान	२,६८,००० एकड़
प्रसार वन	२,८०० मील	(ब) अन्य वन	
		बचाव के तरीके	७,५००वर्गमील

तालिका २९

वनों के विकास पर नियोजन (राजस्थान) सन् १९६१-७१

योजना	नियोजन लाख रु०	योजना	नियोजन लाख रु०
वनिकी प्रदेश	४५०.०	चरागाह एवं वन विकास	४०.५
वाणिज्य एवं औद्योगिक वन	२९४.०	सड़कें	११.४
पुनर्संस्थापन	१३७.०	भूसंरक्षण	१०५.०
कुल			१,०३७.९

तालिका ३०

राजस्थान के खनिज उत्पादन सन् १९५८

खनिज		मात्रा	मूल्य (हजार रुपये)	प्रतिशत आवंटन	रोजगार (संख्या)
१		२	३	४	५
अजबस्टास	मीटरटन	४८६	३१	०.०६	१११
बरिटेज	,,	१,८२५	३७	०.०५	५७
बैंटोनाइट	,,	३,२५६	६६	०.१२	२०४
कैल्साइट	,,	१,१९८	१५	०.०३	१००
सफेद मिट्टी	,,	१,२५५	१४	०.०३	नगण्य
पन्ना	किलोग्राम	४६.४	७३	०.१४	१३०
स्फटिय	मीटरटन	७,४४०	६४	०.१२	४४२
फुलर्स अर्थ	,,	७,२५६	३३३	०.६४	१०४
कांच बनाने की बालू एवं स्फटिक	,,	१९,५८३	२११	०.४०	२३०
खड़िया मिट्टी और अभ्रमणी	हजार	७३२	५,०२८	९.५२	२,३५९
कच्चा लोहा	मीटर टन	१,०७,३७०	१,००१	१.८९	१,०६६
सम्केंद्रित सीसा	,,	५,३४१	३,५७८	६.७७	९९१

१		२	३	४	५
लिगनाइट	मीटर टन	१२,४६३	२५३	०.४८	२४६
चूने का पत्थर	,,	१,१७,९५०	२,२३६	४.२३	४,९०४
चूना बनाने के लिए					
चूने का पत्थर	हजार	१,११८	२,२१३	४.१९	—
सीमेंट बनाने के लिए					
कच्चा मेंगनीज	मीटर टन	८,१३३	३०७	०.५८	१,१४२
संगमरमर	,,	३९,५२०	१,०१६	१.९२	५ ३३०
अभ्रक कर्तन	,,	१,२९३	६,२४६	१२.०२	६,०६२
नमक	हजार	३८३	६,८०३	१२.८८	२२०
बालू का पत्थर	,,	६२९	१३,३१७	२५.२२	१४,२००
शैल खड़ी	,,	४२,६७७	१,८१४	३.४५	१,३१३
संकेन्द्रित जस्ता	,,	७,३९१	३,१३७	५.९३	—
मकान बनाने का पत्थर (अन्य)	हजार	५,३४२	४,९२५	९.३३	—
कुल			५२,७१८	१००.००	३९,२१३

तालिका ३१

सन् १९५८ में भारत एवं राजस्थान के मुख्य खनिज पदार्थों का उत्पादन

खनिज		राजस्थान	भारत	कालम २ का कालम ३ से प्रतिशत
१		२	३	४
संगमरमर	मीटर टन	३९,७५७	३९,७५७	१००.०
संकेन्द्रित सीसा	,,	५,३४१	५,३४१	१००.०
संकेन्द्रित जस्ता	,,	७,३९१	७,३९१	१००.०
पन्ना	हजार केरेट्स	८०	८०	१००.०
खड़िया मिट्टी	मीटर टन	७,३०,१७८	७,९४,३९२	९१.९
पुलर्स अर्थ	,,	१२,१०७	१३,६९९	८८.४
स्टीटाइट	,,	३९.०४५	४६ १८१	८४.५

	१	२	३	४
स्फतिय	मीटर टन	५,७४२	८,५६७	६७.०
लिगनाइट	हजार मीटर टन	१२	१६	६३.२
स्फटिक और सिलिका	मीटर टन	१६,५४५	३१,४६१	५२.६
अजबस्टास	,,	४६६	१,१८१	४२.२
कच्चा अभ्रक	,,	६,३६२	३१,८११	१६.६
चूने का पत्थर	,,	१३,३०,२६०	१,०५,३३,०००	१२.६
नमक	,,	३,८३,२३४	४,२२७,०००	६.१

स्रोतः— भारत के खनिज उत्पादन १६५८, भारतीय खनि विभाग भारत सरकार

तालिका ३२

सन् १६५१ में राजस्थान की खानों एवं उत्खनन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिशत

जिला	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	जिला	व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
भीलवाड़ा	३,३६२	१३.१	झालावाड़	४२७	१.६
कोटा	२,८६७	११.२	सिरोही	४१८	१.६
अजमेर	२,६५४	१०.२	नागौर	३४८	१.३
जोधपुर	२,१४४	८.२	जालोर	११०	०.४
उदयपुर	२,१००	८.१	गंगानगर	६८	०.४
जयपुर	१,८००	७.०	भरतपुर	६३	०.४
सवाई माधोपुर	१,५५४	५.६	झुंझुनू	७७	०.३
टोंक	१,५२०	५.६	जैसलमेर	६३	०.२
सीकर	१,२६६	४.६	बांसवाड़ा	५८	०.२
बीकानेर	१,२०५	४.७	बूंदी	५५	०.२
चित्तौड़गढ़	१ १३६	४.४	डूंगरपुर	५२	०.२
अलवर	६८३	३.८	चूरू	४०	०.२
बाड़मेर	७६७	३.१	कुल	२५,६४१	१००.००
पाली	६४८	२.५			

तालिका ३३

राजस्थान में उत्पादन एवं श्रम उत्पादकता

राज्य	अधिनियम के अंतर्गत खानों में रोजगार	उत्पादन	मूल्य (लाख रु०)	प्रति श्रमिक उत्पादन	प्रति श्रमिक उत्पादन का मूल्य
१	२	३	४	५	६
चूने का पत्थर :—					
मध्य प्रदेश	५,४९४	८९६(ह.)टन	२७.५	१५८ टन	५०१
बिहार	७,१९२	१,५७३ ,,	८१.१	२१९ ,,	१,१२८
राजस्थान	३,४४४	९७७ ,,	३८.५	२८४ ,,	१,११८
भारत	३०,७०१	७,७४९ ,,	३०८.३	२५२ ,,	१,००४
खड़िया मिट्टी :—					
मद्रास	१,७२६	४३ ,,	६.७	२५ ,,	३८८
राजस्थान	२,५०५	७९८ ,,	४१.३	३१९ ,,	१,६४९
भारत	४,२४९	८४५ ,,	४८.२	१९९ ,,	१,१३४
अभ्रक :—					
बिहार	१९,३३६	९७,०६० ,,	६८.४	५ ,,	८७१
आंध्र प्रदेश	६,३८९	३२,९४५ ,,	३१.७	५ ,,	४९६
राजस्थान	७,७५५	४१,३८४ ,,	६५.८	५ ,,	८४८
भारत	३३,९७३	१,७२,५९१ ,,	२९६.१	५ ,,	७९२
अजबस्टास :—					
आंध्र प्रदेश	१,०५८	८,५३३ ,,	६.३	८ ,,	५९५
राजस्थान	१६१	१०,०८१ ,,	०.५	६२६ ,,	३११
भारत	१,५२६	२९,११८ ,,	७.७	१९ ,,	५०५
शैल खड़ी :—					
आंध्र प्रदेश	९६	१४,०६० ,,	०.१८	१४६ ,,	१८८
राजस्थान	१,०६६	७,३१,९८३ ,,	६.१	६८७ ,,	५७२
भारत	१,९९९	९,२८,३७० ,,	९.१	४६४ ,,	४५५
मेंगनीज :—					
मध्य प्रदेश	३१,७७३	४४१.७ ,,	४३५.०	१३.९ ,,	१,३७०
उडीसा	१७,७०१	३५३.६ ,,	१७९.०	२०.५ ,,	१,०१०
बम्बई	२७,९३८	५७०.९ ,,	५३५.०	२०.५ ,,	१,९२०

१	२	३	४	५	६
राजस्थान	४९८	६ हज़ार	२.१	१२ टन	४२२
भारत	१,०९,९४८	१,७८१ ,,	१,३२७.४	१६.३ ,,	१,३२०
लिगनाइट :—					
बिहार	१,८२,१९४	२०,०८३ ,,	३,१६५.३	११४ ,,	
पूर्वी बंगाल	९८,९४३	११,१८८ ,,	१,८७०.७	११४ ,,	१,७४०
राजस्थान	१६७	२६ ,,	४.८	१५६ ,,	१,६८०
भारत	३,५२,४२२	३२,२८० ,,	६,५०७.९	१११ ,,	२,८७४
					१,८६८

तालिका ३४

राजस्थान में स्वीकृति खनिज अनुज्ञा-पत्र

वर्ग	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
अनुमोदन प्रमाण-पत्र	५४१	६२६	५९४	६७३
पूर्वेक्षण अनुज्ञापि (लाईसेंस)	२७९	३२६	३११	१५८
खनिकर्म पट्टे	२३७	२९६	३७९	४३६

स्रोत:—निदेशक, खनिज एवं भूगर्भ विभाग।

तालिका ३५

प्रमुख खनिज उत्पादन

वर्ष	टनों में मात्रा	मूल्य हज़ार रु० में	वर्ष	टनों में मात्रा	मूल्य हज़ार रु० में
१९५५	१५,१४,३५३	२,३१,८७	१९५७	२१,६०,३१३	२,६१,३७
१९५६	१६,२७,६८०	२,८१,१०	१९५८	२०,६७,४७१	२,४०,३२

• गौण खनिज एवं नमक को छोड़कर, स्रोत: सांख्यिकीय समिति राज० सरकार १९५९

तालिका ३६

राजस्थान में खनिज उत्पादन की प्रवृति

खनिज	इकाई	१९५१	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	वृद्धि (+) या ह्रास (—) १९५१ की अपेक्षा सन् १९५८ में
एजबस्टस	मी० टन	—	८०४	४३७	७००	४८६	+४८६
बरिटेज	,,	—	१२	२०७	१,१२०	१,८२५	+१,८२५
बेंटोनाइट	,,	१४२	५९०	३०३	२,००६	३,२५६	+३,११४
केलसाइट	,,	७९३	२२०	१,१००	२,३७५	१,१९८	+४०५
श्वेत मृत्तिका	,,	३१७	—	३४३	२२५	१,२७५	+९५८
पन्ना	किलो ग्राम	५७.७	०.१३६	०.४०८२	५६.५	४६.४	—११.३
स्फटिक	मी० टन	१,९६६	३,७००	२,५५३	६,८७०	७,४४०	+५,४७४
फुलर्स अर्थ	,,	४,८४१	७,९००	६,०९०	६,०७०	७,२५६	+२,४१५
कांच बालू और स्फटिक	,,	१०,६०९	२३,८७०	२४,६७०	२३,४९०	१९,५८३	+८,९७४
चिकनी मिट्टी और चन्द्रमणि	,,	१७८	६४८	८०६	८६३	७३३	+५५५
कच्चा लोहा	००० मी० टन	—	५७,११०	१,२९,६७०	१,००,३४०	१,०७,३७०	+१,०७ ३७०
मैंगनीज़ लोहा	,,	८००	३,११२	३,९७२	४,९२८	५,३४१	+४,५४१
जिप्सम	,,	३३,४०३	२९,२३०	२५,८८०	१७,७२५	१२ ४६३	—२० ९४४
चूने का पत्थर	(सीमेंट)	,, ३८३	८०५	८७७	१,०७०	१,११८	+७३५
चूने का पत्थर	मी० टन	१४,२३४	६१,६२०	४६,५२०	९२,३१०	१,१७,९५०	+१,०३,०१६
(जला ... के लिए)							
[illegible]	,,	७,०९९	२,२८०	९,०९०	१३,९००	८,२३३	+१,०३४
[illegible]	,,	२१,३११	२०,०३०	२०,४००	२३,८००	३९,५२०	+१८,२०९
[illegible]	,,	१,८३५	२,१९९	७४८	१,०५७	१,२९३	—५४२
[illegible]	००० मी० टन	४८३	३२७	२९३	३६८	३८३	—१००
[illegible]	,,	८५९	८८१	८३५	४८५	३२९	—२३०
[illegible]	मी० टन	२०,८६६	३३,०२३	३०,५५०	३६,५८२	४२,६७७	+१४,८११
[illegible]	मी० टन	१,८३४	४,८४३	६,३२०	७,५८८	७,३८१	+५,५४७
[illegible]	,,	५४६	१,२३५	२,४८१	०,५८०	५,३४२	+४,७९८

तालिका ३७

भारत एवं राजस्थान में संचित प्रमुख खनिज (तादाद १०,००० टनों में)

खनिज	जिला	संचित राजस्थान	संचित अखिल भारत	भारत की तुलना में राजस्थान का प्रतिशत
सीसा और जस्ता	उदयपुर (प्रमाणित)	१८.५००	१८.५००	१००.०
तांबा	झुंझुनु	२.६००	६.४५०	४०.३
कच्चा लोहा	जयपुर	१३.०००		
	उदयपुर और	७.०००		
	अन्य कुल	२०.०००	२१,२४०.०००	०.०६
मैंगनीज	बांसवाड़ा और उदयपुर	४.०००	१०३.३५०	३.८७
खड़िया मिट्टी	बीकानेर	७६.०००		
	नागौर	३८५.०००		
	जैसलमेर	१.३००		
	जोधपुर	३८.५००		
	कुल	५०३.८००	५४८.०००	९१.९३
चूने का पत्थर	बूंदी, चित्तौड़, कोटा, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही	३,०००.०००	१७,९६५.०००	१६.६५
बॅरिलेज	भरतपुर	०.०८०	१.५६२	५.०३
बेंटोनाइट	बाड़मेर	११.०००	अप्राप्य	—
मिट्टी	बाड़मेर	१.०००		
	भीलवाड़ा	०.६००		
	बीकानेर	२.५००		
	बूंदी	०.०१०		
	चित्तौड़	६.०००		
	जैसलमेर	०.०३७		
	कोटा	०.१३५		
	पाली	२.६००		
	सवाईमाधोपुर	०.४१३		
	सीकर	०.०२९		
	कुल	१३.६२१	अप्राप्य	—
फ्लोराइट	डूंगरपुर	२.१००	२.२५०	९३.३३
फुलर्स अर्थ	बीकानेर	८५.०००	अप्राप्य	—
कांच की बालू	बीकानेर	१४.०००		
	बूंदी	१.१६२		
	कोटा	५.३००		
	सवाईमाधोपुर	०.०५५		
	कुल	२०.५१७	अप्राप्य	—
नमक	सांभर झील	५०.०००	अप्राप्य	—
लिग्नाइट	बीकानेर	[illegible]	[illegible]	[illegible]

तालिका ३८

प्रमुख खनिज विकास के लिए प्रस्तावित उत्पादन, विनियोग एवं श्रम १९६१—७१

खनिज	उत्पादन १९७०-७१ (टनों में)	विनियोग लाख रु० में	अतिरिक्त रोजगार	शुद्ध उत्पादन १९७०-७१ में (लाख रु० में)	क्षेत्र
मिट्टी	८०,०००	४१.०	१,२५०	४,२१४	निजी
ताम्बा	७००,०००	१०५०.०	६,५००	१८,५००	सार्वजनिक
फ्लोराइट	१२२ ०००	१०१.०	८५०	५,६००	,,
कांच की बालू और स्फटिक	२००,०००	२०.०	१,१००	१,५५९	निजी
जिप्सम	१,६६५,०००	४७.०	२,४००	९,६६४	..
कच्चा लोहा	१७० ०००	३.५	१,०००	१,५६०	,,
सीसा और जस्ता	१,४८५,०००	५५०.०	३,०००	६६,०००	,,
लिगनाइट	५४५,०००	२३६.०	५००	९,५००	सार्वजनिक
चूने का पत्थर	२,४७०,०००	६७.०	५,८००	४,०९२	निजी
कच्चा अभ्रक	१३,५००	२०.०	३,०००	१०,१९७	,,
नमक	६४७,०००	७२.०	१५०	११,३००	सार्वजनिक
इमारती पत्थर संगमरमर	८०,०००	४०.०	२,०००	२,१२०	निजी
बालु का पत्थर	९००,०००	—	६,०००	१८,६१७	
	कुल	२,२९२.५	३३,५५०	१६२,९२३	

तालिका ३९

प्रति व्यक्ति उत्पादन रोजगार और उत्पादकता १९५५-५६

क्षेत्र	राजस्थान	भारत	भारत की तुलना में राजस्थान का प्रतिशत
१	२	३	४
कारखाना			
शुद्ध उत्पादन (करोड़ रु० में)	५.४९	८२०	०.६७
रोजगार (लाखों में)	०.३८५	३१.६७	१.२२
प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन (रुपयों में)	१,४२६	२,५८९	—
गैर कारखाना			

१	२	३	४
शुद्ध उत्पादन (करोड़ रु० में)	४०.२१	९७९	४.८
रोजगार (लाखों में)	९.५०	११७.२३	५.५४
प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन	७२६	८३५	—
कुल			
शुद्ध उत्पादन (करोड़ रु० में)	५२.७०	१,७९९	२.९३
रोजगार सं०	६.८८५	१४५.९०	४.६२
प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन (रु० में)	७६५	१,२०८	—

तालिका ४०

राजस्थान में कारखाना उद्योग का ढांचा, १९५९

उद्योग वर्ग	बड़े पैमाने पर		छोटे पैमाने पर		कुल		स्तम्भ ३ की तुलना में ७ का प्रतिशत	स्तम्भ ५ की तुलना में ७ का प्रतिशत
	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार		
कृषि निर्भर	४३	५,००८	१८०	३,०७८	२२३	८,०८६	६१.९	३८.१
सूती वस्त्र	१०	१०,११९	१४	३४२	२४	१०,४६१	९६.७	३.३
पशु निर्भर	१४	१,६९४	७५	१,४४३	८९	३,१३७	३८.१	६१.९
खनि निर्भर	१४	५,९१८	३०	७२०	४४	६,६३८	८९.२	१०.८
वन निर्भर	—	—	६३	३४०	६३	३४०	—	१००.०
धातु एवं इंजी- नियरिंग	२१	१६,४८४	४५	१,०७१	६६	१७,५५५	९३.९	६.१
रासायनिक	१	११६	८	१३५	९	२५१	४६.२	५३.८
विविध	२०	५,०५०	१८४	२,४१६	२०४	७,४६६	६७.६	३२.४
कुल	१२३	४३,८८८	५९९	१०,०४८	७२२	५३,९३६	८१.४	१८.६

१	२	३	४	५	६	७	८
पशु निर्भर	२	१५०	१२	१,०४४	१४	१,१९४	२.७
खनि निर्भर	९	५,१९५	५	७२३	१४	५,९१८	१३.५
धातु एवं इंजीनियरिंग	२१	१६,४८४	...	....	२१	१६,४८४	३७.५
रासायनिक	१	११६	....	....	१	११६	०.३
विविध	२०	५,०५०	....	...	२०	५,०५०	११.५
कुल	९५	४०,८७३	२८	३,०१६	१२३	४३,८८९	१००.०

तालिका ४२

राजस्थान में कारखाना (बड़े उद्योग) का विकास १९५१-५६

उद्योगवर्ग	१९५१		१९५६		१९५१–५६ १९५६ में (+अथवा—में १९५१ की रोजगार की तुलना में वृद्धि)	प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी (+अथवा—)
	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार		
कृषि निर्भर	५१	६,८७२	४३	५,००८	—१,८६४	—२७.१
सूती वस्त्र	१९	१३,७६१	१०	१०,११९	—३,६४२	—२६.५
पशु निर्भर	८	१,३७२	१४	१,१९४	—१७८	—१३.०
वन निर्भर	१	६५	....	....	—६५	....
खनि निर्भर	१३	२,३२५	१४	४,९१८	+४,५९३	+३४१.६
धातु एवं इंजीनियरिंग	१७	१०,५१७	२१	१६,४८४	+५,९६७	+५६.०
रासायनिक	३	५७७	१	११६	—४३१	—७९.९
विवध	१८	४,००९	२०	५,०५०	+४१	+०.८
कुल	१३०	३९,४९८	१२३	४३,८८९	+ ४,३९१	+ ११.१

तालिका ४३

राजस्थान में कारखाना (बड़े पैमाने) के उद्योगों का विकास १९५१-५९

उद्योग वर्ग	१९५१		१९५९		
	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार	प्रतिशत
१	२	३	४	५	६
१. कृषि आधारित	३१	६,८७२	४३	५,००८	१००.०
आटे की चक्कियां	१	६०	१	५२	१.१
चीनी की मिलें	४	१,५८०	३	७६३	१५.२
हलवाईगिरी	१	१२०	—	—	—
तेल की मिलें	६	४०५	५	४३१	८.६
रूई पिनाई व गांठ बंधाई	२३	३,५८२	२६	२,८५०	५६.९
बीड़ी	१६	१,१२५	८	९१२	१८.२
२. सूती वस्त्र	१९	१३,७६१	१०	१०,११९	१००.०
सूत कताई व बुनाई	११	१२,७०१	७	९,७८२	९६.७
गलीचा बुनाई	४	८१०	२	२६२	२.६
बुनाई की मिलें	३	१९०	—	—	—
वस्त्र	—	—	१	७५	०.७
अन्य	१	६०	—	—	—
३. पशु आधारित	८	१,३७२	१४	१,१९४	१००.०
ऊन की गांठ बंधाई व दबाई	८	१,३७२	२	१५०	१२.६
ऊन सफाई	—	—	१२	१,०४४	८७.४
४. वन आधारित लकड़ी के	१	६५	—	—	—
५. खनिज आधारित	१३	१,३२५	१४	५,९१८	१००.०
कांच	२	४२५	१	६६६	११.३
सीमेंट	—	—	२	३,६८२	६२.३
पत्थर कटाई व घिसाई	—	—	६	५८०	९.२
अभ्रक के कारखाने	१०	७५४	४	५३६	९.१
मिट्टी से बर्तन बनाना	१	१२६	—	—	—
चूना	—	—		१८०	३.२

१	२	३	४	५	६
६. धातु एवं इंजीनियरिंग आधारित	१७	१०,५१७	२१	१६,४८४	१००.०
बेसिक शक्ल में बदलना फेरस	—	—	२	४६५	२.८
बेसिक शक्ल में बदलना नानफेरस	—	—	२	२६८	१.३
जनरल जाबिंग और इंजीनियरिंग	३	२२८	—	—	—
धातु कनस्तर	४	६४०	१	५७	०.३
सूती वस्त्र	—	—	२	२६२	१.६
रेल्वे उद्योग	८	६,४६३	८	१२,८५८	७८.०
मोटर वाहन	२	१५६	१	१५०	०.६
अन्य	—	—	५	२,३६५	१४.६
७. रासायनिक उद्योग	३	५७७	१	११६	—
औषधि निर्माण संबन्धी	—	—	१	११६	—
अन्य	३	५७७	—	—	—
८. विविध	१८	५,००६	२०	५,०५०	१००.०
शराब एवं मदिरा	३	२४०	२	१६०	३.८
छपाई और जिल्दसाजी	७	८४५	८	१,६१७	३२.०
विद्युत प्रकाश और शक्ति	७	३,८४६	८	२,६००	६४.२
अन्य	—	७५	२	२४३	६४.२
कुल	१३०	३६,४६८	१२३	४३,८८६	

तालिका ४४

राजस्थान में कारखाना (बड़े पैमाने) के उद्योगों का विकास जिलेवार
(१९५१-५६)

	१९५१		१९५६		वृद्धि		रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि (+) अथवा कमी (—)
जिले	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार	इकाइयों की संख्या	रोजगार	
१	२	३	४	५	६	७	८
अजमेर	२९	१५,४१६	३२	१३,८४३	+३	—१,५७३	—१०.२
जयपुर	२२	७,४१३	१९	७,४८२	—३	+ ६९	+०.९

१	२	३	४	५	६	७	८
जोधपुर	८	३,०७५	८	४,१४८	....	+१,०७३	+३४.९
सवाईमाधोपुर	—	—	३	३,२१०	+३	+३,२१०	१००.०
भीलवाड़ा	२०	३,१६१	१२	२,७५८	—८	—४०३	—१२.९
गंगानगर	२	९००	११	२,६३६	+९	+१,७३६	+१९२.९
पाली	३	३,३००	२	२,३४८	—१	—९५२	—२८.८
बीकानेर	२	१,१००	८	२,३३८	+६	+१,२३८	+११२.५
बूंदी	३	५३८	१	१,१८१	—२	+६४३	+११९.२
भरतपुर	३	३५८	३	१,००६	....	+६४८	+१८१.०
उदयपुर	८	१,५७५	७	९५८	—१	—६१७	—३९.२
चित्तौड़	४	७६०	४	६३५	....	—१२५	—१६.४
कोटा	१६	१,४६९	६	५८७	—१०	—८८२	—६०.०
टोंक	१	६३	२	३७५	+ १	+३१२	+४९५.२
झालावाड़	३	२८४	२	१५५	— १	—१२९	—४५.४
नागौर	१	८०	२	१३४	+ १	+५४	+६७.५
अलवर	२	२७६	१	७५	— १	—२०१	—७२.८
कुल	१३०	३९,४९८	१२३	४३,८८९	—७	+४,३९१	+११.१

तालिका ४५

राजस्थान में १९६० तक लाईसेंस प्राप्त इकाइयों का उद्योग के अनुसार विवरण

उद्योग	इकाइयां	उद्योग	इकाइयां
सूती वस्त्र	३	इंजीनियरिंग	२
नायलोन	१	पीतल का सामान	२
ऊनी वस्त्र	१	फार्मास्यूटिकल व केमीकल्स	१
कताई व सिलने के धागे	२	शराब	१
कांच	२	मोटर और मोटरगाड़ियां	१
लोह धातु	३	वैज्ञानिक उपकरण	१
[illegible]	१	स्विचबोर्ड के उपकरण	१
ट्रैक्टर व रेलवे के वैगन	१	कुल	२३

तालिका ४६

राजस्थान में १९६० तक लाईसेंस प्राप्त औद्योगिक इकाइयों का जिलेवार विवरण

जिला	नया	विस्तारित	कुल	जिला	नया	विस्तारित	कुल
जयपुर	६	२	८	भरतपुर	....	१	१
कोटा	३	....	३	धौलपुर	....	१	१
उदयपुर	३	....	३	सवाईमाधोपुर	....	१	१
अजमेर	२	१	३	किशनगढ़	१	....	१
जोधपुर	१	....	१	भवानीमंडी	१	....	१
				कुल	१७	६	२३

तालिका ४७

राजस्थान में सुझाए गए कृषि निर्भर तथा संबद्ध उद्योगों की सूची १९६१–७१

उद्योग	अतिरिक्त कुल क्षमता	(करोड़ रु०) में नियोजन	रोजगार	कुल मूल्य में वृद्धि
१	२	३	४	५
कृषि निर्भर उद्योगः—				
शक्कर (८ इकाई)	८००० टन प्रति दिन पेलने की क्षमता	१०.८०	५,२००	४.००
औद्योगिक सुरा	१२,००० गेलन प्रतिदिन	१.८०	३७५	०.०६
विनौले का तेल	४८,००० टन प्रति वर्ष बनाना	०.८०	६००	०.८०
खली का द्रावक तेल	८२,५०० टन खली का प्रति वर्ष	०.८०	५००	१.२०
सूत कताई व बुनवाई (८)	५ लाख तकले	४०.००	३२,०००	४०.००
तेल घानियां	३,६०० टन	०.१०	३००	०.०४
आटे की चक्कियां	७५,००० टन	०.५५	४००	३.७५
कुल		५४.८५	३९,३७५	४९.८५
पशु निर्भर उद्योगः—				
ऊन	२० लाख गज	०.२५	६००	०.१६
चमड़ा	रु० १२० लाख की मूल्य का	०.१०	४००	०.१५

१	२	३	४	५
बुने हुए ऊन का घटिया तार	५,००० टकली	०.३५	४००	०.३०
(अ) प्रोसेन	१२,००० टन	१.००	१५०	०.३५
(आ) डाइकेल्शियम फोस्फेट	९,००० टन	—	—	—
	कुल	१.७०	१,५५०	०.६६
वन निर्भर उद्योग		....	....	...
इमारती लकड़ी उद्योग		०.९०	५८०	०.३०
कागज का गत्ता और कागज		२.१०	२००	०.५३
	कुल	३.००	७८०	०.८३

तालिका ४८

राजस्थान में १९७०–७१ तक स्थापित होनेवाले, सुझाए गए रासायनिक तथा सम्बद्ध उद्योगों की सूची

उद्योग	कुल क्षमता	(करोड़ रु० में) अतिरिक्त वार्षिक विनियोग	रोजगार	(करोड़ रु० में शुद्ध उत्पादन)
नाइट्रोजन खाद	१,६०,००० टन			
	नाइट्रोजन खाद	५२.००	६,०००	९.००
सुपर फास्फेट	२,१५,००० टन	१.००	१,०००	२.९०
सोडा एश	६६,००० टन	४.००	१,०००	०.९०
कॉस्टिक सोडा	३५,००० टन	३.५०	३००	१.००
सोडियम सल्फेट	४३,००० टन	१.६०	३००	०.९०
केल्शियम कार्बोनाइट पालिविनाइल रेयान	२७,००० टन १२,५०० टन	४.२०	३००	१.५०
विस्कोज रेयान	६,६०० टन	८.५०	४००	३.१०
बेरियम केमिकल्स लिथोपोन ब्लैंक फिक्स बेरियम क्लोराइड इत्यादि	 ६,००० टन ३,००० टन ३,००० टन	०.५०	२००	०.२५
सीमेंट	१.५ मिलियन टन	२४.००	३,५००	६.८०
कांच	१६,५०० टन	१.००	५००	०.४०
मेडिसिन				
स्वास्थ्य और गृह संबन्धी वस्तुएं रबर के टायर, पट्टियां और विद्युत अवरोधक	५,००० टन	०.५०	५००	०.१२
	कुल	१००.८०	१४,०००	२६.८७

तालिका ४६

राजस्थान में १९७०-७१ तक स्थापित होनेवाले सुझाए गए धातु कार्मिक और धातु निर्भर उद्योगों की सूची

उद्योग	१९७०-७१ तक संपादित वार्षिक क्षमता	करोड़ रु० में नियोजन	रोजगार	करोड़ रु० में शुद्ध मूल्य
१	२	३	४	५
आधारभूत धातु उत्पादन:—				
तांबा	२०,००० टन	३.६०	४,०००	१.६६
सीसा और जस्ता जेड़ एन	६०,००० टन	८.००	१०,०००	३.१८
पीवी	३२,००० टन			
फौलाद के गोण उत्पादन:—				
मिश्रित एवं विशिष्ट फौलाद	५,००० टन	३.५०	१,०००	४.८०
पुनर्वेलन (अ)	२०,००० टन	०.५०	२००	०.६०
(आ)	२०,००० टन	०.२०	१००	०.६०
फौलादी नल	३,००० टन	०.२०	२००	१.००
सिलिका मेंगनीज स्टील	२४,००० टन	३.००	१,५००	२.५०
मध्यवर्ती इंजीनियरिंग उत्पादन लोह मिश्रित:—				
कास्ट आयरन स्लीपर्स और				
नान प्रेशर नल	२४,००० टन	१.४०	३५०	०.४८
कास्ट आॅयरन स्पन नल	४०,००० टन	१.२०	२५०	०.६८
जार्बिग फाउन्ड्रीज	१६,१०० टन	१.१३	८००	०.३२
मालिएबल आॅयरन कास्टिंग्ज	१,००० टन	०.२५	२५०	०.१०
फौलादी कास्टिंग्ज	७,००० टन	२.००	१,४००	०.८५
फौलादी फौजिंग्ज	६,००० टन	१.५०	१,०००	१.८८
मध्यवर्ती इंजीनियरिंग उत्पादन लोह विहीन:—				
तांबे पीतल की नलियां	६०० टन	०.१५	१२५	०.१०
तांबे की पट्टी	२,००० टन	०.४३	२५०	०.६०
तांबे के कंडक्टर व लिपटे हुए तार	४,२५० टन	१.२०	६००	०.८५

१	२	३	४	५
सीसा और जस्ता जिसमें चद्दरें पट्टियां और नलियां सम्मिलित हैं	१५,००० टन	३.३०	२,०००	१.००
यंत्र और सामान्य इन्जिनियरिंग उद्योगः—				
फौलादी संरचना	४५,००० टन	०.८५	३,५००	२.७०
बाल और रोलर बियरिंग्ज	७.२६ मिलियन	१.४४	१,०००	२.८०
वेगन निर्माण	६,००० वेगन	३.६०	३,६००	२.४०
औद्योगिक विस्व	३,१०० टन	०.३२	२२०	०.१२
पाईटिंग और फाजिंग	१,५००	०.३८	१५०	०.४८
यंत्र और प्रसाधन	१०,०००	०.८५	८५०	०.५५
धातु कनस्तर	४,००० टन	०.४०	२२०	०.२६
पम्प	२०,०००	०.५२	६६०	०.२४
मशीन के यंत्र	—	४.००	३,०००	०.८०
साईकिल	१०,०००	०.३०	२००	०.१६
औद्योगिक मशीनरीः—				
कृषि मशीनरी		१.००	२,०००	०.८०
चावल, दाल और आटे की मिल के संयंत्र		०.५०	२००	०.०८
तेल मिल के यन्त्र		०.५०	५००	०.२०
जूते, चमड़े की रंगाई और अन्य विविध यन्त्र		०.५०	२००	०.०८
रसायन यन्त्र और साधन		०.५०	२००	०.०८
निर्माण संयंत्र		०.५०	२००	०.०८
विद्युत इंजीनियरिंग उद्योगः—				
बिजली के मीटर	३,००,०००	०.५०	३,०००	०.४८
बिजली की मशीनें और अन्य औजार		१.००	२,०००	०.८०
प्रेसीजन औजार	रु० १५ करोड़	८.००	१०,०००	६.००
[illegible] का उत्पादन	४,८०,०००	०.५०	२५०	०.१०
विद्युत लैम्प बल्ब	४८ मिलियन	१.००	५००	०.२०
परमानेंट मैगनेट्स	१,२०,०००	०.०५	२००	०.०२
फ्रेक्शनल हार्स पावर मोटर	३,६००	०.०५	८०	०.०२
वी.आई.आर. केबल्स	१० करोड़ मिलियन गज	०.०४	४०	०.१०
पेपर इंसुलेटेड पावर केबल्स	६०० मील	२.००	१५०	०.५०
ए.सी.एस.आर. कंडक्टर्स	१,५०० टन	०.१४	५०	०.०६
सूती, रेशमी और पेपर लिपटे तार और पट्टियां	१०० टन	०.०४	५०	०.०२
कुल		६१.३५	४७,१४५	४०.१४

तालिका ५०

१९५६ में राजस्थान में लघु पैमाने पर चलने वाले कारखाने

उद्योग	इकाई	श्रमिक	उद्योग	इकाई	श्रमिक
स्त्रोत निर्भर	३६२	६,४२३	गैर स्त्रोत निर्भर	२३७	३,६२५
कृषि विधायन	१९४	३,४२०	धातु निर्भर	४५	१,०७१
पशु निर्भर	७५	१,६४३	रसायन निर्भर	८	१३५
वन निर्भर	६३	३४०	विविध	१८४	२,४१६
धातु निर्भर	३०	७२०	कुलः—	५९९	१०,०४८

तालिका ५१

राजस्थान में १९५१ और १९५६ में लघु पैमाने पर चलने वाले कारखाने

उद्योग	१९५१		१९५६	
	इकाइयां	रोजगार	इकाइयां	रोजगार
१	२	३	४	५
कृषि निर्भर	११३	२,५९६	१९४	३,४२०
पशु निर्भर	७	२७२	७५	१,६४१
वन निर्भर	२	३८	६३	३४०
खनिज निर्भर	४१	१,१९०	३०	७२०
धातु निर्भर	२४	६५६	४५	१,०७१
रसायन	२	७३	८	१३५
विविध	९४	२,१६२	१८४	२,४१६
कुल	२८३	६,९८७	५९९	१०,०४८

तालिका ५२

राजस्थान में लघु पैमाने वाले कारखाना उद्योग का जिलेवार वितरण

जिला	संख्या	रोजगार	जिला	संख्या	रोजगार
१	२	३	१	२	३
मुख्यः—			बीकानेर	६१	१,०५३
अजमेर	८३	२,२०२	मध्यमः—		
जयपुर	८६	१,६२८	जोधपुर	६९	८६६

१	२	३	१	२	३
भीलवाड़ा	४२	७६३	सवाईमाधोपुर	६	१४१
कोटा	५३	७१६			
गंगानगर	४६	५८६	अति निम्न:—		
			बांसवाड़ा	१०	६१
निम्न:—			टोंक	३	७६
			झालावाड़	६	६६
उदयपुर	२६	४४०	झुंझुनु	२	५१
नागौर	१६	३६६	बूंदी	३	४५
अलवर	२०	२४७	बाड़मेर	१	३४
चित्तौड़गढ़	२३	२४६	जैसलमेर	१	२४
भरतपुर	११	२०८	चुरू	२	१६
पाली	१४	१५६	सिरोही	३	१६
			कुल	५६६	१०,०४८

तालिका ५३

राजस्थान में १९५५-५६ में गैर कारखाना उद्योग में रोजगार

उपक्रम	रोजगार	प्रतिशत	उपक्रम	रोजगार	प्रतिशत
मृदा	२१३	३२.८	तम्बाकू	११	१.७
काष्ठ निर्भर	१६६	२६.०	रसायन	४	०.६
चर्म	'११२	१७.२	बेवरेज	३	०.५
धातु एवं इंजीनियरिंग	३६	५.५	चीनी उद्योग	१	०.२
वनस्पति तेल व दुग्धपदार्थ	२६	४.०	विविध	५१	७.८
खाद्य उद्योग	२४	३.७	कुल	६५०	१००.०

तालिका ५४

१९६१-७१ के लिए राजस्थान में अधिष्ठापित लघु पैमानेवाले उद्योगों का सारांश

उद्योग समूह	संख्या	विनियोग लाख रु० में	रोजगार
१	२	३	४
कृषि निर्भर	४२५	२२४.७०	७,६८०
पशु निर्भर	१००	२०७.३०	६,११७

१	२	३	४
वन निर्भर	३	१२.००	२००
धातु निर्भर	६८	१८८.५५	४,३२०
रसायन	५१	११२.४८	१,८६०
धातु निर्भर	२८३	२७८.००	८,०५०
विविध	८५	११२.००	३,४७०
कुल	१,०१५	१,१४५.०३	३१,९९७

तालिका ५५

राजस्थान में सार्वजनिक विद्युत उपयोगिताओं एवं उद्योगों के स्वामित्व के अन्तर्गत यंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा विद्युत उत्पादन (१९५९-६०)

अधिष्ठापित क्षमता (एम०डब्लू०)	भाप	तेल	कुल	प्रतिशत
१	२	३	४	५
१. कुल	—	—	८८.५४७	१००.०
१.१ सार्वजनिक उपयोगिता	२९.२५०	२१.८७८	५१.१२८	५७.८
१.२ औद्योगिक संयंत्र	—	—	३७.२९४	४२.२
वार्षिक उत्पादन मिल किलोवाट	—	—	२३३.४२१	१००.०
२.१ सार्वजनिक उपयोगिता	६५.८११	३७.८९४	१०३.७०५	४४.४
२.२ औद्योगिक संयंत्र	—	—	१२९.७१६	५५.६

तालिका ५६

राजस्थान में सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों की अधिष्ठापित क्षमता (१९५५ से १९५९-६०)

वर्ष	राजस्थान			अखिल भारत की तुलना में	
	तेल	भाप	कुल	भारत	राजस्थान का प्रतिशत
१९५५	१८.३५	२४.००	४२.३५	२,९६४.८२	१.४३
१९५६	१९.७०	२४.००	४३.७०	२,८८६.१५	१.५२
१९५७-५८	२१.१८	२४.७५	४५.९३	३,२२२.११	१.४३
१९५८-५९	२१.६१	२४.७५	४६.३६	३,५११.५८	१.३२
१९५९-६०	२१.८८	२९.२५	५१.१३	३,८७३.१७	१.३२

तालिका ५७

उत्पादित विद्युत राजस्थान (१९५५ से १९५९–६०) (केवल सार्वजनिक उपयोग में आने वाली)

वर्ष	मिल० कि०वा० राजस्थान	मिल० कि०वा० अखिल भारत	भारत की तुलना में राजस्थान का प्रतिशत	वर्ष	मिल० कि०वा० राजस्थान	मिल० कि०वा० अखिल भारत	भारत की तुलना में राजस्थान का प्रतिशत
१९५५	८१.२१	८,५९२	०.९५	१९५८-५९	९९.७६	१२,९९४	०.७७
१९५६	८०.३१	९,६६२	०.८३	१९५९-६०	१०३.७१	१४,९९२	०.६९
१९५७-५८	९६.१४	११,३६९	०.८५	—	—	—	—

तालिका ५८

राजस्थान में विद्युत शक्ति की प्रतिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और उपयोगिता का ढाँचा। केवल सार्वजनिक उपयोगिताएं।

वर्णन	इकाई	वर्तमान १९५५	वर्तमान १९५६	वर्तमान १९५७-५८	वर्तमान १९५८-५९	वर्तमान १९५९-६०	देशनांक १९५५	देशनांक १९५६	देशनांक १९५७-५८	देशनांक १९५८-५९	देशनांक १९५९-६०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
प्रतिष्ठापित क्षमता	कि०वा०	४२,३४५	४३,७८७	४५,९३१	४६,३६१	५१,१२८	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
भार	,,	२५,०००	२४,०००	२४,७५०	२४,७५०	२९,२५०	५९.६८	५४.८१	५३.८९	५३.३९	५७.२१
तेल	,,	१८,३४५	१९,७८७	२१,१८१	२१,६११	२१,८७८	४३.३२	४५.१९	४६.११	४६.६१	४२.५९

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
उत्पादन	मि०कि०वा०	८१.२०९	९०.३०९	९६.१४०	९९.७५५	१०३.७०५	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
भाप	,,	५६.८४१	६१.२७९	६५.२६०	६४.६४६	६५.८११	६९.९९	६७.८५	६७.८८	६४.८०	६३.४७
तेल	,,	२४.३६८	२९.०३०	३०.८८०	३५.१०९	३७.८९४	३०.०१	३२.१५	३२.१२	३५.२०	३६.५३
प्रभावकारी उपभोग	,,	५८.९७५	६४.६२१	६८.९६२	७२.९३८	८०.२९९	७२.५३	७१.४२	७१.४२	७३.०१	७७.२८
औद्योगिक	,,	२०.२३३	२१.८९०	२२.०९०	२२.३६०	२४.९९५	२४.८८	२४.१९	२२.८७	२२.३८	२४.०६
घरेलू	,,	११.७१४	१२.३२५	१४.१६४	१५.४९४	१८.००३	१४.४१	१३.६२	१४.६७	१५.४१	१७.३३
सिंचाई	,,	१.७२१	१.८४५	१.९८२	२.४५८	२.७९५	२.२०	२.०४	२.०५	२.४६	२.६९
व्यापारिक	,,	८.८६०	११.११५	११.५१९	१३.१७५	१३.५६१	१०.९०	१२.२८	११.९३	१३.१९	१३.०५
सार्वजनिक प्रकाश	,,	२.७००	२.९८७	३.८१४	३.५४०	४.०७३	३.३२	३.३०	३.९६	३.५५	३.९२
जलकलापूर्ति	,,	१३.६७७	१४.४५९	१५.३९३	१५.९०४	१६.८७२	१६.८२	१५.९९	१५.९४	१५.९२	१६.२३
कुल हानि	,,	२२.३३४	२५.८६१	२७.५२८	२६.६५४	२३.६०५	२७.४७	२८.५८	२७.५८	२६.९९	२२.७२
सहायक स्टेशन	,,	८.२३३	९.०६१	९.३९८	१०.३५४	९.२६६	१०.१३	१०.०२	८.७३	१०.३७	८.९२
ट्रांसमिशन और वितरण	,,	१४.१००	१६.८००	१८.२००	१६.६००	१४.३३९	१७.३४	१८.५६	१८.८५	१६.६२	१३.८०

तालिका ५६

राजस्थान में सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रम में विद्युत बिक्री के प्रतिरूप
[१६५५ से १६५६–६०]

वर्ष	घरेलू प्रकाश और शक्ति	व्यापारिक प्रकाश और शक्ति	उद्योग	सार्वजनिक प्रकाश	सिंचाई	जलप्रदाय और पनालों के पम्पों के लिए	कुल
१६५५	१७.६	१५.३	३५.४	४.४	३.५	२३.८	१००.०
१६५६	१६.८	१७.७	३५.०	४.५	३.२	२२.८	१००.०
१६५७-५८	२०.६	१६.७	३२.०	५.५	२.६	२२.३	१००.०
१६५८-५६	२१.२	१८.१	३०.७	४.८	३.४	२१.८	१००.०
१६५६-६०	२२.४	१६.६	३१.२	५.१	३.५	२०.६	१००.०

तालिका ६०

भारत में सार्वजनिक उपयोगिता उपक्रम में विद्युत बिक्री के प्रतिरूप
[१६५५ से १६५६–६०]

वर्ष	घरेलू प्रकाश और शक्ति	व्यापारिक प्रकाश और शक्ति	उद्योग	सार्वजनिक प्रकाश	सिंचाई	जलप्रदाय और पनालों के पम्पों के लिए	ट्रैक्शन	कुल
१६५५	१२.०	७.२	६६.०	१.५	३.६	४.०	६.१	१००.०
१६५६	११.७	६.८	६६.६	१.५	४.०	४.०	६.४	१००.०
१६५७-५८	११.६	६.५	६६.०	१.५	६.०	३.६	६.५	१००.०
१६५८-५६	११.५	६.३	६३.०	१.५	६.०	३.६	६.६	१००.०
१६५६-६०	११.१	६.२	६८.४	१.४	५.६	३.५	३.६	१००.०

तालिका ६१

राजस्थान में और भारत के कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की तुलना [१९५५ और १९५९–६०]

वर्णन	वर्तमान (कि० वा०)		देशनांक (कि० वा०)	
	१९५५	१९५९-६०	१९५५	१९५९-६०
राजस्थान	३.२५	४.५१	१६.५	१४.८
उड़ीसा	०.७८	२७.८९	०.४	९१.७
पश्चिमी बंगाल	६१.५६	७९.९१	३१३.३	२६२.९
बम्बई	६२.०६	६२.७०	३१५.८	२०६.३
पंजाब	१५.०५	२६.२१	७६.६	८६.२
अखिल भारत	१९.६५	३०.४०	१००.००	१००.००

तालिका ६२

राजस्थान में विद्युत शक्ति की अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और उपयोगिता का ढांचा

[१९५५ से १९५९—६०] (स्वतः उत्पादन सहित)

वर्णन	इकाई	वर्तमान					देशनांक				
		१९५५	१९५६	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०	१९५५	१९५६	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
प्रतिष्ठापित क्षमता	कि०वा०	६२,४४५	६२.४८७	७७,१२५	८३,५४७	८८,३९२	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
सार्वजनिक उपयोगिता	,,	४२,३४५	४३,७८७	४५,९३१	४६,३६१	५१,१२८	६७.८१	७०.०७	५९.५०	५५.४९	५७.८४
स्वतः उत्पादित	,,	२०,१००	१८,७००	३१,२९४	३७,१८६	३७,२६४	३२.१९	२९.९३	४०.५०	४४.५१	४२.१६
उत्पादन	मिल.किलो.	१४३,२०९	१५०.२०९	१९५.५९२	२०३.७२१	२३३.४२१	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
सार्वजनिक उपयोगिता	,,	८१,२०९	९०.३०९	९६.१४०	९९.७५५	१०३.७०५	५६.७१	५९.८४	४९.१५	४८.९५	४४.४३
स्वतः उत्पादित	,,	६२.०००	६०.६००	९९.४५२	१०४.०३६	१२९.७१६	४३.२९	४०.१६	५०.८५	५१.०५	५५.५७
उपयोग	,,	१२०.९७५	१२५.२२१	१६८.३१४	१७६.९७४	२१०.०१५	८४.४३	८३.०७	८५.९२	८६.७२	८९.९७
औद्योगिक	,,	८२.२३३	८२.४९०	१२१.५४२	१२६.३६६	१५४.७११	५७.३९	५५.६०	६२.००	६१.९१	६६.२९
घरेलू	,,	११.७१४	१२.३२५	१४.१६४	१५.४९४	१८.००३	८.१८	८.१६	७.३३	७.६०	७.७१
सिंचाई	,,	१.७९१	१.८४५	१.९८२	२.४५८	२.७९५	१.२५	१.२२	१.०१	१.२१	१.२०
व्यापारिक	,,	८.८६०	११.११५	११.५१९	१३.१७५	१३.५६१	६.१८	७.३६	५.८८	६.४६	५.८१
सार्वजनिक प्रकाश	,,	२.७००	२.९८७	३.८१४	३.५४७	४.०७३	१.८८	१.९८	१.९५	१.७४	१.७४
जल-प्रदाय गृह	,,	१३.६७७	१४.४५९	१५.२९३	१५.९०४	१६.८७२	९.५५	।९.७५	७.८५	७.८०	७.२२
कुल हानि	,,	२२.३३३	२५.८११	२७.५९८	२६.९५४	२३.६०५	१५.५७	१७.११	१४.०८	१३.२८	१०.०३
सहायक स्टेशन	,,	८.२३३	९.०११	९.३९८	१०.३५४	९.२६६	५.७२	६.०१	४.८२	५.०९	३.७१
ट्रांसमिशन और वितरण	,,	१४.१००	१६.८००	१८.२००	१६.६००	१४.३३९	९.८५	११.१०	९.२६	८.१९	६.३२

तालिका ६३

राजस्थान में विद्युत विक्री का प्रतिरूप (१९५५ से १९५९-६०) स्वतः उत्पादन सहित

वर्णन	१९५५	१९५६	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
औद्योगिक	६७.९८	६५.८८	७२.१७	७२.४२	७१.६७
घरेलू	९.६८	९.८४	८.४१	८.७५	८.५७
व्यापारिक	७.१२	८.८८	६.८४	७.४५	६.४६
सार्वजनिक प्रकाश	२.२३	२.१९	२.२६	२.००	१.९४
जलप्रदाय गृह	११.११	११.५४	९.१४	८.९९	८.०३
सिंचाई	१.४८	१.४७	१.१८	१.१९	१.११
प्रभावकारी उपयोग	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

तालिका ६४

भारत में विद्युत विक्री का प्रतिरूप (१९५५ से १९५९-६०) स्वतः उत्पादन सहित

वर्णन	१९५५	१९५६	१९५७-५८	१९५८-५९	१९५९-६०
औद्योगिक	७४.०४	७४.०७	७१.१९	७१.४०	७४.१५
घरेलू	९.१५	९.१९	९.३४	९.४२	९.०७
व्यापारिक	५-५३	५.३०	५.२२	५.२०	५.०१
सार्वजनिक प्रकाश	१.१४	१.१६	१.२१	१.१९	१.१६
जलप्रदाय	१.०६	३.१२	३.१२	२.९९	२.८६
सिंचाई	२.७४	३.११	४.१२	४.४४	४.८१
ट्रैक्शन (सिचाव)	४.३४	३.९८	३.६०	१.११	२.९२
प्रभावकारी उपयोग	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

तालिका ६५

औद्योगिक विद्युत उपयोग भारत और राजस्थान में स्वतः उत्पादन का भाग

	भारत		राजस्थान		कुल प्रतिशत का स्वतः उत्पादन	
वर्ष	कुल	स्वतः उत्पादन	कुल	स्वतः उत्पादन	भारत	राजस्थान
१९५५	६,८८२.६०४	२,१८४.८१५	८२.६६३	६२.०००	३१.७४	७५.४०
१९५६	७,५२३.७५३	२,२०६.५८६	८३.४६०	६०.६००	२९.३३	७२.६५
१९५७-५८	८,५६५.५४६	२,२८८.२६०	१११.५७२	९१.४५२	२६.७०	८१.८३
१९५८-५९	९,६४४.७१७	२,३२०.६८३	१२९.६३६	१०७.०३६	३१.८४	८२.३१
१९५९-६०	११,१८७.४७३	२,७६०.८१३	१४४.७११	१२६.७१६	२४.६७	८७.८४

तालिका ६६

राजस्थान में विद्युत की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और प्रभावकारी उपभोग (१९६०-६१ से १९७०-७१) स्वतः उत्पादन सहित

वर्णन	इकाई	१९६०-६१	१९६५-६६	१९७०-७१
अधिष्ठापित क्षमता एम. डब्लू.		१४७.३	३८३.८	६००.०
के. डब्लू. एच./कि. के. डब्लू. एच.		२,६२०.०	३,०००.०	३,५००.०
वस्तु प्रतिवर्ष				
अधिष्ठापित				
उत्पादन	मिल० कि०	३८८.०	१,१५१.०	२,१००.०
हानि	प्रतिशत	१०.०	१५.०	१५.०
प्रभावकारी उपभोग	मिल० कि०	३४९.०	९७८.०	१,७८५.०
सूचनांक	इकाई	१००.०	२८०.२	५११.५
विकास दर	वार्षिक प्रतिशत	—	२२.७	१२.८

तालिका ६९

राजस्थान में सामान्य सहभागिता की दरें

	कुल जनसंख्या पर उपार्जन का अनुपात	कुल जनसंख्या में आत्मनिर्भर व्यक्तियों का अनुपात	उपार्जन करने वाले आश्रितों का अनुपात	उपार्जन न करने वाले आश्रितों का अनुपात
राजस्थान	५०.४	३७.१	१३.३	४९.६
मध्य प्रदेश	५०.१	३१.४	१८.७	४९.९
बम्बई	४३.१	२७.६	१५.५	५६.९
उत्तरप्रदेश	४२.०	३०.०	१२.०	५८.०
पंजाब	३९.६	२७.०	१२.६	६०.४
बिहार	३६.२	३२.१	४.१	६३.८
मद्रास	३१.१	२६.४	४.७	६८.९
अखिल भारत	४०.०	२९.४	१०.६	६०.०

तालिका ७०

राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सहभागिता की दरें

	सहभागिता की दरें ग्रामीण	शहरी	सामान्य
राजस्थान	५३.६	३५.१	५०.४
भारत	४१.६	३४.१	४०.०

तालिका ७१

पुरुष और स्त्री सहभागिता की दरें (ग्राम और शहर)

	राजस्थान		भारत	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
ग्राम	६२.२	४५.७	५५.१	२६.४
शहर	५२.२	१६.२	५४.३	११.१

तालिका ७२

ग्राम्य कृषि और गैर कृषि सहभागिता की दरें

	कृषि		अकृषि	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
राजस्थान	६३.१	४७.३	५६.६	३०.६
भारत	५४ ८	२७.२	५६.५	२३.२

तालिका ७३

प्रति परिवार कृषि का औसत आकार

	कृषि संबन्धी			गैर कृषि	
	स्वामी	आसामी	श्रमिक	संबन्धी श्रमिक	कुल
भारत	११.४	१८.७	११.२	६.६	१६.६
राजस्थान	१७ ०५	७.७	२.६	३.१	७.५

तालिका ७४

ग्राम्य श्रमशक्ति के व्यवसाय (प्रतिशत)

	कृषि	कृषि श्रम	गैर कृषि श्रम
राजस्थान	७५.७	८.५	१५.८
भारत	५२ ०	२६.१	२१.१

तालिका ७५

व्यवसाय आवंटन (श्रम शक्ति)

क्षेत्र	कुल श्रमशक्ति का प्रतिशत	
	राजस्थान	भारत
१	२	३
कृषि और संबन्धित क्रियाएँ	८२.१	७२.४
खान और उद्योग	५ ६	१०.९

तालिका ७८

१९७१ में श्रम शक्ति का निरूपण (दस लाख में)

	१९५१	१९६१	१९७१
१	२	३	४
१. राजस्थान में जनसंख्या की प्रक्षेपता			
कुल जनसंख्या	१५.९७	२०.१५	२४.६४
पुरुष	८.३१	१०.५६	१३.०७
स्त्री	७.६६	[illegible]	११.८७
कार्यशील उम्रवाली जनसंख्या (१५ से ६४ वर्ष)	८.९	११.२०	१४.२
पुरुष	४.७	५.६७	७.५
स्त्री	४.२	५.३३	६.७
२. राजस्थान में श्रम शक्ति का विकास प्रक्षेप (क)			
ग्राम			
पुरुष	४.२३	५.५०	६.६३
स्त्री	२.८३	३.६८	४.४३
कुल	७.०६	९.१८	११.०६
नगर			
पुरुष	०.७६	०.८८	१.२५
स्त्री	०.२३	०.२५	०.३५
कुल	०.९९	१.१३	१.६०
ग्राम और नगर			
पुरुष	४.९९	६.३८	७.८८
स्त्री	३.०६	३.९३	४.७८
कुल	८.०५	१०.३१	१२.६६
प्रक्षेपता अनुमान (ख)			
ग्राम			
पुरुष	४.२३	५.५०	६.६३
स्त्री	२.८३	३.६८	३.८८
कुल	७.०६	९.१८	१०.५१

१		२	३	४
नगर				
पुरुष		०.७६	०.८८	१.२५
स्त्री		०.२३	०.२५	०.१५
	कुल	०.९९	१.१३	१.४०
ग्राम और शहर				
पुरुष		४.९९	६.१८	७.८८
स्त्री		३.०६	४.१३	४.२३
	कुल	८.०५	१०.३१	१२.११

तालिका ७९

राजस्थान में गैर कृषि रोजगार (१९६१–७१)
(हजारों में)

क्षेत्र	रोजगार		अतिरिक्त रोजगार
	१९६१	१९७१	१९६१-७१
कारखाना उद्योग	५७	२९७	२४०
गैर कारखाना उद्योग	७१४	९१४	२००
खनिकर्म	९६	११०	१४
निर्माण	८४	१५९	७५
तृतीयक क्रियाएं	१,६००	२,३१०	७१०
कुल	२,५५१	३,८१०	१,२५९

तालिका ८०

राजस्थान में प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन (१९६१-७१)

क्षेत्र	प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन (रु०)		क्षेत्र	प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादन (रु०)	
	१९६१	१९७१		१९६१	१९७१
कारखाना उद्योग	२,०२४	४,४७५	खनिकर्म	९२५	१,२५३
			तृतीयक क्रियाएं	१,११२	१,५४१
गैर कारखाना उद्योग	७४७	८९१	कृषि	५५९	७००

तालिका ८१

राजस्थान में १९५९ में जिलानुसार रेल और सड़क की दूरी

जिला	सड़क (मील)	१०० वर्ग मील में सड़क (मील)	एक लाख मनुष्यों के पीछे सड़क (मील)	रेल मार्ग (मील)	१०० वर्ग मील में रेल मार्ग (मील)	प्रति एक लाख मनुष्यों के पीछे रेलमार्ग (मील)
१	२	३	४	५	६	७
अरावली का दक्षिण पूर्वी भागः—						
अजमेर	८५०	२५.६	८९	२९५	८.९	[illegible]
अलवर	७३८	२३.०	६८	७१	२.२	[illegible]
भरतपुर	९३९	३०.०	८४	१५२	४.९	१३
जयपुर	६८२	१२.५	३६	२७९	५.२	५
सवाईमाधोपुर	४९७	१२.३	५०	१२२	२.४	१४
टोंक	३३८	१२.२	७०	४७	१.७	१
बूंदी	५०१	२३.१	१५१	२७	१.२	१
झालावाड़	६०४	२८.६	१३७	—	—	—
कोटा	१,०८२	२२.१	२३१	१३४	२.७	१२
बांसवाड़ा	३१८	१५.५	६९	—	—	—
भीलवाड़ा	५९८	१४.८	७१	५०	१.[illegible]	१
चित्तौड़गढ़	४४८	१०.८	६४	५४	१.०	१
डूंगरपुर	३९७	२७.२	१००	—	—	—
उदयपुर	१,८९९	२८.१	२३३	१५१	२.२	१
प्रदेश	९,८९१	२०.०	८३	१,३८२	२.८	१२
अरावली का उत्तर पश्चिमी भाग :—						
झुंझुनू	२३८	१०.२	३४	५९	२.५	८
सीकर	३४४	११.४	४३	६९	३.३	१
बीकानेर	५०१	४.२	११६	२०७	३.२	७१
चुरू	४२७	६.८	६६	३८८	६.२	१०
गंगानगर	३०४	२.८	२२	४२७	१.२	५
बाड़मेर	५६२	५.४	८९	२८८	२.७	४४
जैसलमेर	४१७	२.६	३[illegible]	—	—	—
जोधपुर	१,०२९	[illegible]१.४	१२०	३८३	४.३	४५

१	२	३	४	५	६	७
नागौर	८७५	१२.४	६३	३११	४.७	१४
पाली	६७१	१४.४	८५	१७३	१.०	२२
सिरोही	३१	१०.२	१०४	१२	१.५	१
जालौर	२८२	१.८	५३	८४	४.४	१५
प्रदेश	५ ६८१	.२	७६	२ ८३	३.१	२१
राज्य	१५,८७२	१२.०	८१	४,०१५	३.१	२१

तालिका ८२

भारतीय संघ में चुने हुये राज्यो में रेलवे मार्ग की लम्बाई प्रति लाख निवासियों पर

राज्य	जन संख्या (१० लाख में)	प्रति एक लाख निवासियो पर रेल मार्ग की लम्बाई (मीलों में)	राज्य	जन संख्या (१० लाख में)	प्रति एक लाख निवासियों पर रेल मार्ग की (लम्बाई मीलों मे)
आसाम	६.६२	१० ६७	पंजाब	१८,०१	१२.८४
केरल	१५.०	३.०१	राजस्थान	१७.५८	१८ ४१
मैसूर	२१ ३१	७.८४	भारत	३६२ ००	८.८१
उड़ीसा	१५.५०	५ ४१			

तालिका ८३

भारत के चुने हुये राज्यों में रेल मार्ग की प्रति एक हजार वर्गमील में लम्बाई

राज्य	क्षेत्र वर्ग मील	प्रति एक हजार वर्ग मील में मार्ग की लम्बाई	राज्य	क्षेत्र वर्ग मील	प्रति एक हजार वर्ग मील में मार्ग की लम्बाई
आसाम	८५,०१२	१२.८०	उड़ीसा	६०,१५०	१३.६०
बिहार	६७,०७१	४५.८०	पंजाब	४७,०१२	४८.३०
केरल	१५ ००३	३१.१०	राजस्थान	१३२.१४८	२४.५०
मद्रास	५०, १८	४४.००	पश्चिमी बंगाल	३३,६२७	६५.३०
मैसूर	७४ ८१	२२ ४०	भारत	१,२११ १४०	२०.३०

तालिका ८४

राजस्थान में १९६५-६६ और १९७०-७१ में अतिरिक्त पूर्वाभाषित यातायात १९६०-६१ में यातायात स्तर से अधिक (हजार टनों में)

मद	१९६५-६६	१९७०-७१
१. खाद्य और खाद्य सामग्री	१२०९.५	१८४६.८
२. कृषि कच्चा माल	९९१.५	२३५०.०
३. अर्ध विधिकृत कृषि वस्तुएं	२०८.२	२९०.७
४. वन उत्पादन	३४.०	५०.०
५. खनिज	१९५१.४	३३०८.१
६. खाद और रासायन	८०५.०	२५५३.०
७. निर्मित व अर्ध निर्मित वस्तुएँ	१४३१.४	२११६.२
८. ईंधन	२४८३.८	३५७७.३
९. विविध	३४.७	६८.७
कुल	९१४९.५	१६,१६३.८१

तालिका ८७

राजस्थान में १९६९-७४ के समय नये रेलवे मार्ग निर्माण के प्रस्ताव

फेज	वर्णन	व्यय: (करोड़ रु० में)
फेज (अ)		
नव निर्माण:—		
१. उदयपुर हिम्मतनगर	११३.२५ मील मानांतरपथ	१२.११८
२. नोखेरा रामसिंगपुर	७० मील ,, ,,	२.८००
३. कोटा और चित्तौड़	१०४ मील महान्तर पथ	१०.०५६
४. हिन्दुमालकोट और श्री गंगानगर	१७ मील ,, ,,	१.८३१
अन्य कार्य		
१. अजमेर के लोको शाप का पुर्ननिर्माण		०.०५५
२. डिब्बे मरम्मत करने वाले नये शाप का निर्माण का प्रस्ताव कोटा में		०.२२
३. कोटा और बिना क्षेत्र में नीचे के कमजोर गर्डर्स को बदलना		०.११५
	कुल	२८,७०३
फेज (आ)		
नव निर्माण:—		
१. डूंगरपुर रतलाम	११६.१ मील महान्तर पथ	६.५२८
२. सवाईमाधोपुर जयपुर	८२ मील महान्तर पथ में परिवर्तन	४.१००
३. फलोदी नावना	१५ मील मानान्तर पथ	२.१००
४. बीकानेर नोखेरा	६५ ,, ,,	२.६००
	कुल	१८,३२८
	कुल योग	४७.९०१

तालिका ८८

राजस्थान में (१९६९-७१) में सड़क विकास के क्षेत्र और स्थिति की सूची

क्षेत्र की अवस्थिति	प्रस्तावित विकास
कोटा, अजमेर और जयपुर डिविजन, राजस्थान कैनाल, भाखड़ा नांगल कैनाल क्षेत्र	रेल वाले इलाके में सड़कें बनायी जायेंगी या विकसित की जायेंगी।
राजस्थान नहर क्षेत्र, बीकानेर, बांसवाड़ा और कोटा के आसपास	अन्य सड़कें बनाना और मुख्य जिलों की सड़कों से मिलाना
सांभर, पचभद्रा और डीडवाना	नमक उत्पादन क्षेत्रों से सड़कों का रेल वाले इलाके तक निर्माण, पनिया और रक्षा के प्रश्नों का देखना।
चित्तौड़गढ़ और आबू रोड	रेल वाले इलाके तक सड़कें बनाई जावें, विस्तार की जावें या बढ़ाई जावें।
रामगंज मंडी चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, मकराना, जयपुर खेतड़ी नगर, कोटा करौली, भरतपुर और धौलपुर के खान के क्षेत्र में सौभाग्य योजना	सड़कों के कार्य का विस्तार और सुधार किया जावे।
	रेल वाले इलाके तक सड़कें चूने के लिए अतिरिक्त यातायात की उपयोगिता के लिए बनाने का निरीक्षण किया जावे।
नाथद्वारे की घाटी और डूंगरपुर में खनिज क्षेत्र में	खान से पत्थर निकालने के क्षेत्र को सड़क के कार्य को रेलों तक बढ़ाया और सुधारा जावे।
मकराना के पास जिगनाइट के क्षेत्र में	खान क्षेत्र से सड़कों का काम किया जाने व रेल वाले इलाके में सड़कें ले जाने की योजना बनाई जावे।
हनुमानगढ़, सूरतगढ़	शहरों के अंदर व आसपास सड़कें बनाई जायें।
जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, आबू, बांसवाड़ा दोहाद सवाईमाधोपुर, अलवर बाड़मेर गंगानगर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, बीकानेर, टोंक भरतपुर, धौलपुर जैसमन्द, निम्बी बन्ध. एकसारा सागर	इन शहरों के आसपास सड़कें उन्नत की जावें ताकि अधिक आवागमन हो सके।
जोधपुर, नागौर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बीकानेर	निर्मित पक्की सड़कें यहां कम हैं अतः अन्य जिलों के बराबर की जावें।
सिरोही, बीकानेर जैसलमेर और गंगानगर	निर्मित पक्की सड़कें यहां अन्य जिलों के मुकाबले कम हैं अतः उनके बराबर की जावें।

तालिका ६०

राजस्थान की आय के मुख्य स्रोतों में १९५१-५२ और १९६०-६१ के बीच अपेक्षाकृत वृद्धि (लाख रुपयों में)

आय के स्रोत	१९५१-५२		१९५८-५९	१९५९-६०		१९६०-६१		प्रतिशत वृद्धि	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत	१९५१-६०	१९५१-६१
राज्य कर	१,१५०	६७.८	१,५९१	१,७६२	४४.८	१,८९१	४१.७	५३.२	६४.४
खानिज कर	१३	०.८	६७०	७०७	१८.०	७४३	१६.४	—	—
केन्द्र सरकार से सहायतायें	११०	६.५	५६५	८१९	२०.८	१,०५६	२३.३	६४४.५	८६०.०
अन्य गैर कर आय	४२२	२४.९	५६६	६४८	१६.४	८४०	१८.६	५३.६	९९.१
कुल	१,६९५	१००.०	३,३९२	३,९३६	१००.०	४,५३०	१००.०	१३२.२	१६७.३

तालिका ९२

आय के मद पर राजस्थान का व्यय (लाख रुपयों में)

व्यय की मदें	ए० १९५१-५२ राशि	ए० १९५१-५२ कुल का प्रतिशत	सी० १९५८-५९ राशि	सी० १९५९-६० राशि	सी० १९५९-६० कुल का प्रतिशत	बा.ई. १९६०-६१ राशि
शिक्षा	२६९	१५.७	७३८	८८३	२०.५	१,०१५
चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	१५१	८.८	३४६	४३६	[illegible]	५०५
कृषि	४८	२.८	७७	१०४	२.४	१३३
पशुपालन	१२	०.७	५४	६६	१.६	८२
सहकारिता	७	०.४	२७	४६	१.१	४०
उद्योग	१३	०.८	४७	५६	१.३	६०
सिंचाई	५३	३.१	४४	५५	१.३	६६
बहुउद्देशीय नई योजनाएं	—	—	२४	२३	०.५	३२
सामुदायिक विकास	—	—	१७०	६६	२.३	२२०
असैनिक कार्य	८८	५.२	१९५	१८३	८.२	१९३
वन	३	१.९	७०	७८	१.८	८०
असैनिक प्रशासन	५००	२९.२	७२८	७८५	१८.२	८१४
आय पर प्रत्यक्ष मांगें	१७५	१०.२	२६४	२८३	६.६	२९८
ब्याज	३१	१.८	२९९	४ ३	९.६	५४८
ऋण की कमी या परिहार	—	—	१२०	१२६	२.९	१०
अकाल	२०	१.२	४०	४०	०.९	५०
अन्य खर्च	३१२	१८.२	५०५	५६१	१३.१	६११
कुल	१,७१२	१००.०	३,७५१	४,३०६	१००.०	४,९८२

तालिका ९३

राजस्थान में (१९६१-७१) में सुझाए गए कार्यक्रम के लिए विनियोग का अनुमान (करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	राजस्थान (१९६१-७१)				भारत (१९६१-६६)	
	केन्द्र	राज्य	निजी	कुल	प्रतिशत	प्रतिशत
कृषि	—	३०२.००	२०६.४०	५०८.४०	३३.८	२०.८
पशु पालन	—	७.३०	—	७.३०	०.५	—
वन	०.९०	५.८८	३.६०	१०.३८	०.७	—
मछली पालन	—	०.१३	—	०.१३	—	—
खनिज	१३.११	१.६१	७.८९	२२.६३	१.५	—
बड़े उद्योग	११.६०	—	२१२.१०	२२३.७०	१४.९	२४.५
छोटे उद्योग	—	१३.६९	३३.३१	५१.००	३.४	४.३
शक्ति	—	१३५.००	—	१३५.००	९.०	९.५
यातायात	७४.००	५९.२०	४३.५०	१७६.७०	११.८	११.२
सामाजिक सेवाएं	—	९४.९७	१५४.६६	२४९.६३	१६.६	१६.६
तालिकाएं	१४.२०	४५.३५	५८.२६	११७.८१	७.८	७.८
कुल	११३.८३	६६५.१३	७२४.०२	१५०३.७८	१००.०	१००.०
प्रतिशत	(७.६)	(४४.३)	(४८.१)	(१००.०)	—	—

तालिका ९४

१९६०-६१ और १९७०-७१ के लिए राजस्थान की अनुमानित आय (करोड़ रुपयों में) (१९५७-५८ के मूल्यों पर)

क्षेत्र	१९६०-६१ प्रतिशत		१९७०-७१ प्रतिशत		अतिरिक्त	१९६०-६१ की तुलना में १९७०-७१ में प्रतिशत वृद्धि
	उत्पादन	आबंटन	उत्पादन	आबंटन	उत्पादन	
१	२	३	४	५	६	७
कृषि और सम्बन्धित क्रियाएं						
(अ) कृषि	२२६.००	४०.४	४६२.००	३८.२	२३६.००	१०४.०
(आ) पशुपालन	१५.५२	११.०	३८.६२	३.१	२३.१०	[illegible]

१	२	३	[illegible]	५	६	७
(इ) वन	३.७३	०.७	६.५०	०.७	५.६३	१५४.७
(ई) मछली पालन	०.२३	—	०.५६	०.१	०.३६	१५१.५
कुल	२९६.४८	४२.८	५८०.७१	४५.२	२८४.२३	६५.२
खनिकर्म उत्पादन और लघु उपक्रम						
(अ) खनिकर्म	६.००	१.१	१६.०६	२.२	१०.२६	१३१.५
(आ) कारखाना उपक्रम	११.५४	२.०	१४६.२०	११.६	१३७.५६	११८२.०
(इ) शक्ति	—	—	१३.५०	१.१	१३.५०	—
(ई) गैर कारखाना उद्योग	५३.३५	९.५	८१.३५	६.३	२८.५०	५३.०
(उ) निर्माण	८.१६	१.५	२०.००	१.६	११.८१	१४४.२
कुल	७९.०८	१४.१	२८०.५४	२१.८	२०१.४६	२५४.७
तृतीयक क्रियाएं						
(अ) यातायात और संवादवाहन	१०.८३	१.९	—	—	—	—
(आ) व्यापार और वाणिज्य	५५.७८	९.९	—	—	—	—
(इ) अन्य सेवाएं	६६.३३	१०.७	—	—	—	—
(ई) गृह संपत्ति	१०.०५	२.६	—	—	—	—
कुल	१८५.९९	३३.१	४२६.७१	३३.१	२४०.५२	१२६.३
कुल योग	५६१.५५	१००.०	१,२८७.७३	१००.०	७२६.२१	१२९.३
जन संख्या लाखों में	२०१	—	२५२	—	—	—
प्रति व्यक्ति आय	२७९	—	५६०	—	२१८	९८.१